PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

नवम्बर 2019 | अंक-2

पेगासस स्पाइवेयर

व्हाट्सएप के माध्यम से जासूसी

- अयोध्या फैसला : विवाद का अंत
- आरसीईपी से भारत की दूरी : कारण एवं प्रभाव
- भारत-जर्मनी के बीच सहयोग के क्षेत्र
- कारोबारी सहजता सूचकांक 2020 : एक अवलोकन
- भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र : पुनर्उद्धार की आवश्यकता
- गुरूनानक देव की 550वीं जयंती एवं उनके संदेश

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

COMPREHENSIVE ALL INDIA PRELIMS TEST SERIES (CAIPTS)

TARGET 2020

OFFLINE & ONLINE

Total 28 Tests

13 Applied Tests	10 Full Length GS Tests	5 CSAT Tests
(including 1 Revision Test and 1 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)	(including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)	(including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)

Key features of CAIPTS

- The CAIPTS will contain a total of 28 tests (Fullyapplied and based on UPSC Pattern) 28 Tests = 13 Applied Tests (including 1 Revision Test and 1 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based) + 10 Full Length GS Tests (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based) + 5 CSAT Tests (including 2 UPSC-CSE Prelims Previous Year Paper based)
- Applied level tests will be based on standard references which will enhance the analytical ability of the aspirants.
- 8 full length and 2 Previous Year based papers will cover the entire syllabus and match the level of UPSC-CSE prelims examination. It will further enable the aspirants for their better evaluation of learning outcome.
- In addition to this, the unique feature of DHYEYA IAS CAIPTS, is, four full length tests based on UPSC CSE prelims question papers of past 25 years. These tests will drive the aspirants' motives to go through the previous years question papers which is one of the important aspects of CSE preparation. It will also assist them to understand the changing nature of the questions asked in the examination.

635, Ground Floor, Main Road Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009 | Call: 011-49274400, 9205274741
For more details visit: www.dhyeyaias.com

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

'Perfect 7' में सुधार एवं संवर्द्धन हेतु किसी भी प्रकर के सुझाव, टिप्पणी और विचार के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे।

9990772422

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण
Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

नवम्बर-2019 | अंक-2

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, अवनीश पाण्डेय,
ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
गिरिराज सिंह, अंशु चौधरी, सौम्या उपाध्याय

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम

आवरण सज्जा एवं विकास
संजीव कुमार झा, पुनीश जैन

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
गुफरान खान, राहुल कुमार

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल

लेख सहयोग
मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव,
प्रीति मिश्रा, आदेश, प्रभात

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजीव कुमार

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर 01-22

- पेगासस स्पाइवेयर : व्हाट्सएप के माध्यम से जासूसी
- अयोध्या फैसला : विवाद का अंत
- आरसीईपी से भारत की दूरी : कारण एवं प्रभाव
- भारत-जर्मनी के बीच सहयोग के क्षेत्र
- कारोबारी सहजता सूचकांक 2020 : एक अवलोकन
- भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र : पुनर्उद्धार की आवश्यकता
- गुरूनानक देव की 550वीं जयंती एवं उनके संदेश

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 23-31

सात महत्वपूर्ण तथ्य 32

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 33

सात महत्वपूर्ण खबरें 34-36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali (Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. पेगासस स्पाइवेयर : व्हाट्सएप के माध्यम से जासूसी

चर्चा का कारण

हाल ही में व्हाट्सएप ने कहा है कि इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ समूह (NSO Group) द्वारा बनाये गये स्पाइवेयर पेगासस (Pegasus) ने विश्व के लगभग 20 देशों में 1400 व्हाट्सएप प्रयोगकर्ताओं की गोपनीयता और व्यक्तिगत सूचनाओं की जासूसी की है।

पेगासस स्पाइवेयर क्या है

पेगासस स्पाइवेयर एक प्रकार का मालवेयर (Malware) है जो कम्प्यूटर, मोबाइल, टैबलेट आदि से गुप्त और निजी जानकारी चुराकर उन्हें दूसरे किसी डिवाइस में स्थानांतरित कर देता है। इसे इजरायल की कंपनी एनएसओ समूह ने विकसित किया है। इसमें टारगेट यूजर के पास एक लिंक भेजा जाता है, जैसे ही यूजर लिंक को क्लिक करता है, उसके फोन में यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की स्वीकृति के बिना स्वयं ही इंस्टॉल हो जाता है। गौरतलब है कि इस वायरस का नवीनतम संस्करण काफी उन्नत किस्म का है। इसके फोन में दाखिल होने के लिए किसी लिंक पर क्लिक करने की भी आवश्यकता नहीं है। स्पाइवेयर का इस्तेमाल जीमेल अकाउंट हैक करने और बैंक अकाउंट्स डिटेल्स चोरी करने के साथ ही सोशल मीडिया से लेकर टेक्स्ट संदेशों तक अलग-अलग तरह की ऑनलाइन गतिविधियों पर डेटा एकत्र करने के लिए किया जा सकता है। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि यूजर्स को इसका अंदेशा भी नहीं हो पाता। स्पाइवेयर ज्यादातर नवीनतम डिवाइस मॉडल और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ा होता है। उन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि उसका पता ना चल सके। ऐसा देखा गया है कि कई बार कंपनियाँ अपने कम्प्यूटर में कुछ स्पाइवेयर इंस्टॉल करवाती हैं ताकि वो यह जान सकें कि उनके कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं।

स्पाइवेयर के कुछ प्रमुख प्रकार हैं, जो निम्नलिखित हैं- एडवेयर (Adware), ट्रैकिंग कूकीज (Tracking Cookies), सिस्टम मॉनिटर (System Monitor) और ट्रॉजन (Trojans) स्पाइवेयर।

एडवेयर (Adware)- यह एक सामान्य प्रकार का स्पाइवेयर है, जो मुख्य रूप से विज्ञापन दाताओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है।

ट्रैकिंग कूकीज (Tracking Cookies)- इसके माध्यम से किसी व्यक्ति के इंटरनेट गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है।

सिस्टम मॉनिटर (System Monitor)- इसके माध्यम से किसी व्यक्ति की डिवाइस की गतिविधियों पर नजर रखने और उसे डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है।

ट्रॉजन (Trojans)- इसका उपयोग अकसर वास्तविक एप्लीकेशन दस्तावेज या सॉफ्टवेयर के रूप में चित्रित करने के लिए किया जाता है।

एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या है?

जब हम इंटरनेट पर कोई बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण डाटा सुरक्षित (Save) रखते हैं, तो हम चाहते हैं कि वह डाटा हैक ना हो पाये या कोई उसका गलत उपयोग ना कर सके। इसके अलावा जब हम किसी को कोई निजी संदेश और गोपनीय सूचना भेजते हैं तो हमें इस बात का डर होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे पढ़ ना ले। इसके लिए व्हाट्सएप उस सूचना को एन्क्रिप्ट करता है यानि व्हाट्सएप उसे एक कूट भाषा में लिखते है ताकि किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लगने पर भी उसे न पढ़ा जा सके। दरअसल एन्क्रिप्ट या एन्क्रिप्शन एक प्रक्रिया है जिसमें डाटा को एक ऐसे फॉर्म में बदल दिया जाता है, जिसे पढ़ना या समझना किसी आम आदमी के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि हैकरों को भी डाटा को एन्क्रिप्ट करने के बाद उस डाटा तक अपनी पहुँच बना पाना कठिन हो जाता है। जैस ही डाटा पूरी तरह एन्क्रिप्ट या सुरक्षित हो जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को एन्क्रिप्शन कहा जाता है।

निजता की रक्षा का सवाल

भारत में इजरायल की कंपनी द्वारा कम से कम 121 भारतीयों के मोबाइल फोन पर अवैध तरीके से निगरानी व सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की घटना ने देश के डेटा संरक्षण और निजता संबंधी कानूनों को लेकर लंबे समय से चली आ रही दिक्कतों को नए सिरे से सामने रख दिया है। फेसबुक के अनुषंगी इंस्टैंट मैसेंजर व्हाट्सएप ने इजरायली कंपनी एनएसओ पर अमेरिका की एक अदालत में मुकदमा किया है। उसका कहना है कि कंपनी ने गुप्त रूप से पेगासस नामक निगरानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके संक्रमित मोबाइल फोनों में से लगभग हर प्रकार की जानकारी को दूसरी जगहों पर भेजा। इस सॉफ्टवेयर को व्हाट्सएप के माध्यम से केवल एक मिस्ड कॉल देकर किसी फोन पर इंस्टॉल किया जा सकता है। व्हाट्सएप का दावा है कि यह संक्रमण अप्रैल-मई 2019 में हुआ और तब से अब तक उसने इस जोखिम को समाप्त कर दिया है। उधर एनएसओ का दावा है कि वह इस सॉफ्टवेयर को केवल सरकारी एजेंसियों को बेचती है। इसके बाद मामला और अधिक जटिल हो गया है। एनएसओ के उपभोक्ताओं की सूची देखकर भी यही लगता है कि उनमें से अधिकांश देशों की सरकारें हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर और उससे जुड़ी निगरानी सेवाएँ बहुत महंगी हैं और उन्हें अन्य देशों के साथ मैक्सिको और मिस्र की सरकार को बेचा गया है। जिन भारतीयों को इसका निशाना बनाया गया है उनमें से कई जाने माने मानवाधिकार कार्यकर्ता, अधिवक्ता, पत्रकार और राजनेता हैं। चूंकि यही वह अवधि थी जब भारत में आम चुनाव हो रहे थे और जिनको निशाना बनाया गया उनमें से कई विपक्षी विचारों के या सरकार के खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं इसलिए इस विषय में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। भारत सरकार का दावा है कि व्हाट्सएप ने इस संवेदनशीलता को लेकर खुलकर बात नहीं की और गत मई में देश की कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया टीम तथा अन्य सरकारी एजेंसियों को इस सुरक्षा मसले की जानकारी देते हुए उसने तकनीकी शब्दावली इस्तेमाल की। अब सरकार ने इसकी जाँच के लिए दो संसदीय समितियाँ गठित

की हैं। संभवत: अमेरिका में सुनवाई के दौरान इस विषय में और भी घटनाएँ सामने आएंगी। गौरतलब है कि इन भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने और चोरी छिपे पेगासस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले ने यकीनन भारतीय कानून तोड़ा है। अब तक ऐसी किसी सरकारी एजेंसी का पता नहीं लगा है जिसके बारे में कहा जा सके कि यह उसने किया। यदि यह काम सरकारी एजेंसी ने नहीं किया तो कानून टूटा है। बल्कि सरकारी एजेंसियों के बारे में भी अपेक्षा तो यही रहती है कि वे उच्चस्तर पर ऐसी निगरानी के लिए समुचित इजाजत लेंगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2017 में कहा था कि निजता मूल अधिकार है। इसके बाद सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता वाले आयोग ने निजी डेटा संरक्षण निजता कानून का मसौदा बनाया जिसे जुलाई 2018 में जारी किया गया। इस पर अक्टूबर 2018 तक जनता की राय आमंत्रित की गई। तब से अब तक संसद ने अनेक कानून पारित किए लेकिन यह मसौदा पड़ा रहा। ऐसे कानून के अभाव में यह परिभाषित कर पाना मुश्किल है कि नागरिकों की ऐसी निगरानी कौन सी एजेंसी कब कर सकती है। यह घटना निजता को मूल अधिकार मानने वाले संविधान और संबंधित कानून को पास करने में देरी करने वाली विधायिका का विभाजन साफ नजर आता है।

इजराइल का उदासीन रवैया

कई मानवाधिकार समूहों का कहना है कि कुछ देशों की सरकारें साइबर हथियारों की मदद से अपने राजनीतिक विरोधियों की जासूसी करवाते हैं और अपने खिलाफ होने वाले असंतोष को कुचलने की कोशिश करते हैं। इन आरोपों के बावजूद इजराइल ने साइबर हथियारों के निर्यात संबंधी नियमों में छूट दी है। अगस्त माह में ही इजराइली रक्षा मंत्रालय ने अपने नियमों में बदलाव किया। इस छूट के बाद साइबर इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों को कुछ खास उत्पादों की बिक्री के लिए मार्केटिंग लाइसेंस प्रदान किया गया। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इजराइली कंपनियों के स्पाइवेयर के सबसे बड़े ग्राहकों में शामिल हैं। ये ऐसे देश हैं जिनका मानवाधिकार रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल शुरू से ही इजराइल सरकार को सलाह दे रही थी कि इन लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सख्त बनाना चाहिए।

एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार नियमों के इन छूटों से मानवाधिकार हनन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। रवांडा की सरकार पर आरोप है कि उसने स्पाइवेयर 'पेगासस' का प्रयोग राजनीतिक विरोधियों को मौत के घाट उतारने के लिए भी किया है। एनएसओ पर बार बार हैकिंग नियमों के उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं। फरवरी में यूरोप की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म नोवाल्पिना कैपिटल एलएलपी ने एनएसओ को 100 करोड़ डॉलर में खरीद लिया था। इस तरह एनएसओ भले ही इजराइल में हो, लेकिन उसकी स्वामित्व अब यूरोपीय कंपनी के पास है।

भारत में डाटा सुरक्षा कानून का अभाव

भारत में ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा डाटा स्वामित्व पूर्णत: उपभोक्ता को प्रदान किया गया है तथा इंटरनेट डोमेन में प्रत्येक एंटिटी जो डाटा को डील कर रहे हैं, उन्हें भी उत्तरदायी बनाने का प्रयास हुआ है। इस तरह ट्राई ने उपभोक्ता को स्वामी तथा जो इकाईयाँ इस तरह के डाटा को संग्रहित या प्रोसेसिंग करती हैं, उन्हें केवल संरक्षक कहा है। ट्राई के इन सिफारिशों को मूर्त रूप देने तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिभाषित 'निजता के अधिकार' की पूर्ति के लिए अब जल्द से जल्द डाटा प्रोटेक्शन लॉ को बनाए जाने की जरूरत है। ज्ञात हो, यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में डाटा प्राइवेसी का कठोर कानून पारित किया है। भारत में लोगों के डाटा सुरक्षा में सेंध का मामला पेगासस से पूर्व कैंब्रिज एनालिटीका डाटा लीक मामले में भी दिखा है। कैंब्रिज एनालिटीका में फेसबुक ने भारत के प्रभावितों के प्रति ढुलमुल रवैया रखा था, बाद में सरकार को इस शर्त पर जानकारी दी कि वह इसे सार्वजनिक नहीं करेगी। मालूम हो कि फेसबुक ने अप्रैल 2018 में स्वयं स्वीकार किया था कि भारत में करीब 5.62 लाख लोगों के निजी आंकड़ों की चोरी हुई थी। ऐसे में आवश्यक है कि यूजर्स की निजी जानकारियों की सुरक्षा में सेंधमारी की बढ़ती चिंता के समाधान के लिए सरकार एक विकसित तंत्र का निर्माण करे। ट्राई ने सरकार को ऐसा तंत्र विकसित करने का सुझाव दिया है, जिससे जानकारियों का मालिकाना हक, इसके संरक्षण और इसकी निजता से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का समाधान हो सके। इस बीच भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा है कि सरकार अपने नागरिकों की निजता की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की निगरानी के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां एक निश्चित प्रोटोकॉल का पालन करती हैं।

सरकारी प्रयास

भारत में साइबर सुरक्षा की विभिन्न समस्याओं को चिह्नित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा जारी द्वितीय ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत को 23वें स्थान पर रखा गया है। यह इंडेक्स राष्ट्रों की साइबर सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का मापन करता है। भारत ने संस्थागत, विधायी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न उपायों को अपनाया है। गौरतलब है कि सर्वप्रथम संस्थागत उपाय के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में एयक कंट्रोल, परमाणु और अंतरिक्ष जैसे सामारिक क्षेत्रों में साइबर खतरों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना मूल संरचना संरक्षण केन्द्र (NCIIPC) की स्थापना की गयी है। साथ ही वैधानिक उपाय के तौर पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2008 में संशोधित) लाया गया और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार ने यूएसए, यूरोपीय संघ ओर मलेशिया जैसे देशों के साथ साइबर सुरक्षा हेतु विभिन्न कदम उठाए हें। उदाहरणस्वरूप यूएस-इंडिया साइबर रिलेशनशिप फ्रेमवर्क।

सरकार ने साइबर सुरक्षा के बारे में लोगों को जानकारी देने और साइबर अपराधों को कम करने के लिए कुछ प्रमुख दिशानिर्देश तैयार किये हैं- युवाओं और खासकर स्कूली बच्चों के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से एक पुस्तिका भी तैयार की गयी है, जिसमें बच्चों को साइबर धमकी, सोशल साइटों पर बहलाना-फुसलाना, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन लेन-देन धोखाधड़ी, सोशल नेटवर्क प्रोफाइल के साथ छेड़छाड़ से सुरक्षा के उपाय बताये गये हैं। इसके अलावा और भी कई सावधानियाँ हैं जिन्हें बरतने की आवश्यकता है जिससे ऑनलाइन अपराधियों का शिकार होने से बचा जा सकता है।

आगे की राह

कम्प्यूटर और मोबाइल में एंटी स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के साथ ही समय-समय पर इसे अपडेट भी करते रहना चाहिए। इसके अलावा इंटरनेट पर कोई भी जानकारी सर्च करते समय केवल ऑथेंटिक वेबसाइट पर ही सर्च करना चाहिए।

इंटरनेट बैंकिंग या किसी भी जरूरी अकाउंट का काम पूरा होने के बाद उसे लॉगआउट कर देना चाहिए। पासवर्ड टाइप करने के बाद रिमेंबर पासवर्ड या कीप लॉगिन जैसे ऑप्शन पर कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए। कभी भी साइबर कैफे, ऑफिस या सार्वजनिक सिस्टम पर बैंकिंग लेन-देन नहीं करना चाहिए। कभी भी जन्म तिथि या अपने नाम जैसे साधारण पासवर्ड नहीं बनाना

चाहिए। पासवर्ड में लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का मिश्रण रखा जाना चाहिए। पासवर्ड किसी के भी साथ साझा नहीं करना चाहिए। साथ ही ई-मेल और इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड एक ना हों। ऐसा होने पर पासवर्ड चोरी की आशंका बढ़ जाती है। फेसबुक, ट्विटर और इंटरनेट बैंकिंग के पासवर्ड अलग-अलग होना चाहिए। साथ ही कभी भी इंटरनेट बैंकिंग का यूजर्स नाम और पासवर्ड ई-मेल पर सेव नहीं करना चाहिए। गेम और दूसरे एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बरतना चाहिए। लेनदेन को सुरक्षित रखने के लिए मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर और ई-मेल आईडी किसी के साथ साझा नहीं की जानी चाहिए। बैंकों के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। बैंक की तरफ से आए एलर्ट मैसेज को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह के किसी भी मैसेज मिलने पर तुरंत बैंक से संपर्क करना चाहिए। इस प्रकार हम इन-इन सावधानियों को बरतकर साइबर अपराध को कम कर सकते हैं।

इसके अलावा भारत सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह लंबे समय से लंबित चल रहे 'डाटा प्राइवेसी' कानून को शीघ्र पारित करवाए।

निजी जानकारियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए पूर्व जज बीएन श्रीकृष्णा की अगुवाई वाली समिति की अनुशंसाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। इन अनुशंसाओं के आलोक में 'डाटा प्राइवेसी' कानून अब समय की जरूरत है। साथ ही आवश्यक है कि जिस गति से लोग कंप्यूटर और स्मार्टफोन के प्रयोग में वृद्धि कर रहे हैं, उसी स्तर पर लोगों में इसके उपयोग एवं उससे जुड़ी शर्तों को लेकर अपेक्षित स्तर की जागरूकता नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि न केवल ट्राई और बीएन श्रीकृष्णा समिति की सिफारिशों को सरकार गंभीरता के साथ क्रियान्वित करे अपितु लोगों को इंटरनेट उपयोग करते समय निजता की सुरक्षा को लेकर जागरूक किया जाए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।
- संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन-शोधन और इसे रोकना।

■

2. अयोध्या फैसला : विवाद का अंत

चर्चा का करण

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में अरसे से चले आ रहे जमीन के मालिकाना हक के विवाद पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस फैसले में विवादित जमीन का हक रामजन्मभूमि न्यास को दिया है।

परिचय

इतिहासकारों के अनुसार हिंदू, अयोध्या की जमीन के जिस टुकड़े को राम की जन्मभूमि मानते हैं, उस पर मीर बाकी ने सन 1528-29 में मस्जिद का निर्माण किया था। मीर बाकी मुगल बादशाह बाबर का एक प्रमुख कमांडर था और मूल रूप से ताशकंद (उज्बेकिस्तान का एक शहर) का निवासी था।

गौरतलब है कि 19वीं सदी की शुरूआत में मस्जिद की जगह को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा। विवादित ढाँचा उसी स्थान पर माना गया, जिसे हिंदू राम जन्मभूमि मानते थे। हालांकि, ऐतिहासिक दस्तावेजों में 1672 तक उस स्थान पर कोई मस्जिद, बाबर या मीर बाकी का कोई जिक्र नहीं मिलता है। ठीक इसी तरह बाबरनामा में न तो ऐसी किसी मस्जिद का जिक्र है और न ही मंदिर गिराए जाने का। साल 1574 में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस और 1598 में आईन-ए-अकबरी में भी अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं मिलता है। बावजूद इसके लोगों की आस्था इस स्थल को लेकर बढ़ी नतीजतन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग ने जोर पकड़ा जिसको लेकर रथ यात्रा तक निकाला गया। विदित हो कि यह मामला बड़ा राजनैतिक मुद्दा बना रहा जिसको लेकर दलों की अलग प्रतिक्रिया रही।

राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में राम मंदिर का ताला खोला गया। ये ताला, उस समय अयोध्या में मौजूद विवादित मस्जिद में रामलला की मूर्तियां रखे जाने (बाल राम के प्रकट होने) के बाद कोर्ट के आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए लगाया गया था। लेकिन राजीव गांधी के कार्यकाल में ये ताला खोलकर हिंदुओं को रामलला की पूजा करने की इजाजत दे दी गई थी।

वहीं विवादित जगह का ताला खुलने के साथ ही हिंदुओं के मन में राम जन्मभूमि को लेकर सदियों से दबी हुई नाराजगी सामने आ गयी। विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाकर आंदोलन छेड़ दिया, जैसे ही राम के नाम पर आंदोलन ने जोर पकड़ा, तो तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने 1989 में पालमपुर में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक प्रस्ताव पेश किया और अयोध्या आंदोलन को अपनी पार्टी का प्रमुख सियासी मुद्दा बना लिया। इसके बाद सोमनाथ से अयोध्या तक की रथयात्रा निकाली गई। इसका नतीजा ये हुआ कि हिंदुओं के उत्थान की ये राजनीति उग्र हिंदुत्व के उभार में तब्दील हो गई और 6 दिसंबर, 1992 को विवादित ढाँचा ढहा दिया गया।

कौन थे तीन पक्षकार

1. **निर्मोही अखाड़ा:** निर्मोही अखाड़ा 1528 से रामलला की सेवा के लिए लड़ाई लड़ता रहा है। निर्मोही अखाड़े ने सर्वोच्च न्यायालय में जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए राम जन्म भूमि पर कब्जा और प्रबंधन का अधिकार माँगा था। उसने माँग की थी कि विवादित जमीन का एक तिहाई हिस्सा यानी राम चबूतरा और सीता रसोई वाली जगह उसके नियंत्रण में हो जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया।
2. **रामलला न्यास:** सर्वोच्च अदालते ने रामलला को वैधानिक व्यक्ति (Legal Entity) मानते हुए जमीन का मालिकाना उनको दिया है।
3. **सुन्नी वक्फ बोर्ड:** यह विवादित ढाँचे पर अपना हक जताता रहा है।

मुकदमे का सफर

अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढाँचे पर मुकदमे को लेकर साल 1949 से अब तक कई बार अदालत में बहस हो चुकी है। इन सारी बहसों

के केंद्र में यह प्रश्न था कि विवादित स्थान पर मंदिर है या मस्जिद।

इस मुद्दे की वजह से देश में सांप्रदायिक तनाव का माहौल रहा था। विदित हो कि वर्ष 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि को तीन पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर बाँट दिया।

अयोध्या जमीन विवाद का कालक्रम

- 1885: महंत रघबीर दास ने बाबरी मस्जिद के आसपास के क्षेत्र में मंदिर निर्माण की अनुमति के लिए फैजाबाद अदालत का रुख किया। उनकी दलील को खारिज कर दिया गया।
- 22-23 दिसंबर, 1949: भगवान राम की मूर्तियां रहस्यमय तरीके से मस्जिद के अंदर मिली।
- 1950: गोपाल विशारद और रामचंद्र दास मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति के लिए फैजाबाद अदालत गए।
- 1959: निर्मोही अखाड़ा ने विवादित भूमि पर कब्जे की याचिका दायर की।
- 1961: केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड, सरकार ने मस्जिद के अंदर विवादित भूमि की घोषणा और मूर्तियों को हटाने के लिए अदालत का रुख किया।
- फरवरी 1986: फैजाबाद अदालत ने हिंदुओं को मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति दी।
- नवंबर 1989: राजीव गांधी सरकार ने विश्व हिंदू परिषद (VHP) को विवादित स्थल के पास पूजा करने की अनुमति दी।
- सितंबर 1990: भाजपा नेता एल.के. आडवाणी ने रथयात्रा शुरू की।
- दिसंबर 1992: कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया। जांच के लिए नियुक्त जस्टिस लिब्रहान आयोग का गठन किया गया।
- 1993: नरसिम्हाराव सरकार ने विवादित स्थल से सटे 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया।
- अप्रैल 2002: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टाइटल सूट की सुनवाई शुरू की।
- वर्ष 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पाया कि मस्जिद के नीचे एक पुराना खंडहर मौजूद है, जो हिंदू मंदिर से मिलता-जुलता है।
- मार्च 2003: SC ने मोहद में अधिग्रहित भूमि में धार्मिक गतिविधि पर प्रतिबंध लगा दिया। असलम / भूरें मामला।
- 2009: लिब्रहान कमेटी ने जांच रिपोर्ट सौंपी।
- 30 सितंबर, 2010: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हिंदुओं, मुसलमानों और निर्मोही अखाड़ा के बीच विवादित संपत्ति के बीच विभाजन के लिए बहुमत का फैसला सुनाया।
- मई 2011: SC ने पक्षकारों द्वारा दायर क्रॉस-अपीलों पर उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले के विरुद्ध 14 अपील दायर की गई साथ ही विवाद में मध्यस्थता के विचार पर बल दिया गया था।

नतीजतन मामले को राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानते हुए एक मध्यस्थता पैनल का भी गठन किया गया। न्यायालय ने इस मामले में पक्षकारों के बीच आम सहमति से मामले को निपटाने का सुझाव दिया था। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने तीन सदस्यीय पैनल का गठन भी किया था। इस पैनल के प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एफएम कलीफुल्ला को बनाया गया था। इस समिति के अन्य सदस्यों में आध्यात्मिक गुरू और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू शामिल थे, लेकिन यह कोशिश असफल रही।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार

सुप्रीम कोर्ट की पाँच सदस्यीय पीठ ने 40 दिन की नियमित सुनवाई के बाद पूरे मामले में स्पष्ट फैसला दिया है। इस फैसले की एक और खास बात यह रही कि पाँचों जजों ने एक मत से फैसला सुनाया है। अर्थात् पीठ में शामिल पाँच जजों में से किसी की राय अलग नहीं रही है। इस फैसले में जिन बातों को आधार बनाया गया उनका जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एएसआई (ASI) की खुदाई में निकले सुबूतों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद का निर्माण खाली जमीन पर नहीं हुआ था। विदित हो कि ASI को सर्वेक्षण के दौरान विवादित ढाँचे के नीचे मंदिर के विशाल अवशेष बरामद हुए थे।
- एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में विवादित ढाँचे के नीचे मिली विशाल संरचना को 12वीं सदी का मंदिर बताया है।
- एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया है कि खुदाई में मिले अवशेष व कलाकृतियों का मस्जिद से दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है।
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हिंदुओं के उस दावे पर भी मुहर लगा दी, जिसमें कहा गया था कि विवादित स्थल पर हिंदू पूजा करते रहे थे।
- विदित हो कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, इस दावे का किसी पक्ष ने विरोध नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राम चबूतरा, सीता रसोई भंडार भी हिंदुओं के दावे की पुष्टि करते हैं।
- हिंदू पक्ष की तरफ से यह भी दलील दी गई कि हिंदू मुख्य गुंबद को ही राम जन्म स्थान मानते हैं।
- साक्ष्य के तौर पर हिंदू पक्ष की तरफ से ऐतिहासिक व धार्मिक ग्रंथों का भी हवाला दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- रामलला की जमीन की देखभाल की जिम्मेदारी केंद्र के पास रहेगी। साथ ही तीन महीने में केंद्र सरकार एक ट्रस्ट या बोर्ड बनाएगा, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वह मंदिर बनाए। इस ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को भी प्रतिनिधित्व दिया जाय।
- सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दी जाए।
- शिया वक्फ बोर्ड का दावा विवादित ढाँचे पर था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है, साथ ही उसने निर्मोही अखाड़े का जन्मभूमि के प्रबंधन दावा को भी खारिज कर दिया है।

विश्लेषण

गौरतलब है कि कानून के लिहाज से शायद यह मामला खत्म हो गया लेकिन राजनीति और राज-काज के लिहाज से इसकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जिस तरह से संतुलित प्रतिक्रिया आई है, वह अपनी ही कहानी बयां कर रही है, जिसका जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

- शीर्ष अदालत के इस फैसले में 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द का जिक्र नहीं हुआ जिसके जरिये उन संवैधानिक मूल्यों पर जोर दिया जा सकता था, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता और कानून की नजर में सभी नागरिकों के बराबर होने की बात कही गई है।
- अयोध्या मामले में आस्था के मुद्दे पर अदालत ने बात स्पष्ट कर दी है। जिसके फैसले के अनुसार अयोध्या का मुकदमा अचल संपत्ति से जुड़ा हुआ है। कोर्ट आस्था के आधार पर नहीं बल्कि सुबूतों के आधार पर फैसला करता है। सच तो यह है कि इस मामले में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर बहस के दौरान जिन ऐतिहासिक बातों का जिक्र हुआ, उस पर जजों ने कई सवाल पूछे। हालांकि, अंतिम फैसले में उसने इनमें से ज्यादातर को अप्रासंगिक माना।

- वहीं सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 1860 से पहले संबंधित जगह पर मुसलमानों के नमाज पढ़ने के साक्ष्य कमजोर हैं। संबंधित जगह पर हिंदुओं की पूजा का साक्ष्य कहीं ज्यादा मजबूत रहा है।
- कोर्ट के फैसले में संबंधित जमीन के कथित 'कंपोजिट' नेचर को भी आधार बनाया गया है, लेकिन अदालत ने खुद कहा कि कम से कम 1856 से इसका बंटवारा हो गया था।
- इस फैसले का राजनीतिक असर भी होगा। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये फैसले में विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांटने को कानूनी तौर पर अवांछनीय करार देते हुए यह कहा कि राजनीतिक तौर पर इस पर अमल करना मुश्किल था। उसने कहा, "शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिहाज से उच्च न्यायालय का फैसला सही नहीं लगता। जमीन के बंटवारे से दोनों में से किसी पक्ष का हित नहीं सधेगा या न ही इस फैसले से स्थायी शांति और सौहार्द स्थापित करने में मदद मिलेगी।" कोर्ट ने कहा कि देश की सरकारें हर कीमत पर शांति बनाए रखना चाहती हैं, हालांकि, दिक्कत यह है कि यही बात आगे चलकर राजनीतिकरण की वजह बन सकती है, जिससे अदालत बचना चाहती है।

आगे की राह

अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर दिया गया है और अब इसे संस्थानिक समर्थन मिल गया है। इस मुद्दे के गैर-राजनीतिकरण के लिहाज से यह सफलता है। एक हद तक अब राजनीति अयोध्या से परे हो गई है। इसे भी सफलता की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा न्यायालय को मस्जिद के विध्वंस और उसके बाद हुए दंगों के लिए दायर आपराधिक मामलों का तेजी से निपटारा करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- सामाजिक सशक्तीकरण, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्म-निरपेक्षता।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान।

■

3. आरसीईपी से भारत की दूरी : कारण एवं प्रभाव

चर्चा का कारण

हाल ही में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी का शिखर सम्मेलन बैंकॉक में आयोजित किया गया। यह व्यापारिक स्तर की उच्च स्तरीय बैठक थी, इस सम्मेलन में 16 देशों के शीर्ष नेता शामिल हुए। इस सम्मेलन में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) में शामिल नहीं होगा। गौरतलब है कि आरसीईपी से जुड़े कई मुद्दों को तमाम वार्ताओं के बावजूद भी दूर नहीं किया जा सका, जिसके कारण भारत ने इससे दूरी बनाने का फैसला किया है।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी क्या है

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) एक मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें आसियान के 10 देश (ब्रुनेई, कंम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाइलैण्ड और वियतनाम) हैं। साथ ही इसके 6 प्रमुख एफटीए (Free Trade Agreement) सहयोगी देश चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड हैं, जिनके बीच एक मुक्त व्यापार समझौता होना था। किंतु भारत मुक्त व्यापार समझौते से अलग हो गया है।

आरसीईपी समूह के सभी देश (भारत को शामिल करने के पश्चात) वैश्विक जनसंख्या का 47.6% तथा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 31.6% और वैश्विक सीमा पार व्यापार का 30.8% हिस्से को आच्छादित (Cover) करता है।

आरसीईपी से भारत की दूरी के कारण

भारत ने इस समूह से बाहर होने का फैसला किया है, इसके पीछे कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, जिन पर समूह के अन्य देश सहमत नहीं हैं। समूह के अन्य देशों के भी कुछ विचार हैं जिन पर भारत अपनी स्वीकृति नहीं दे रहा है। इन विचारों को निम्न बिन्दुओं से समझा जा सकता है-

कृषि क्षेत्र की सुभेद्यताः देश के मुख्य शेयरधारक किसान, व्यापार संघ तथा सिविल सोसाइटी इस समझौते के तहत आयात उदारीकरण से चिंतित थे। अर्थव्यवस्था के खुलेपन के बावजूद भारत के व्यापारी वर्ग को काफी घाटा उठाना पड़ रहा है, अगर भारत इस समझौत में शामिल हो जाता तो इन देशों से भारत के आयात में तो वृद्धि होती परंतु भारत से निर्यात में इस गति से वृद्धि नहीं हो पाती, जिससे देश के व्यापार घाटे में विस्तार हो जाता।

यही कारण है कि सरकार ने हमेशा कृषि व्यापार को विश्व उदारीकरण और साथ ही द्विपक्षीय मुक्त व्यापार से बाहर रखा है। इसके साथ ही भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन, कोरिया और जापान के साथ कृषि उत्पादों को आयात शुल्क कटौती से बाहर रखा है।

आयात सुरक्षाः भारत और आरसीईपी के बीच एक मुख्य मुद्दा आयातित वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। आरसीईपी के दिशानिर्देश एवं विषयवस्तु की बात करें तो इसके तहत व्यापार पर टैरिफ एवं गैर-टैरिफ बाधा को उत्तरोत्तर समाप्त करना है। ऐसे में देखा जाए तो भारत के निम्न गुणवत्तायुक्त वस्तु उत्पादन, वस्तुओं की लागत एवं विपणन मूल्य तथा भारतीय कृषक/व्यापारी वर्ग इत्यादि के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस समूह में शामिल नहीं होने का फैसला किया है क्योंकि यदि लोगों को विदेशों से सस्ती एवं गुणवत्तायुक्त वस्तु प्राप्त होगी तो भारत मात्र एक उपभोक्ता बाजार बनकर रह जाएगा साथ ही पूंजी की प्रवाह दर में कमी व पूंजी निर्माण क्षमता हतोत्साहित होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, व्यापारियों, उत्पादकों में असंतोष एवं आक्रोश का दायरा भी बढ़ेगा।

हालाँकि वैश्विक स्तर पर भारत इस समूह के सबसे सक्रिय देश चीन से पहले ही व्यापार घाटा झेल रहा है। वर्ष 2017-18 में भारत का चीन से आयात 71 बिलियन डॉलर से बढ़कर 76 बिलियन डॉलर का हो गया है। गौरतलब है कि इस समझौते के होने के बाद भारत का व्यापार घाटा और बढ़ जाता।

डेयरी क्षेत्र से संबंधित मुद्दाः डेयरी उत्पाद के व्यापारियों को यह आशंका है कि न्यूजीलैण्ड जो कि दुग्ध उत्पाद का वैश्विक स्तर पर दूसरा बड़ा निर्यातक देश है तथा इस समूह का तीसरा बड़ा भागीदार है और कुल निर्यात में चौथा बड़ा

देश है। न्यूजीलैण्ड का डेयरी उद्योग भारत के डेयरी उद्योग की तुलना में काफी सशक्त है आमतौर पर भारत में औसतन दुग्ध उत्पादकों के पास 10 से 12 गाय/भैंस होती हैं जबकि न्यूजीलैण्ड के दुग्ध उत्पादकों के पास औसतन 1000 गायें/भैंसें होती हैं। ऐसे में अगर भारत आरसीईपी में शामिल हो जाता तो देश में बाहर से दूध एवं उससे बने उत्पाद आयातित होते, जिससे देश के किसान बुरी तरह से प्रभावित होते अर्थात् भारत के किसानों को डेयरी उत्पाद का जो मूल्य मिल रहा है, उसमें गिरावट आ जाती। निष्कर्षतः विदेशी डेयरी उद्योग के क्षेत्र में भारतीय डेयरी उद्योग वर्तमान में प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम नहीं हैं।

टैरिफ मुद्दाः एक बात जो बेहद महत्वपूर्ण है, वह यह कि भारत चाहे आरसीईपी से बाहर रहे या अन्दर, उसे कृषि और विनिर्माण क्षेत्र की रक्षा करनी होगी। भारत का आसियान से 80% तक तथा चीन से 42.5% तक टैरिफ घटाने की बात हुई है, परन्तु अपने व्यापार घाटे को देखते हुए भारत ने आरसीईपी देशों में निर्मित उत्पादों पर टैरिफ दर को 11%-14% तक बढ़ाया है तथा कृषि उत्पादों पर टैरिफ 33% से बढ़ाकर 39% तक कर दिया है। उल्लेखनीय है कि यदि भारत इस समूह का सदस्य बनता तो उसे अपनी टैरिफ दर उतरोत्तर घटानी पड़ती, जिससे भारत को घरेलू स्तर पर भारी नुकसान होता। अगर भारत आरसीईपी में शामिल हो जाता तो उसे दक्षिण कोरिया से आने वाले 90 फीसद वस्तुओं पर से टैरिफ हटाना पड़ता। इसके अलावा चीन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड से 74 फीसदी सामनों पर टैरिफ फ्री करना पड़ता।

प्रतियोगिता का स्तरः भारत अभी विनिर्माण एवं कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा के स्तर को बढ़ा नहीं पाया है दूसरी तरफ, दूसरे देश भारत के श्रमिकों एवं सेवा क्षेत्र के लिए अपना बाजार नहीं खोल रहे हैं साथ ही भारत के घरेलू स्तर पर उद्यमियों को दक्षता भी हासिल नहीं है। अतः भारत को प्रतियोगी स्तर पर भी अधिक नुकसान झेलना पड़ सकता है।

ओरीजिन ऑफ गुड्स मुद्दाः भारत चाहता है कि ओरिजिन ऑफ गुड्स के मुद्दे पर कड़े कानून बने क्योंकि चीन किसी अन्य देश के माध्यम से अपने सामान को भारत में बेच सकता है। भारत का तर्क है कि चीन, बांग्लादेश से शुल्क मुक्त व्यापार के माध्यम से अपना कपड़ा भारत में निर्यात कर रहा है। भारत का तर्क है कि किसी वस्तु का मूल्यवर्द्धन उस देश में किया जाना चाहिए जहाँ से उस वस्तु का निर्यात हो, इसके साथ ही वैश्विक स्तर पर वस्तु को उसके घरेलू स्तर के लिये 40%-60% का उत्पादित मूल्य मिलना चाहिए। भारत के कॉपर एवं एल्युमिनियम उद्योग को विशेषतौर पर इस समस्या से ग्रसित होने की आशंका है।

व्यापार घाटाः आज की स्थिति में चीन से भारत का व्यापार घाटा सर्वाधिक 53.5 बिलियन डॉलर का है, साथ ही कुछ अन्य देशों/संगठनों से भारत का व्यापार घाटा का वर्णन निम्नलिखित है- आसियान से 21.8 बिलियन डॉलर का, दक्षिण कोरिया से 12.1 बिलियन डॉलर का, ऑस्ट्रेलिया से 9.6 बिलियन डॉलर का, जापान से 7.9 बिलियन डॉलर और न्यूजीलैंड से 0.2 बिलियन डॉलर का।

मुक्त व्यापार से नुकसानः सामान्यतः मुक्त व्यापार के तहत किसी वस्तु का उत्पादन वही देश करता है जहाँ वह सबसे सस्ती दर पर बनाई जा सकती है अथवा जो देश उस वस्तु के उत्पादन में महारत हासिल कर चुके होते हैं उन्हें उस वस्तु का लाभ मिलता है। मसलन, चीन में सीएफएल बल्ब और भारत में एंटीबायोटिक दवाएं। इससे भारतीय उपभोक्ताओं को चीन में बने सस्ते बल्ब मिलेंगे और चीनी उपभोक्ताओं को भारत में बनी सस्ती दवाएं। दोनों देशों के उपभोक्ताओं को सस्ता माल मिलने से उनके जीवन-स्तर में सुधार होगा। किंतु आसियान देशों को इस तरह का लाभ नहीं हुआ। दरअसल यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक देश को किसी वस्तु के निर्माण में महारत हासिल हो। उदाहरण स्वरूप कई छात्र कई विषयों में प्रवीण होते हैं तो कई छात्र किसी एक विषय में भी ठीक नहीं होते। ऐसे पिछड़े छात्रों के लिए प्रतिस्पर्द्धा नुकसानदेह हो जाती है। इसी प्रकार कई देश किसी भी वस्तु का निर्यात नहीं कर पाते और कमजोर होते जाते हैं। उनके उपभोक्ताओं को विदेश में बना सस्ता माल अवश्य मिल जाता है, लेकिन घरेलू उत्पाद दबाव में आ जाते हैं। दूसरी समस्या है कि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को मुक्त व्यापार में नहीं शामिल किया जाता, जैसे- भारत में सॉफ्टवेयर, अनुवाद कार्य और सिनेमा इत्यादि किफायती होने के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, लेकिन आरसीईपी (RCEP) के तहत केवल वस्तुओं को शामिल किया गया और सेवाओं को इससे बाहर रखा गया। जिन उत्पादित वस्तुओं के मामले में भारत कमजोर है, उनके व्यापार की राह तो खोल दी जाएगी, किंतु जहां भारत सुदृढ़ है, वहां अवरोध बना हुआ है। इसलिए आरसीईपी भारत के लिए नुकसानदेह है।

मुक्त व्यापार से बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ होता है, क्योंकि वे किसी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर माल का उत्पादन कर उसका निर्यात कर सकते हैं। फलस्वरूप छोटे उद्योग दबाव में आ जाएंगे। भारत में इसका उदाहरण जीएसटी के रूप में देखा जा सकता है।

उद्योग क्षेत्र की समस्याः मुक्त व्यापार से प्रतिस्पर्द्धा बढ़ती है और उद्यमियों की कार्यकुशलता एवं क्षमताएँ बेहतर होती हैं। ऐसे में सरकार के सामने अब यही चुनौती है कि आरसीईपी से अलग रहकर अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत बनाए। हमें चिंतन करना होगा कि चीन इतना सस्ता माल बनाने में कैसे सक्षम है? इसकी पहली वजह चीन में श्रम कानूनों का कमजोर होना है। दूसरी वहज वहाँ शासन संबंधी नीतियों से भी है, जहाँ कोई कानून लागू करने से पहले हितधारकों का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। चीन का माल सस्ता होने के और भी कारण हैं जैसे वहाँ औद्योगिक प्रदूषण आदि को लेकर भारत जितनी सख्ती नहीं है।

गौरतलब है कि प्रदूषण पर रोक के कारण भारत में उत्पादन लागत ज्यादा है और भारत को अपनी प्रतिस्पर्द्धा क्षमता बनाए रखने के लिए दूसरे देशों पर यह दबाव डालना चाहिए कि वे भी पर्यावरण की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाएँ, क्योंकि धरती का पर्यावरण हम सबकी साझा विरासत है। यदि हम श्रम कानूनों और भ्रष्टाचार के मसले पर रवैया सुधार लें तथा पर्यावरण को लेकर दूसरे देशों पर दबाव डालें तो हमारा माल भी दूसरे देशों के मुकाबले प्रतिस्पर्द्धी बनेगा और तब हमें मुक्त व्यापार समझौते के अपेक्षित परिणाम हासिल होंगे।

अन्य मुद्देः भारत टैरिफ के लिये 2019 को आधार वर्ष बनाना चाहता है लेकिन इस समूह के सभी सदस्य इसके लिये सहमत नहीं हुए। दूसरा, भारत का यह भी तर्क है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन्स को इस डील से दूर रखा जाए, क्योंकि भारत इसे द्विपक्षीय मुद्दा मानता है। बाकी अन्य देश यह चाहते हैं कि RCEP समूह के देश मोस्ट फेवर्ड नेशन्स के साथ व्यापार, RCEP समझौते के तहत ही करना चाहते हैं ताकि उन्हें भारत जैसा फायदा हो।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड जिनके कृषिगत एवं डेयरी उत्पाद पर पहले से ही मूलतः टैरिफ कटौती की गई है। ज्ञात हो कि ऑस्ट्रेलिया गेहूँ और चीनी का बड़ा निर्यातक है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैण्ड का कारोबार भारत

के लिये राजनैतिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के विरुद्ध तर्क दिया था कि भारत के गन्ना उत्पादकों को सब्सिडी प्रदान कर कृषि समझौते का उल्लंघन हो रहा है। तीन अन्य देश चीन, इंडोनेशिया, थाइलैण्ड भी इस विवाद में तृतीय पक्षकार भागीदार के रूप में शामिल है, इन देशों की रणनीति है कि चीनी पर दी जा रही सब्सिडी को कम करें, लेकिन इससे देश के चीनी उत्पादकों को गहरा आघात पड़ेगा।

यदि भारत इस समझौते पर हस्ताक्षर करता तो इससे भारतीय घरेलू बाजार के शोषण होने की संभावना बढ़ जाती। इस कारण भारत का कृषि एवं विनिर्माण क्षेत्र भविष्य में घट सकता था, साथ ही भारत जिस विकास को पाने की बात कर रहा है, इसके लिये एक आक्रामक घरेलू नीति की आवश्यकता है। आरसीईपी से उत्पन्न अनिश्चितता का नुकसान भारत के किसानों को उठाना पड़ सकता था।

भारत की माँग

भारत इस समझौते के प्रारूप में बदलाव की माँग कर रहा है। इन माँगों में निवेश, व्यापारिक तौर पर सहूलियत, ई-कॉमर्स संबंधी नियमों आदि को शामिल करना चाहता है। ई-कॉमर्स पर अन्य देशों का विरोध है वर्ष 2018 में रिजर्व बैंक ने नियम जारी किये थे जिसके तहत सभी सिस्टम प्रदाताओं से अपने पेमेंट सिस्टम से संबंधित डाटा को भारत के भीतर ही संग्रहित करने का आदेश दिया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय व इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की निगाह भी डाटा स्थानीयकरण पर काफी कड़ी है।

भारत के इस फैसले का महत्त्व

भारत ने स्पष्टत: कहा है कि देश की ''एक्ट ईस्ट पॉलिसी' हमारी हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) नजरिये का अहम हिस्सा है और आसियान इसके केंद्र में है। हालांकि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन आसियान देशों की भू-राजनीतिक और सामरिक स्थिति इस बात पर बल देती है कि इन देशों के साथ मजबूत रिश्ता रखा जाना चाहिए। इस क्षेत्र में चीन अत्यधिक सक्रिय है और लगातार अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। चीन के वर्चस्व बढ़ाने के प्रयासों को प्रभावहीन बनाने और इस क्षेत्र में संतुलन कायम करने की दृष्टि से भारत का आसियान देशों के साथ रणनीतिक रिश्ता मजबूत करना अति आवश्यक है। भारत का आसियान के सदस्य देशों के साथ जमीन, वायु और समुद्री संपर्क बढ़ाने से क्षेत्रीय व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

भौगोलिक रूप से आसियान के सभी देश भारत और चीन, दोनों के करीब है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वियतनाम को छोड़कर ज्यादातर आसियान देश भारत के ज्यादा करीब है। भारत अपनी 'लुक ईस्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत आसियान देशों के साथ जुड़कर अपने आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक रिश्ते मजबूत कर रहा है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत ने पिछले वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आसियान के सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया था। इस सोलहवें भारत-आसियान सम्मेलन की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर यह माना जा सकता है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की बढ़ती भूमिका को आसियान नेताओं ने पहली बार रेखांकित किया है। भारत को चाहिए कि वह आने वाले समय में इस संगठन को एकीकृत और आर्थिक रूप से गतिशील बनाने की दिशा में आने वाली बाधाओं से आसियान नेताओं को अवगत कराएं।

आगे की राह

भारत को विनिर्माण एवं कृषि क्षेत्र में अपने घरेलू उद्यमों को प्रतिस्पर्द्धी बनाने में मदद करनी चाहिए जिससे भारत के डयेरी उद्योग, विनिर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और व्यापारिक वातावरण को एक ठोस आधार मिल सके और अन्य देशों के उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सके। इसके अलावा मुक्त व्यापार समझौते के तहत यदि भारतीय सेवा एवं श्रमिक बाजार को छूट मिलती तो भारत अपना व्यापारिक घाटा कवर कर सकता था, परन्तु यदि देखा जाए तो इस प्रकार के अवसर भारत को क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ता के रूप में उभारने में मदद कर सकते हैं, यदि व्यापार की कुछ खामियों को दूर कर लिया जाए तथा वैश्विक स्तर पर व्यापार को भेदभावपूर्ण न बनाया जाए।

सरकार को चाहिए कि श्रम कानूनों को नरम बनाए, जिससे श्रमिकों की उत्पादकता बढ़े। इसके साथ ही जमीनी स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार पर नकेल कसे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

4. भारत-जर्मनी के बीच सहयोग के क्षेत्र

चर्चा का करण

हाल ही में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भारत की यात्रा की, साथ ही भारत के प्रधानमंत्री के साथ 5वें भारत-जर्मन अंतर्सरकारी परामर्श (Inter-Governmental Consultation) की सह-अध्यक्षता भी की। दोनों राष्ट्रों ने पाँच संयुक्त घोषणा पत्रों का भी आदान-प्रदान किया जिसमें रणनीतिक परियोजनाओं पर सहयोग, हरित शहरी विकास के लिए साझेदारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास और समुद्री कूड़े के निपटान हेतु सहयोग शामिल हैं।

महत्त्वपूर्ण समझौते

जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल की यात्रा के दौरान भारत-जर्मनी के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए हैं जिसका जिक्र निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है-

- कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग।
- अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट शहरों के नेटवर्क में सहयोग।
- व्यावसायिक रोगों तथा दिव्यांग बीमित व्यक्तियों/कामगारों के पुनर्वास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत-जर्मनी भागीदारी की अवधि के विस्तार के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग।
- कृषि तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण में सहयोग पर निएनबर्ग शहर में जर्मन कृषि अकादमी डीईयूएलए और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट के बीच समझौता ज्ञापन।
- इसरो और जर्मन एयरोस्पेस सेंटर के बीच

कार्मिक आदान-प्रदान की व्यवस्था लागू करना।

- स्टार्ट-अप के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने के बारे में आशय की घोषणा।
- कृषि बाजार विकास के संबंध में द्विपक्षीय सहयोग बनाने के बारे में आशय की संयुक्त घोषणा।
- अंतर्देशीय, तटीय और समुद्री प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन।
- सतत विकास के लिए कौशल पर आर्थिक सहयोग और विकास।
- वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने, स्थापित करने और विस्तार करने के बारे में समझौता ज्ञापन।
- आयुर्वेद, योग और ध्यान में अकादमिक सहयोग की स्थापना पर समझौता ज्ञापन।
- उच्च शिक्षा में भारत-जर्मन भागीदारी के विस्तार के लिए समझौता ज्ञापन।
- नागर विमानन के क्षेत्र में सहयोग पर आशय की संयुक्त घोषणा।
- इंडो-जर्मन प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते के प्रमुख तत्वों पर आशय का विवरण।
- नेशनल म्यूजियम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, प्रशियन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन और बर्लिनर श्लॉस में स्टेफ्टुंग हम्बोल्ट फोरम के बीच सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन।

भारत-जर्मनी संबंधों के प्रमुख आयाम

आर्थिक संबंध: भारत और जर्मनी के बीच आर्थिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। जर्मनी भारत का एक प्रमुख आर्थिक भागीदार देश है, जहाँ से भारत में विभिन्न वस्तुओं जैसे- गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल गुड्स, सिंथेटिक सामग्री का व्यापार होता है, साथ ही भारत में जर्मनी से बड़ी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आता है। विदित हो कि 2016-17 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 18.76 अरब डॉलर का था वहीं भारत की 80 कंपनियाँ जर्मनी में कारोबार कर रही हैं। 2010 के बाद से जर्मनी में भारत की कंपनियों ने 140 परियोजनाओं में निवेश किया है। दूसरी तरफ जर्मनी ने भी भारत के ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिकल उपकरण, सर्विस सेक्टर, केमिकल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश किया है। जर्मन ऑटो इंडस्ट्री की जानी-मानी कंपनियों की दस्तक भी भारतीय बाजार में हो गई है। वोक्सवैगन, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसी कार कंपनियों की साख भारत में शिखर पर हैं। इन कंपनियों ने दक्षिण एशिया के बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में ही लगाए हैं। जर्मनी ने गंगा की सफाई में भी निवेश किया है।

कृषि: भारत-जर्मनी के बीच कृषि में मशीनीकरण और फसल कटाई प्रबंधन जैसे मुद्दे पर सहायता संबंधी समझौते पर विचार चल रहा है, इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 तक भारत में कृषकों की आय दोगुना करने में जर्मनी ने भारत की हर-तरह से सहायता करने की बात कही है।

इस मौके पर कृषि क्षेत्र में तकनीकी और पेशेवर प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (एमएएनएजीई) तथा जर्मन एग्रीकल्चर एकेडमी (डीईयूएलए)-निएनबर्ग के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

आतंकवाद: आतंकवाद के लिहाज से जर्मनी काफी महत्व रखता है। दरअसल भारत और जर्मनी आतंकवाद एवं उग्रवाद से निपटने के लिये द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने में एक-दूसरे का समर्थन कर रहे हैं।

हाल ही में आतंकवाद को वैश्विक संकट बताते हुए भारत और जर्मनी ने इससे संयुक्त रूप से मुकाबला करने का संकल्प लिया और सभी देशों से आतंकवाद के सुरक्षित पनाहगाहों, बुनियादी ढांचों को उखाड़ फेंकने व आतंकी नेटवर्क व वित्त पोषण माध्यमों को नष्ट करने व आतंकवादियों के सीमा-पार आवागमन को रोकने का आह्वान किया, इसके तहत निम्न प्रावधानों पर बल दिये जाने की बात दोनों देशों ने कही है-

- दोनों देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (Financial Action Task Force-FATF) की बैठकों में समन्वय और इनके आदेशों के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त करेंगे।
- वैश्विक संकट के खिलाफ लड़ाई के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाने की जरूरत का जिक्र करते हुए दोनों नेताओं ने मार्च 2020 में कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म (सीसीआईटी) को स्वीकृति देने व उसे अंतिम रूप देने का फैसला किया है।
- दोनों नेताओं ने भारत व जर्मनी के आतंकवाद के मुकाबले को लेकर संयुक्त कार्यकारी समूह के ढाँचे के तहत सहयोग जारी रखने पर भी सहमति जताते हुए कार्य आरम्भ करने का निर्णय लिया है।
- इसके साथ ही खुफिया जानकारी व सूचनाओं को साझा करना और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पूरी तरह से पालन करने को लेकर भी सहमति व्यक्त की गई है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी के लिहाज से जर्मनी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। विदित हो कि हाल ही में भारत में जर्मनी के नए राजदूत वाल्टर जे लिंडनर ने कहा, कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलनी चाहिए। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि भारत और जर्मनी G-4 (भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील) समूह के सदस्य हैं। इस समूह के सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिये प्रयासरत हैं।

रक्षा: जर्मनी ने खुले मन से भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में स्वीकार किया है। शुरू में वह भारत के परमाणु कार्यक्रम को लेकर काफी शंकालु था, मगर अब उसने न केवल न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी), मिसाइल टेक्नॉलजी कंट्रोल रीजीम (एमटीसीआर), ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आदि आपूर्तिकर्ता समूहों के साथ भारत के संपर्को का स्वागत किया है, बल्कि एनएसजी में भारत की सदस्यता हेतु प्रयासरत भी है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने जर्मनी को उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित रक्षा गलियारों में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाने के लिये आमंत्रित भी किया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: भारत और जर्मनी के बिच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) एक प्रमुख क्षेत्र है जहाँ दोनों देशों के हित एक-दूसरे के पूरक हैं। ऐसे में जर्मनी जैसे प्रौद्योगिकी और आर्थिक संपन्न देशों की क्षमता भारत की प्राथमिकताओं के लिहाज से उपयोगी साबित हो सकती है। नतीजतन यात्रा के दौरान मर्केल द्वारा नयी और आधुनिक प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कौशल, शिक्षा, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर विशेष जोर दिया गया है। जर्मनी ने कहा कि एआई और डिजिटल क्रांति ऐसे क्षेत्र हैं जहां सहयोग बढ़ाया जा सकता है। खासतौर पर जब डिजिटलीकरण की बात होती है तो भारत में अपार क्षमता है जहाँ डिजिटल विकास बहुत तेज गति से हो रहा है।

इस दिशा में दोनों पक्षों ने अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों पर साझेदारी की दिशा में नियमित

संवाद एवं सहयोग को तेज करने के लिहाज से डिजिटल साझेदारी बनाने के महत्व को भी रेखांकित किया है। दोनों पक्षों ने जिम्मेदारीपूर्ण तथा मानव केंद्रित विकास सुनिश्चित करने एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप एआई का उपयोग करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बनाने के महत्व को भी रेखांकित किया है।

सांस्कृतिक सम्बन्ध: दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध काफी प्रगाढ़ रहे हैं। भारत और जर्मनी के बीच शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की एक लंबी परंपरा रही है जिसकी पुष्टि हाल ही में भारत और जर्मनी के चुनिंदा संग्रहालयों (museums) के बीच सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर से भी होती है। इस समझौते का उद्देश्य पुरातात्विक नृवंशविज्ञान (Archaeological ethnological) और कला एवं उनके ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करना है।

इसमें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और संरक्षण, अध्ययन और शिक्षा इत्यादि कार्य शामिल होंगे। सहयोग का आधार प्रतिभागी संस्थानों का संग्रह और विशेषज्ञता माना गया है। देश के विकास में संस्कृति अहम भूमिका निभाती है। इस समझौता ज्ञापन के साथ, दोनों देशों से संबंधित भाषाओं का जर्मन और भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए संभावनाओं का पता लगाया जाएगा।

पर्यावरण: पर्यावरण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में तब और मजबूती आई जब दोनों देशों के पर्यावरण मंत्रालयों ने जनवरी 2015 में दूसरा इंडो-जर्मन एन्वायरनमेंट फोरम का आयोजन किया था। इसी फोरम में वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया था, जिसकी तीसरी बैठक के दौरान जल और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई है। विदित हो कि हाल ही में भारत-जर्मन पर्यावरण सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित भी किया गया। 'स्वच्छ वायु, हरित अर्थव्यवस्था' इसका मूल विषय था। इस कार्यक्रम में सामूहिक विचार-विमर्श और समानान्तर अधिवेशनों के माध्यम से वायु प्रदूषण नियंत्रण, कचरा प्रबंधन की चुनौतियों, समाधानों और आवश्यक कार्यक्रमों के साथ-साथ क्रमश: पेरिस समझौते तथा संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030 पर आधारित एनडीसी और एसडीजी के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया।

गौरतलब है कि दोनों देशों में 2030 के एजेंडे की प्रगति और उसका कार्यान्वयन धीमा है तथा सरकार, उद्योग जगत एवं समाज को आगे बढ़कर और कुछ करने की जरूरत है।

भारत की मेजबानी में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस के दौरान प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान के बारे में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सहयोग देने के बारे में जर्मनी ने एक चक्रीय अर्थव्यवस्था के सृजन में भारत की प्रतिबद्धता का स्वागत भी किया।

जर्मन बिजनेस की एशिया-प्रशांत समिति और फिक्की के सहयोग से दोनों देशों के पर्यावरण मंत्रालयों द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में मंत्रालयों, कारोबार एवं विज्ञान के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों के लगभग 250 प्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी दर्ज की।

जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भारत में पर्यावरण के अनुकूल शहरी आवागमन में अगले पाँच साल में एक अरब यूरो निवेश करने का वादा किया है। मर्केल की भारत यात्रा के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण सबसे गंभीर स्थिति में पहुंच गया था।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों पक्षों ने कपड़ा क्षेत्र, जल प्रबंधन, समुद्री कूड़ा, ऊर्जा, लैंडफिल साइटों के अपशिष्ट, जल गुणवत्ता प्रबंधन, स्थानीय निकायों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण व सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), भारत सरकार तथा पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा संघीय मंत्रालय, जर्मनी (संक्षिप्त रूप BMU) के प्रतिनिधिमंडल ने उक्त क्षेत्रों में सहयोग की संभावना हेतु मुलाकात की थी।

अन्य विषय: भारत में नौकरशाही लेटलतीफी और लालफीताशाही को लेकर निवेशकों में काफी शिकायत रही है। इसके मद्देनजर यहाँ जर्मन कंपनियों को फास्ट ट्रैक बिजनेस अप्रूवल की खास सहूलियत देने पर सहमति बनी है। इसके तहत उन्हें भारतीय प्रशासन में सिंगल पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मुहैया कराया जाएगा। अगर जर्मन कंपनियों के साथ इस तरह की व्यवस्था काम कर जाती है तो इसे अन्य देशों की कंपनियों के साथ भी लागू किया जा सकता है। ऐसा करके भारत में नौकरशाही को लेकर विदेशी निवेशकों के बीच बनी नकारात्मक धारणा को बदला जा सकेगा।

भारत के जर्मनी में हित

- राजनीतिक वार्ता में अंतराल के बावजूद दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंध मजबूत रहे हैं। यूरोपीय यूनियन में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोपीय यूनियन में जर्मनी और फ्रांस भारत के लिए सबसे अहम देश हैं। भारत चाहता है कि जर्मनी उसके आधारभूत ढाँचे के निर्माण में निवेश करें।
- भारत द्वारा वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसके लिये भारत यूरोपीय संघ से मुक्त व्यापार समझौता करना चाहता है जिसमें जर्मनी का योगदान काफी महत्वपूर्ण हो सकता है।
- दोनों देशों के बीच सामान और सेवाओं का कारोबार सालाना करीब 18 अरब यूरो का है। इतना ही नहीं, जर्मनी भारत में सातवां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक भी है।
- वहीं जर्मनी के लिए भारत एक विशाल बाजार है और जर्मन कंपनियों के लिए कारोबार की बड़ी संभावना है। जर्मन कंपनियों के लिए बाजार के रूप में भारत का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यूरोपीय अर्थव्यवस्था को अमेरिका और चीन के बीच चल रहे कारोबारी विवाद, ब्रेक्जिट को लेकर अनिश्चितता और यूरोपीय संघ की चीजों पर अमेरिकी टैक्स की वजह से मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं।
- जर्मनी अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में विश्व का अव्वल देश है। भारत अभी भी कौशल, विकास और तकनीक के क्षेत्र में काफी पीछे है साथ ही उसकी सैन्य क्षमता भी काफी आधुनिक है। भारत जर्मनी से तकनीक हासिल कर सैन्य क्षेत्र में मौजूद कमियों को दूर कर सकता है।
- जर्मनी के साथ नए भू-सामरिक संबंधों से भारत-जर्मनी के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत को प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी क्षेत्र में बेहतर सहयोग प्राप्त होगा।

आगे की राह

जर्मनी के लिए एशिया या शायद पूरी दुनिया में सबसे अधिक महत्व इस समय अमरीका के बाद चीन का है। भारत को किसी न किसी तरह जर्मनी को यह समझाना होगा कि चीन से उसकी दोस्ती व्यापार संबंधी शर्तों पर टिकी है जबकि भारत जर्मनी से व्यापार के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संबंध रखने में भी कामयाब रहा है।

दुनिया में इस समय भारत की आर्थिक प्रगति अन्य देशों के मुकाबले तेज है। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वह जर्मनी को चीन के निकटस्थ होने से रोके जिससे कि जर्मनी तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमता (AI) इत्यादि क्षेत्रों में भारत को सशक्त होने में मदद करे।

भारत और जर्मनी के बीच वैश्विक साझेदारी में अच्छी प्रगति हो रही है। बहुपक्षीय और बहुध्रुवीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। भारत और जर्मनी पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए अधिकृत दावेदार हैं। इसके संदर्भ में, जी-4 के हिस्से के रूप में हमारा सहयोग महत्वपूर्ण है।

आतंकवाद एक ऐसी वैश्विक चुनौती है, जिसके विरुद्ध विश्व समुदाय को एक साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है और विश्व के सभी हिस्सों में आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करना होगा। भारत और जर्मनी के लिए आतंकवाद से मुकाबला करने में सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ फाइनेंशियल एक्शन टॉस्क फोर्स की बैठकों में अपनी स्थितियों से तालमेल बनाने की भी जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

5. कारोबारी सहजता सूचकांक 2020 : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में विश्व बैंक ने कारोबारी सहजता सूचकांक रिपोर्ट 2020 जारी किया है। वर्ल्ड बैंक का यह सर्वे 190 देशों में कारोबार करने की परिस्थितियों के आकलन के आधार पर जारी हुआ। करोबारी सुगमता में भारत के उल्लेखनीय सुधार के प्रयासों की वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में सराहना की है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- वर्ल्ड बैंक ने भारत के मेक इन इंडिया अभियान की सराहना की है जो विदेशी निवेश को लुभाने, निजी क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने और देश की प्रतिस्पर्द्धा क्षमता में वृद्धि के लिए चलाया जा रहा है।
- रिपोर्ट के अनुसार, न्यूजीलैंड ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा जबकि सोमालिया को 190 वें स्थान पर रखा गया।
- भारत ने इस रिपोर्ट में 63वां स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 14 स्थानों का सुधार हुआ है। वर्ष 2019 में भारत को 77वां स्थाना प्राप्त हुआ था।
- भारत का स्कोर 67.23 (2019) से बढ़कर 71.0 (2020) हो गया है।
- भारत लगातार तीसरे वर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में मौजूद था, जहाँ कारोबारी माहौल में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है।
- इस रिपोर्ट में विश्व बैंक अब दिल्ली और मुंबई के अलावा कोलकाता और बेंगलुरु को भी शामिल करेगा, ताकि व्यापार रिपोर्ट को और भी व्यापक बनाया जा सके तथा देश के कारोबारी माहौल की समग्र तस्वीर उपलब्ध कराई जा सके।
- भारत दक्षिण एशियाई देशों में अपने प्रथम पायदान को बरकरार रखने में सफल रहा है, यद्यपि भारत वर्ष 2014 में छठे पायदान पर था।
- भारत के अलावा 62 अन्य देश जिनमें अरेबिया, जॉर्डन, टोगो, बहरीन, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत, चीन और नाइजीरिया ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है।

परिचय

कारोबारी सुगमता सूचकांक को वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक को विश्व बैंक समूह के शिमोन इजाकोव द्वारा तैयार किया गया था। इस सूचकांक का मापन ग्यारह मानकों के आधार पर किया जाता है जिनसे किसी भी देश में कारोबारी सुगमता की स्थिति तय होती है। व्यवसाय करने के लिये नियमों का सरल होना, कारोबारी सहजता सूचकांक के लिए अहम माना जाता है। इस सूचकांक के मानक निम्नवत दिये गए हैं-

व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया, निर्माण कार्य, विद्युत उपलब्धता, संपत्ति पंजीकरण, क्रेडिट की उपलब्धता, निवेशकों की सुरक्षा, कर प्रणाली, सीमा पार व्यापार, वाणिज्यिक विवाद, बैंकरप्सी और दिवालियापन, श्रमिक कानून इत्यादि।

भारत की स्थिति

विगत 6 सालों में कारोबार सहजता सूचकांक में भारत ने 79 अंकों की छलांग मारी है। वर्ष 2014 में भारत कारोबारी सुगमता के मामले में 142वें स्थान पर था।

हालांकि भारत की स्थिति का विश्लेषण करें तो इस समय आर्थिक सुस्ती से मुश्किलों का सामना कर रहे छोटे उद्योग-कारोबार में सुधार की नई जरूरत अनुभव की जा रही है। छोटे उद्यमी-कारोबारी चाहते हैं कि उन्हें जीएसटी संबंधी मुश्किलों से राहत मिले, साथ ही तकनीकी विकास और नवाचार का भी उन्हें लाभ मिले। खासतौर से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी छोटे उद्यमियों एवं कारोबारियों को बड़ी राहत की अपेक्षा है। ऐसा किए जाने से देश के छोटे उद्योग कारोबार को नया रास्ता मिल सकेगा।

कारोबारी सुगमता मानकों के आधार पर भारत का विश्लेषण

व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रियाः व्यापार के वातावरण को सुधारने में कई कारक जिम्मेदार होते हैं और यह भी आवश्यक नहीं की इनका असर तुरन्त पड़े, कभी-कभी खराब नीतियों के बनाने या उनके क्रियान्वयन से व्यापारिक वातावरण प्रभावित होता है। व्यापारिक वातावरण को सुधारने के लिये, आर्थिक विकास, राजनैतिक स्थिरता, सांस्कृतिक सद्भाव, जोखिम उठाने की क्षमता, अनुकूल माहौल प्राकृतिक संसाधन तथा कई अन्य कारक सहयोगी होते हैं। भारत ने व्यवसाय संबंधी कारकों को प्रभावित करने वाले तत्वों में सुधार किया है।

निर्माण अनुमतिः निर्माण अनुमति के मामले में सरकार द्वारा नियमों में ढील देने के बाद काफी सुधार हुआ है। दिल्ली में निर्माण कार्य में सुधार हेतु अनुमति तथा उसकी प्रक्रियागत कार्यों के लिए लगभग 91 दिन अनुमति देने में लगता है। वहीं मुम्बई में इस कार्य में 99 दिन अनुमति देने में तथा 20 दिन प्रक्रियागत कार्यों में लगता है।

विद्युत उपलब्धताः भारत में वर्ष 2022 तक प्रति जनसंख्या विद्युत उपलब्धता के बढ़ने के साथ ही साथ विद्युतीकरण को 1,894.7 (TeraWatt hour-TWh) तक करने का लक्ष्य है। नवीकरणीय

ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाकर 175 GWh करने का लक्ष्य है। इसके अलावा बिजली क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 14.22 बिलियन डॉलर (दिसम्बर) 2018 तक था। यदि दो बड़े राज्यों को देखें तो दिल्ली में विद्युत मांग 7000 मेगावाट से अधिक है। दिल्ली विद्युत प्राधिकरण ने विद्युत वितरण में सुधार करते हुए 200 किलोवाट तक का कनेक्शन लेना सरल बनाया है तथा बिजली कनेक्शन लेने में मात्र अब 7 दिन का समय लगता है।

भारत में कुल 360.456 मेगावाट विद्युत क्षमता स्थापित की जाएगी। विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा 63.2% थर्मल ऊर्जा का है, नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 12.5% तथा न्यूक्लियर ऊर्जा का हिस्सा 1.9% है।

सम्पत्ति पंजीकरण: संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर भी सरकार बारीकी से ध्यान दिये हुए है। देश में प्रत्येक भूखंड को एक विशिष्ट पंजीकरण नंबर निर्धारित कर इन आंकड़ों का डिजिटलीकरण करना शुरू किया गया है। वर्ष 2008 में राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत देश भर में संपत्ति के पंजीकरण संबंधी आंकड़ों का डिजिटल रूप में एकत्रीकरण किया जा रहा है। वर्तमान में भूमि एवं संपत्ति के पंजीकरण का अधिकार राज्य सरकारों की अधिकारिता में है।

क्रेडिट उपलब्धता: हाल ही में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने निर्यातकों को प्रतिस्पर्द्धी दरों में ऋण उपलब्ध कराने के उपायों पर देश के प्रतिष्ठित संस्थान, भारतीय स्टेट बैंक, निर्यात ऋण गारंटी निगम, निर्यात आयात बैंक, अन्य सार्वजनिक उपक्रम, निजी एवं विदेशी बैंक से चर्चा की। इसी क्रेडिट उपलब्धता के संदर्भ में सुधार करते हुए मुम्बई की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने पिछले वर्ष जून तक 2.57 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट को निर्गत किया। RBI द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार सितम्बर 2019 तक मुंबई में बैंक ऋण 10.24 प्रतिशत तक बढ़ा है।

सीमा पार व्यापार: कारोबारी सहजता सूचकांक के मुताबिक भारत ने सीमा पार व्यापार को सुविधायुक्त बनाया है, इसके लिये व्यापारिक दक्षता में सुधार, जोखिम का प्रबंधन, व्यापारिक दस्तावेज में सुधार, वो चाहे आयात से संबंधित हों या फिर निर्यात से; निर्यातकों को इलेक्ट्रॉनिक सील बन्दी की सुविधा देना तथा माल की ढुलाई में 5% तक की सुविधा प्रदान करना, इतना ही नहीं पोत के उपकरणों एवं उसके प्रबंधन को बढ़ाने के लिए दिल्ली-मुम्बई में एक खिड़की सुविधा भी प्रदान की गई है।

बैंकरप्सी और दिवालियापन: 31 मार्च, 2019 तक कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) से 94 मामलों का समाधान हुआ है और परिणामस्वरूप 1,73,359 करोड़ रुपये के दावों का निपटारा किया गया है। 28 फरवरी, 2019 तक 2.84 लाख रुपये की कुल राशि के 6,079 मामले दिवाला तथा दिवालियापन संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत सुनवाई से पहले वापस लिए गए हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बैंकों को पहले के गैर-निष्पादित खातों से 50,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

वाणिज्यिक विवाद: 1 जून, 2016 को सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal-NCLT) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील प्राधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal-NCLAT) का गठन किया। इनका गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के तहत किया गया। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने इनके लिये अधिसूचना जारी की थी, इसकी 11 पीठ हैं, जिनमें से इसकी मुख्य शाखा सहित दो नई दिल्ली में तथा अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता तथा मुंबई में एक-एक पीठ है। इस प्रकार वाणिज्यिक विवादों के समाधान में भी तेजी आई है।

कर प्रणाली: जीएसटी ने विभिन्न केंद्रीय और राज्य करों को एकल कराधान की छतरी के नीचे ला दिया है, लेकिन व्यापार जगत के फीडबैक के बाद लगातार संशोधन करके जीएसटी को चार समूहों-5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के चार स्लैब के तहत वर्गीकृत किया गया। उच्च जीएसटी वाले स्लैब में मुख्य रूप से लग्जरी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं, जैसे ऑटोमोबाइल और सीमेंट आदि आती हैं। इस प्रकार एकल कर प्रणाली को अपनाकर व्यावसायियों की समस्या को सुलझाया गया है।

श्रमिक कानून: वर्तमान में, श्रम के विभिन्न पहलुओं, जैसे मजदूरी, बोनस, काम करने की स्थिति और औद्योगिक विवादों को नियंत्रित करने वाले 40 राज्य स्तरीय और केंद्रीय कानून मौजूद हैं। इन कानूनों को मजबूत करने के लिए कई सिफारिशें की गई हैं। अगस्त 2017 में लोकसभा में मजदूरी पर एक कोड पेश किया गया था। यह कोड मजदूरी, औद्योगिक संबंधों, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों पर चार कानूनों या श्रम कोड को समेकित करता है।

2013 में एग्जिम बैंक के एक अध्ययन में पाया गया कि भारतीय श्रम कानूनों के प्रावधान के कारण भी भारत में उद्यमों के आकार छोटे हैं। परिणामस्वरूप देश को एक बड़ी रोजगार चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भारत में फर्मों में काम करने वाले श्रमबल की औसत संख्या 75 है, जबकि चीन के 191 और इंडोनेशिया के 178 की तुलना में बहुत कम है और यह तब है जब भारत का उत्पादन आधार काफी हद तक श्रम सघन है। विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा रिपोर्ट में भारतीय श्रम बाजार में संवेदनशीलता को भी उजागर किया गया है।

श्रम कानूनों के कठोर होने के कारण, कंपनियां श्रमिकों की भरपाई पूंजी के उपयोग यानी ऑटोमेशन से कर रही हैं। अतः श्रम कानून को अधिक लचीला बनाया जाना चाहिए जिससे कंपनियाँ श्रमबल की पूर्ति के लिए स्वचालन (ऑटोमेशन) की ओर जाने को बाध्य न हों।

निवेशकों की सुरक्षा: निवेशकों की सुरक्षा से भारत के पूँजी निर्माण में सहायता मिलती है। जैसा कि पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने विनिवेश से 5,000 करोड़ रु. जुटा लिए थे जिसमें सरकार ने 80,000 करोड़ रु. प्राप्तियों के मुकाबले 85,000 करोड़ रु. का आँकड़ा छू लिया है। वित्त वर्ष 2018-19 की समाप्ति से ठीक पहले, सरकारी स्वामित्व वाले पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने आरईसी लिमिटेड में 14,500 करोड़ रु. में 52 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली। विनिवेश के लिये 2020 में सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया है। इस प्रकार ये आँकड़े बताते हैं कि सरकार विनिवेशकों की सुरक्षा पर ध्यान दे रही हैं।

शीर्ष-50 में पहुँचना सरकार का लक्ष्य

सरकार ने भारत को 2020 तक 50 सर्वाधिक कारोबार सुगम देशों में शामिल कराने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने इसके लिए अब महत्वाकांक्षी आर्थिक सुधारों की घोषणा की।

केंद्र सरकार देश में बिजली की कीमतें घटाने और इसमें एकरूपता लाने की दिशा में काम कर रही है, जिसके लिए उसकी थर्मल ऊर्जा उत्पादन तथा शेड्यूलिंग के नियमों में ढील देने की योजना है। ऊर्जा मंत्रालय ने जुलाई में इस पर मेरिट ऑर्डर जारी कर सभी पक्षों से राय मांगी थी, जिस पर उसे सकारात्मक रुख मिला है।

देश में थर्मल ऊर्जा उत्पादन 344 गीगावाट और अक्षय ऊर्जा क्षमता 70 गीगावाट है। इसमें अधिकतम माँग वाले समय में उपलब्धता 173 गीगावाट रहती है। ऊर्जा खरीद समझौता नहीं होने के कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति संभव नहीं हो पाती है। ऐसे में महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, जिसका सीधा असर उपभोक्ता पर भी पड़ता है।

भारत के समक्ष समस्या

इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, परन्तु अभी भी कई समस्याएं हैं जो भारत को और बेहतर रैंकिंग पाने से रोकती हैं। सरकार की प्रक्रियागत मामलों को सुधार करने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, इंटरनेट, डाटा एकत्रीकरण एवं उनका विश्लेषण, ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकी आदि की कमियों को दूर करना बाकी है।

भारत में कारोबार शुरू करने में लगभग एक महीना लगता है जबकि OECD देशों को मात्र 12 दिन लगते हैं। हालांकि भारत के कुछ राज्यों ने व्यापार वातावरण को ठीक बनाया है, परन्तु अखिल भारतीय स्तर पर यह कम है। व्यापार के लिये अनुमति पत्र प्राप्त करने में अभी भी व्यावसायियों को कई विभागों से होकर गुजरना पड़ता है। इन्सॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी की कार्यान्वयन दक्षता पर संदेह बना ही रहता है। इसके अलावा भारत में घरेलू बाजार की सुस्ती एवं प्रतियोगिता का स्तर कम होना भी एक समस्या है।

करों के भुगतान में सुधार हुआ है, परन्तु तकनीकी कठिनाई एवं कर चोरी पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगाया जा सका है। इसके अलावा कानूनी अड़चन, भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्या, लालफीताशाही एवं कार्यालयों तथा मंत्रालय के बीच समन्वय की कमी आदि कई समस्या है जिनके कारण भारत अपनी अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को खो रहा है।

कारोबार सहजता सूचकांक की सीमाएँ

कारोबारी सहजता सूचकांक में अभी भी कई सारे कारकों को शामिल नहीं किया जाता, जो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, उदाहरण के लिये व्यापक आर्थिक स्थिरता, वित्तीय प्रणाली का विकास एवं बाजार का आकार, भ्रष्टाचार, श्रम बल की गुणवत्ता आदि हैं। इस रिपोर्ट में सीमा-पार व्यापार के आंकड़ों में आयात-निर्यात की तार्किक प्रक्रिया की आवश्यकता, समय और लागत पर विचार किया जाता है, लेकिन व्यापार पर टैरिफ लागत एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन लागत का मापन नहीं किया जाता। इसके अलावा बुनियादी ढाँचे पर भी विचार नहीं किया जाता, जिनका सामना फर्म विकासशील देशों में कर रहे होते हैं। जिनके तहत सड़क, रेल, पतन, संचार प्रतियोगिता स्तर आदि आते हैं। वास्तव में कारोबारी सहजता सूचकांक सभी संकेतकों के कुछ आयात पर ही विचार करती है। लेकिन कुछ मानक उदाहरण के लिये समाज की सभी लागत, उचित लाभ का निर्धारण तथा लाभ को पाने का तरीका, व्यावसायिक गुणवत्ता एवं दक्षता को बढ़ाने के लिये उठाया गया भार, भौगोलिक विविधता इत्यादि का मापन नहीं होता।

कारोबारी सहजता सूचकांक को मुख्य रूप से शोधकर्ता एवं नीति निर्माताओं के हिसाब से तैयार किया जाता है। इस रिपोर्ट के आँकड़ों के दायरे सीमित हैं। इससे यह नहीं तय किया जा सकता कि वास्तव में किसी देश की अर्थव्यवस्था का स्तर अच्छा ही है, या फिर देश की घरेलू अर्थव्यवस्था सफल या असफल है।

आगे की राह

यद्यपि यह देखते हुए कि भारत विगत वर्षों से लगातार सुधार कर रहा है, इससे यह तो स्पष्ट है कि देश में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है, इन सुधारों को राजनीतिक स्थिरता, कानून व्यवस्था, बुनियादी ढाँचे को मजबूत करके प्राप्त किया जा सकता है।

यह रिपोर्ट अर्थव्यवस्था के कुछ कमियों या अच्छाइयों को उजागर करती है, नीति निर्माता इस रिपोर्ट का अध्ययन करके बाह्य कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। इसके आधार पर व्यवसायों में गुणवत्ता, दक्षता, समय, लागत, पूंजी, पंजीकरण सुविधा आदि को सुधारा जा सकता है। यह वास्तव में प्रतिस्पर्द्धा को ठोस आधार प्रदान करने में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ध्यातव्य हो कि कई देश जैसे कोलंबिया, मलेशिया एवं रूसी संघ आदि ने इसके आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों को चलाया है तथा कुछ समितियों का भी गठन किया है।

हालांकि यह रिपोर्ट अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत को नहीं दर्शाता बल्कि बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण बातें प्रदर्शित करता है। फिलहाल भारत को व्यापक सुधार कार्य योजनाओं को बनाने की जरूरत है तथा इस संदर्भ में केन्द्र-राज्य को मिलजुलकर नीतिगत निर्णय के साथ आगे बढ़ना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

6. भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र : पुनर्उद्धार की आवश्यकता

चर्चा का कारण

हाल ही में सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने देशभर में अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) के तौर पर 10 हजार करोड़ रुपये देने का फैसला किया है।

इस फंड का इस्तेमाल अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए किया जाएगा ताकि जिन लोगों ने अपने घर बुक किए हैं उन्हें घर मिल जाए। इस फंड के तहत शुरूआत में 10,000 करोड़ की राशि जारी की जाएगी। इसके अलावा 15 हजार करोड़ रुपये एलआईसी हाउसिंग और एसबीआई की ओर से भी दिये जाएंगे।

आवश्यकता क्यों

केंद्र सरकार की इस पहल का मकसद रोजगार पैदा करने के साथ सीमेंट, लोहे और स्टील उद्योगों के लिए मांग में बढ़ोतरी करना है। इसके अलावा, देश की अर्थव्यवस्था में छाई सुस्ती को दूर करना भी है। इस फंड में पेंशन फंड को भी शामिल किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार 14 सितंबर को एआईएफ बनाने का एलान किया था जो किफायती, मध्यम व निम्न आय वर्ग से जुड़ी अधूरी पड़ी 1,600 आवासीय परियोजनाओं को कर्ज देने के लिए स्पेशल विंडो की तरह काम करेगी।

एआईएफ द्वारा परियोजनाओं को कर्ज देने में जो अहम बदलाव किया गया है, वह यह है कि अब ऐसे लेनदारों को भी कर्ज मिल सकेगा, जो खुद को एनपीए घोषित कर सकेंगे या फिर राष्ट्रीय

कंपनी विधिक प्राधिकरण (एनसीएलटी) के तहत दिवालिया होने की प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं।

विशेषज्ञों ने रिजर्व बैंक द्वारा लगातार ब्याज दर में कटौती और अब रियल एस्टेट के लिए पैकेज के एलान से आर्थिक सुस्ती के बादल छंटने की उम्मीद जताई है। ब्लूमबर्ग का कहना है कि भारत जैसे देशों की ओर से अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के प्रयास से कुछ समय बाद सुधार आएगा।

अमेरिकी एजेंसी आईएसएम की रिपोर्ट बताती है कि अक्टूबर से रोजगार के अवसर बढ़े हैं, वहीं आर्थिक विशलेषकों का कहना है कि अर्थव्यवस्था अब धीरे-धीरे पॉजीटिव ग्राफ की दिशा में बढ़ रही है। हालांकि वित्त मंत्री के पैकेज के एलान के बाद भी 1600 अटकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अभी 55000 से 80000 करोड़ रुपये की और जरूरत होगी।

राहत पैकेज से लाभ

इस फंड के द्वारा एक अकाउंट में पैसे डालकर अपूर्ण प्रोजेक्ट को लाभ दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि शुरूआत में यह अकाउंट एसबीआई के पास होगा। साथ ही रेरा (RERA) में जो भी अधूरे प्रोजेक्ट हैं उनको सहयोग दिया जाएगा और उन्हें आखिरी क्षण तक मदद दी जाएगी। यानी अगर 30 प्रतिशत काम अधूरा है तो उन्हें तब तक मदद दी जाएगी जब तक प्रोजेक्ट पूरा न हो जाय ताकि उपभोक्ता को जल्द से जल्द मकान दे दिया जाय। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि एनसीएलटी के तहत आने वाले प्रोजेक्ट भी इसका फायदा उठा सकेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर कंपनी लिक्विडेशन की तरफ जाती है तो उसे इसका फायदा नहीं मिल पाएगा।

सरकार ने नेटवर्थ पॉजीटिव का मतलब भी बताया है। इसका मतलब है कि ग्राहकों से मिलने वाली बकाया रकम और नहीं बिके फ्लैट का कुल मूल्य प्रोजेक्ट की देनदारी से ज्यादा होनी चाहिए। सरकार के अनुसार मुंबई में एआईएफ का फायदा 200 वर्गमीटर कार्पेट एरिया और 2 करोड़ रुपये तक के अटके हुए फ्लैट को मिलेगा।

दिल्ली-एनसीआर, चेन्नई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद और बंगलुरु में 1.5 करोड़ रुपये तक के फ्लैट को इस फंड से मदद मिलेगी। अहमदाबाद और दूसरे शहरों में 1 करोड़ रुपये मूल्य तक के फ्लैट को पूरा करने के लिए इस फंड से मदद मिलेगी।

वर्तमान स्थिति

गौरतलब है कि जुलाई में बजट पेश किए जाने के बाद से शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और बाजार की धारणा भी नकारात्मक बनी हुई है। इसके चलते सरकार को कर से जुड़े फैसलों को वापस लेना पड़ा था और कॉर्पोरेट कर घटाकर 22 फीसदी किए जाने जैसा बड़ा एलान किया गया, जिससे सरकारी खजाने पर लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपये का असर पड़ा।

विश्लेषकों का मानना है कि नवंबर, 2016 में नोटबंदी, फिर जुलाई, 2017 में जीएसटी के लागू होने से रियल एस्टेट क्षेत्र को सबसे तगड़ा झटका लगा। कुछ लोगों का मानना है कि कालेधन को रियल एस्टेट क्षेत्र में व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। तब से अब तक यह क्षेत्र उबरने के लिए जूझ रहा है। एनबीएफसी क्षेत्र में तरलता के संकट की भी इसमें खासी भूमिका रही है।

नीति आयोग के अनुमान के अनुसार, 8.3 लाख करोड़ रु. अनुमानित कारोबार वाला देश का रियल एस्टेट सेक्टर इस दशक की सबसे बड़ी मंदी की चपेट में है। जुलाई में प्रकाशित रियल्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, आठ प्रमुख शहरों-मुंबई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), बंगलुरू, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे और कोलकाता में अनबिके घरों की संख्या 2019 की पहली छमाही में 4,50,263 है। हालांकि 2019 की पहली छमाही में इन शहरों में नए लॉन्च प्रोजेक्ट 21 प्रतिशत तक बढ़ गए थे (2018 में समान अवधि की तुलना में) इसी अवधि में बिक्री केवल 4 प्रतिशत बढ़ी।

2019 की पहली छमाही में मुंबई महानगरीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा अनबिके फ्लैट थे और यह संख्या 1,36,525 थी। 1,30,000 अनबिके फ्लैट के साथ एनसीआर दूसरे स्थान पर है, जबकि बंगलुरू 85,387 अनबिके फ्लैट के साथ तीसरे स्थान पर है।

वैकल्पिक निवेश कोष क्या है

एआईएफ मूल रूप से पूर्वनिर्धारित नीतियों के अनुसार निवेश हेतु भारतीय एवं विदेशी निवेशकों से पूंजी संयोजन (पूलिंग) के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया था। सेबी के दिशानिर्देशों के तहत, एआईएफ मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में काम कर सकते हैं। सेबी के नियम सभी एएफआई जिसमें अन्य फंड्स के अलावा निजी इक्विटी फंड, रीयल स्टेट फंड और हेज फंड के तौर पर संचालन करने वाले सभी पर लागू होंगे।

बिल्डर को परियोजना के तहत सीधे धन नहीं दिया जाएगा बल्कि एक अलग खाते में धन रखा जाएगा। इस धन पर गठित विशेषज्ञ समिति की नजर रहेगी। समिति सुनिश्चित करेगी कि यह धन केवल परियोजनाओं को पूरा करने में ही लगे। सरकार के अनुसार निर्माण कार्य जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा वैसे ही राशि जारी की जाएगी।

चुनौतियाँ

सर्वप्रमुख चिंता इस बात की है कि कहीं ऐसा न हो कि इसका फायदा उठाकर रियल एस्टेट कंपनियाँ अपने को दिवालिया घोषित करती रहें और आम लोगों का एलआईसी का पैसा उनके लिए डूबता रहे। दूसरी तरफ एसबीआई पहले से ही पिछले कुछ सालों में 220 डिफॉल्टर्स का 76,600 करोड़ रुपये चुकाकर राहत की सांस ढूंढ रहा है।

जानकारों का कहना है कि यह अर्थव्यवस्था के साथ एक बहुत बड़ा जुआ है। टैक्सपेयर्स का पैसा एक ऐसे सेक्टर को देना जिसका ट्रैक रिकॉर्ड डिफॉल्ट करने का रहता है, वह अपने आप में बड़ा सवाल है। रियल एस्टेट में इतने डिफॉल्ट इस वजह से होते हैं क्योंकि कोई उचित निगरानी नहीं है।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने भी कहा था कि रीयल एस्टेट में सबसे अधिक काला धन प्रयोग होता है। बिना निगरानी की व्यवस्था को दुरुस्त किए रीयल एस्टेट में सार्वजनिक धन डालना खतरे से खाली नहीं है।

रियल एस्टेट सेक्टर अपनी अनियमितताओं की वजह से पहले ही काफी बदनाम रहा है।

रियल एस्टेट सेक्टर की खामियों को रेगुलेट करने के लिए रेरा का गठन किया गया था लेकिन रेरा की तरफ से भी अधिक शक्तियों की मांग होती रहती है। रेरा के नियमों को पहले ही कमजोर बना दिया गया और अब रेरा के फैसले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सालों अटके रहते हैं।

सितंबर 2019 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि पिछले पांच सालों में एलआईसी का रिस्की इंवेस्टमेंट दोगुना हुआ है। 1956 से 2014 तक एलआईसी का रिस्की इंवेस्टमेंट जहां केवल 11.94 लाख करोड़ था तो वहीं अब यह 22.64 लाख करोड़ रुपए हो गया है। केवल पिछले कुछ ही महीनों में एलआईसी के 57,000 करोड़ का घाटा झेलने की खबरें मीडिया में आईं थीं।

एलआईसी का पैसा अगर डूबता है तो इसका असर भारत की कितनी बड़ी आबादी पर पड़ेगा इस बात का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि देशभर में एलआईसी के 28 करोड़ 84 लाख ग्राहक हैं। देश के इंश्योरेंस बाजार का टोटल फर्स्ट इयर प्रीमियम का 71% हिस्सा अब भी एलआईसी के पास है और एलआईसी हर साल करीब 2 करोड़ नई पॉलिसी देती है।

वहीं एसबीआई का एनपीए 2016-17 में 5 प्रतिशत था जो सितंबर 2019 में बढ़कर 14 प्रतिशत हो गया है। एक आरटीआई से पता चला है कि एसबीआई पिछले तीन साल में 100 करोड़ से अधिक के 220 कर्जदारों का 76,600 करोड़ लोन माफ कर चुका है। साथ ही मार्च 2019 में एसबीआई ने घोषणा की थी कि 500 करोड़ से अधिक के 33 ऐसे लेनदार हैं जिनका 37,700 करोड़ का कर्ज वापस नहीं लिया जा सकता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में संकट के परिणामस्वरूप, रियल एस्टेट बाजार भी उधार की कमी का सामना कर रहा है जो घर के खरीददारों और डेवलपरों, दोनों के लिए धन का एक प्रमुख स्रोत है। काले धन, विशेष रूप से रियल एस्टेट में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए नोटबंदी लागू की गई, जिससे इस क्षेत्र में निवेश प्रभावित हुआ है।

रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट

रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद ग्राहकों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ाना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को पास कर दिया था। यह 1 मई, 2016 को लागू हो गया।

इस अधिनियम को बिल्डरों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के खिलाफ शिकायतों में वृद्धि के अनुसार बनाया गया है। इन शिकायतों में मुख्य रूप से खरीददार के लिए घर कब्जे में देरी, समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी प्रमोटरों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार और कई तरह की समस्याएँ हैं। रेरा (RERA) एक सरकारी निकाय है जिसका एकमात्र उद्देश्य खरीददारों के हितों की रक्षा के साथ ही प्रमोटरों और रियल एस्टेट एजेंटों के लिए एक पक्ष रखना है ताकि उन्हें बेहतर सेवाओं के साथ आगे का मौका मिले।

रियल एस्टेट की बेहतरी के उपाय

अर्थव्यवस्था में जान फूंकें: विशेषज्ञों का कहना है कि मांग में कमी का प्राथमिक कारण कुल मिलाकर खपत में गिरावट है। मंदी के संकेत कई व्यापक आर्थिक मानकों में दिखाई दे रहे हैं- 2019-20 की पहली तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर 5 प्रतिशत के साथ छह साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। एक साल पहले यह 8 प्रतिशत थी। कुछ लोगों का तर्क है कि सरकार बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश के अपने वादे पर चले तो इससे सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। अर्थव्यवस्था में 8 प्रतिशत और उससे अधिक की आर्थिक वृद्धि से ही रियल एस्टेट क्षेत्र को वास्तविक बढ़ावा मिल सकता है क्योंकि इससे नौकरियों की स्थिति सुधरेगी और परिणामस्वरूप आवास की माँग को बढ़ावा मिलेगा।

कर में कमी: कई लोगों का तर्क है कि सरकार को करों को कम करना चाहिए मसलन, रेडी-टू-मूव अपार्टमेंट पर कर लगाना अनुचित है। हालांकि जीएसटी ने कराधान को सरल बना दिया है, लेकिन इससे अचल संपत्ति की लागत कम नहीं हुई है। निर्माणाधीन घरों में मध्यम श्रेणी की संपत्तियों के लिए 5 प्रतिशत जीएसटी और किफायती घरों के लिए 1 प्रतिशत जीएसटी तय किया गया है। हालांकि, इसमें इनपुट क्रेडिट लाभ शामिल नहीं हैं, जिससे खरीद की समग्र लागत कम हो जाती है, यह कीमतों में दी गई रियायत को प्रभावी रूप से खत्म कर देता है। प्रतिस्पर्द्धी कीमतों के कारण पहले निर्माणाधीन घर लोगों की पहली पसंद हुआ करते थे लेकिन खरीददार अब ऐसे प्रोजेक्ट से बचते हैं।

शीघ्र मंजूरी: इस उद्योग की परियोजनाओं के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस (एकल खिड़की मंजूरी) सिस्टम की मांग लंबे समय से लंबित है। मंजूरी में देरी से लागत बढ़ जाती है, जो अंततः खरीददारों पर बोझ हो जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज अनुमोदन प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें दस्तावेजी कामों को कम से कम रखा जाए। इससे उद्योग को और अंततः खरीददारों को लाभ होगा। एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली न केवल इस उद्योग के परिचालन से जुड़े मुद्दों को हल करेगी बल्कि रियल एस्टेट की उत्पादकता में भी सुधार होगा।

कारोबारी सहुलियत बढ़ाएं: कई लोगों की राय है कि सरकार को रियल एस्टेट क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी और लागत में सुधार करने की आवश्यकता है। भारत में पूँजी की लागत विकसित राष्ट्र की तुलना में बहुत अधिक है, जो एक समस्या है। यह उस व्यवसाय की लाभप्रदाता को प्रभावित करता है जहां मार्जिन 10 से 15 प्रतिशत के दायरे में है।

लागत कम करें: लागत को कम करने की व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन योजना से रियल एस्टेट को फायदा होगा। विशेषज्ञ सीमेंट जैसे प्रमुख सामग्री पर करों को कम करने हेतु कदम उठाने का सुझाव भी देते हैं जिस पर वर्तमान में 28 प्रतिशत का जीएसटी लगाया जाता है। विश्लेषक उद्योग के कई अन्य सामग्रियों पर जीएसटी को घटाकर 18 फीसदी करने का तर्क दे रहे हैं, जिससे निर्माण की लागत में कमी आएगी। साथ ही सीमेंट की कीमतों के बेहतर नियमन की भी मांग हो रही है।

कटौती की सीमा हटाई जाए: 2019 के बजट में, सरकार ने करदाताओं को 45 लाख रुपए तक के मूल्य वाले किफायती घरों के लिए 31 मार्च, 2020 तक लिए गए होम लोन पर चुकाए गए ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपए की कटौती की अनुमति दी थी। यह कटौती मौजूदा 2 लाख रुपए के अतिरिक्त है जो पहले से ही आयकर प्रावधानों के तहत है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को 45 लाख रु. की कीमत की सीमा को हटा देना चाहिए और इस कटौती को सभी तरह के घरों की खरीद पर लागू करने की अनुमति देनी चाहिए।

सबके लिए घर एक लक्ष्य के रूप में: सरकार ने 2022 तक सबके लिए घर के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करने के लिए पहले ही कई कदम उठाए हैं। इनमें कई अन्य प्रयासों के साथ-साथ ब्याज सब्सिडी और जीएसटी दरों में कटौती हेतु कमद उठाए गये हैं। इस तरह के हस्तक्षेपों को जारी रखने और इसे गति देने की मांग करते हुए विशेषज्ञों ने यह भी सिफारिश की है कि राष्ट्रीय आवास नीति किराए के आवास को बढ़ावा देने पर भी विचार करें क्योंकि इससे सरप्लस आवास स्टॉक भी तैयार होगा।

निवेशक-हितैषी पहल: आवासीय अचल संपत्ति में निवेश पर रिटर्न कभी दो-अंकों या तीन अंकों तक का हुआ करता था पर पिछले कुछ वर्षों में गिरकर यह एक अंक तक रह गया है। कई स्थानों पर रिटर्न नकारात्मक भी हो गए हैं। आवास में निवेश पर रिटर्न फिलहाल देश के सबसे बेहतरीन बाजारों में भी 2-3 प्रतिशत के बीच ही घूम रहा है। इसके कारण निवेशक निवेश करने से परहेज करते हैं।

खरीददारों की मदद: जेपी एसोसिएट्स, आम्रपाली, अंसल एपीआई, रहेजा डेवलपर्स और एचडीआईएल सहित रियल एस्टेट की कई कंपनियाँ वर्तमान में एनसीएलटी के तहत ऋणदाताओं के साथ रिजॉल्यूशन की कार्रवाई में फंसी हैं। इसने कई घर खरीददारों को बुरी तरह से कर्ज में फंसा दिया है, क्योंकि घर अधूरे हैं और बैंक लोन की मासिक किस्तें जारी हैं। इसके कारण कई खरीददारों ने, खासकर एनसीआर में, राहत के लिए अदालतों का रुख किया है। कानूनी पचड़े में पड़ना, इस सेक्टर की सेहत के लिए अच्छा नहीं है।

आगे की राह

देश में रियल एस्टेट बाजार के 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। इसके बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रियल एस्टेट बाजार बन जाएगा।

इस तरह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का अपने बुरे दौर से गुजरना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत ने इस क्षेत्र के बेहतरी के लिए जो कदम उठाये हैं, वह सराहनीय है। बावजूद इसके वह नाकाफी हैं क्योंकि यह पहली बार नहीं है कि सरकार ने इसके लिए राहत पैकेज जारी किया फिर भी इस क्षेत्र की हालत में सुधार नहीं हो पाया है।

अत: आवश्यकता इस बात की है कि राहत पैकेज के साथ ही साथ रियल सेक्टर में हो रही धोखाधड़ी को खत्म किया जाय और इसे एक बेहतर निगरानी के तहत रखा जाय, जिससे कि निवेशक और बिल्डर्स के बीच विश्वास बना रहे और लोग इस क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश करें। परिणामस्वरूप यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगा जिससे कि भारत का विकसित राष्ट्र बनने का सपना भी साकार हो पाएगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- बुनियादी ढाँचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि।

■

7. गुरूनानक देव की 550वीं जयंती एवं उनके संदेश

चर्चा का कारण

हाल ही में सिख धर्म के संस्थापक और उनके प्रथम गुरूनानक देव जी का 550वां जन्मदिवस मनाया गया।

परिचय

गुरूनानक देव सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरू थे। उनकी जयंती प्रकाश पर्व या गुरू पर्व के रूप में मनाई जाती है। गुरूनानक जी का जन्म पाकिस्तान (पंजाब) में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था। 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। इस दिन को सिख धर्म में काफी उल्लास के साथ मनाया जाता है। इनके पिता का नाम मेहता कालू जी और मां तृप्ती देवी था। गुरूनानक जी ने हिंदू परिवार में जन्म लिया था।

सिख धर्म में मान्यता है कि बचपन से ही गुरूनानक देव जी असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उन्हें अपनी बहन नानकी से काफी कुछ सीखने को मिला। 16 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी सुलक्खनी से हो गई। सुलक्खनी पंजाब के (भारत) गुरदासपुर जिले के लाखौकी की रहने वाली थीं। इनके दो पुत्र श्रीचंद और लख्मी चंद थे। इन दोनों बच्चों के जन्म के कुछ समय बाद ही गुरूनानक जी तीर्थयात्रा पर निकल गए। उन्होंने काफी लंबी यात्राएं कीं। इस यात्रा में उनके साथ मरदाना, लहना, बाला और रामदास भी गए। 1521 तक उन्होंने यात्राएं की। इस यात्रा के दौरान वे सबको उपदेश देते और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करते थे।

उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान कई जगह डेरा भी जमाया। उन्होंने मूर्ति पूजा को निरर्थक माना और रूढ़िवादी सोच का विरोध किया। उन्होंने अपने जीवन का आखिरी समय पाकिस्तान के करतारपुर में बिताया और इसलिए करतापुर सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल बन गया है। 22 सितंबर, 1539 को गुरूनानक जी की मृत्यु हो गई, उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्य भाई लहना को उत्तराधिकारी बनाया, जो आगे चलकर गुरू अंगद देव कहलाए। वे सिखों के दूसरे गुरू माने जाते हैं।

गौरतलब है कि गुरूनानक की शिक्षाएँ गुरू ग्रंथ साहिब (जिसमें 947 काव्य स्त्रोत व प्रार्थनाएँ हैं) में संग्रहीत हैं और गहन विचारों के छन्द गुरूमुखी में दर्ज हैं जिसका ज्ञान आज तक भी अनश्वर है। वही गुरूनानक के जीवन के बारे में पहले के जीवन स्त्रोत जन्मसखी और वर्स अर्थात जीवन काल और छन्द में मौजूद है। जहाँ जन्मसखी जीवन के बारे में जानकारी व खाते और वर्स (छन्द) नानक के जीवन के प्रथम जीवन स्त्रोत है जिसे आज तक मान्यता प्राप्त है। वहीं गुरदास गुरू ग्रंथ साहिब की नक्काशी से सम्बन्धित है। उल्लेखनीय है कि गुरूनानक के जीवन के विधर्म लेख की सही जानकारी देने के लिए भाई मनि सिंह द्वारा ज्ञान रत्नावली भी लिखी गई थी।

गुरूनानक देव जी के उपदेश

गुरूनानक देव जी का व्यक्तित्व असाधारण था। उनमें दार्शनिक, राजयोगी, गृहस्थ, त्यागी, धर्म-सुधारक, समाज-सुधारक, कवि, संगीतज्ञ, देशभक्त, विश्वबन्धु सभी के गुण उत्कृष्ट मात्रा में विद्यमान थे। उनमें विचार-शक्ति और क्रिया-शक्ति का अपूर्व सामंजस्य था। लोगों पर उनके विचारों का असाधारण प्रभाव पड़ा। उनके विचारों के महत्व को यहाँ निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- उन्होंने आध्यात्मिकता के विचार को सामाजिक जिम्मेदारी और सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा में बदला साथ ही लोगों को भौतिक लाभ कमाने के लिए धर्म का उपयोग नहीं करने की सलाह दी।
- उन्होंने सिख धर्म के माध्यम से बुनियादी सिद्धांतों दयालुता, शांति और मानवीयता को प्रसारित किया।
- उनके उपदेशों का गहरा सामाजिक प्रभाव भी पड़ा। उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित जाति व्यवस्था की निंदा की और संस्कारों और पुजारियों जैसे बाहरी सहयोगियों को महत्व नहीं दिया। वेदों को निरर्थक बताते हुए उस पर प्रश्न भी खड़ा किया।
- गुरूनानक ने यह भी पुष्टि कि है सभी मनुष्य एक समान हैं।
- इसके अतिरिक्त उन्होंने महिलाओं की समानता पर प्रमुखता से बल दिया साथ ही महिलाओं को उच्च दर्जा देते हुए उन्हें श्रेष्ठ बताया।
- समानता के आदर्श को उनके द्वारा पूरे मानवीय समुदाय के लिए भोजन, 'लंगर' में एक ठोस संस्थागत रूप दिया गया। जहां सभी भक्त, जाति, पंथ के होने के बावजूद, भोजन के लिए एक पंक्ति में बैठते हैं।
- अहंकार के नुकसान से बचने के लिए, उन्होंने एक गुरू का अनुसरण करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया।
- अपनी युवावस्था में, उन्होंने मुगल शासन की राजनीतिक रूप से दमनकारी नीतियों और दमनकारी प्रथाओं पर हमला करने के लिए संगीत, कविता, गीत और भाषण को हथियार बनाया। नतीजतन नानक को मुगल शासक बाबर के अत्याचारों और असभ्यता की निंदा व उसके धर्मतंत्र के बारे में जिरह करने के लिए गिरफ्तार भी किया गया।
- उन्होंने बताया कि नि:स्वार्थ सेवा के द्वारा ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है तथा ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए आदर्श रूप से ईश्वर ही मुख्यकर्ता

हैं। इसलिए हमें हमेशा पाखंड व झूठ से बचना चाहिए क्योंकि ये व्यर्थ के कार्यों को दिखाता है।

- उन्होंने अपने सभी अनुयायियों को सही राह दिखने के लिए जीवन के तीन सिद्धांत के बारे में बताया है। उन तीन सिद्धांतों को हर सिख परिवार मानता है। गुरूनानक देव जी के जीवन के तीन सिद्धांत हैं: नाम जपो, कीरत करो और वंड चखो।

नाम जपो

उन्होंने सिखों को ईश्वर की कृपा प्राप्ति और स्मरण के लिए प्रतिदिन नितनेम बाणी का पाठ करने को कहा।

कीरत करो

गुरूनानक देव जी ने सिख धर्म के अनुयायियों को गृहस्थ जीवन जीने और कीरत करने का उपदेश दिया। कीरत करने का अर्थ है कि ईश्वर के उपहार और आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए कठिन मेहनत करके ईमानदारी से कमाओ। इसके लिए उन्होंने शारीरिक या फिर मानसिक श्रम करने पर बल दिया साथ ही सभी लोग सदा सत्य बोलें और केवल ईश्वर से डरें। शिष्टाचारपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करें, जिसमें नैतिक मूल्य और आध्यात्मिकता का समावेश हो।

वंड चखो

गुरूनानक देव जी के अनुसार, वंड चखो का अर्थ है कि अर्जित की गई वस्तुओं को दूसरों से साझा करो और साथ मिलकर उसका उपभोग करो। उन्होंने सिखों से कहा है कि वंड चखो सिद्धांत के तहत सभी अपने धन को अपने समुदाय में साझा करो।

समुदाय या साध संगत सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिख धर्म के अनुयायी को उस साध संगत या एक समुदाय का हिस्सा बनना आवश्यक होता है, जो सिख गुरूओं के स्थापित मूल्यों का अनुसरण कर रहा है और हर सिख को अपनी क्षमता के अनुसार अर्जित वस्तुओं और धन आदि संभावित तरीके से अपने समुदाय से साझा करना होता है। गुरूनानक देव जी के महत्वपूर्ण उपदेशों में से देने का उत्साह भी एक प्रमुख उपदेश है।

पुजारियों व काजियों द्वारा गुमराह करने से व परस्पर विरोधी संदेश देने से लोगों की दुर्दशा देखने पर गुरूनानक ने लोगों को आध्यात्मिक सच का मार्गदर्शन करने के लिए पर्यटन भी शुरू किया। उन्होंने चारों दिशाओं में भाई मर्दाना (उनके सहयोगी) के साथ हजारों किलोमीटर की पद यात्रा की और सभी धर्मों, जाति व संस्कृति के लोगों से मिले। उनकी यात्राओं को उदासी कहा गया।

उन्होंने अपनी पहली उदासी में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बांग्लादेश की यात्राएं कीं। उनकी दूसरी उदासी दक्षिण भारत से लेकर श्रीलंका तक थी। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि गुरूनानक जी ने एक उदासी में ही पूरब से दक्षिण तक की यात्रा की, यह यात्रा काल 12 वर्षों का था।

वे अपनी तीसरी उदासी में हिमालय क्षेत्र की ओर गए, जिसमें कांगड़ा और कुल्लू घाटी, पश्चिमी तिब्बत, लद्दाख, कश्मीर और पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब की यात्राएँ शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने कई जगहों की यात्राएं की। इसके बाद वे करतारपुर आ गए।

गौरतलब है कि उनकी लिखी रचनाओं को पांचवें सिख गुरू, गुरू अर्जुन (1563-1606) द्वारा आदिग्रंथ में शामिल किया गया था। यह 10 वें गुरू गुरूगोविंद सिंह (1666-1708) द्वारा किए गए परिवर्धन के बाद गुरू ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाने लगा। आदिग्रंथ के संकलन में, गुरू अर्जुन ने गुरूनानक देव द्वारा शुरू किए गए विचार की एकता को बनाए रखते हुए बहुलवाद के लिए एक उल्लेखनीय प्रतिबद्धता दिखाई। उन्होंने सभी पांच सिख गुरूओं की शिक्षाओं और लेखन को ग्रन्थ में शामिल किया, लेकिन 12 वीं और 16 वीं शताब्दी के बीच कई हिंदू भक्तों और सूफी संतों जैसे बाबा फरीद, संत कबीर, गुरू रविदास और संतनामदेव ने भी इसमें योगदान दिया।

आधुनिक विश्व में गुरूनानक देव की शिक्षाओं की प्रासंगिकता

गुरूनानक साहिब के विचारों की प्रासंगिकता आज के दौर में और भी बढ़ गई है। दरअसल जिन मानवीय अधिकारों के बारे आधुनिक चिंतक अब चेतना को जागृत कर रहे हैं, उनके बारे में गुरूनानक साहिब ने साढ़े पांच सौ साल पहले ही चेतना का परिमार्जन किया था। उनकी शिक्षाओं की प्रासंगिकता को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- उनकी लेखनी भ्रमित समाज में एक प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभाती है।
- आज के समय में विश्वभर में शांति, भाईचारा, सद्भावना को फैलाने में उनकी शिक्षाओं तथा विचारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
- 'वसुधैव कुटुम्बकम' के बारे में उनका मानना था कि पूरा विश्व एक परिवार है। उनका मानना था कि 'तेरा-मेरा' का सवाल ही पैदा नहीं होता और एक होकर जीवन निर्वाह करना तथा मिलकर काम करना गुरूनानक जी के जीवन का मूल संदेश था, जिसकी प्रासंगिकता वर्तमान समय में भी है।
- तपस्वी तथा विलासी के जीवन को छोड़ उन्होंने गृहस्थ आश्रम के बीच का रास्ता अपनाया। यानी कि उन्होंने एक गृहस्थ का जीवन चुना। आज इसे सबसे उपयुक्त रास्ता माना जाता है क्योंकि इसमें एक व्यक्ति को सामाजिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है जिससे परिवारिक संबंधों में टूटन व तनावों को कम किया जा सकता है।
- उन्होंने 16वीं शताब्दी में ही सर्वधर्म पर जोर दिया और अपने समय के सभी मजहब के लोगों से गोष्ठियां कीं। विश्व को आज ऐसे धार्मिक नेताओं की जरूरत है जो शांति, सद्भावना, सौहार्द को आगे ले जाने के लिए विचारों को बांटकर एक नई दिशा प्रदान करें। ऐसे में जहाँ कट्टरता व आतंकवाद कम होगा वही लोगों में एकता व खुशहाली बढ़ेगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उनकी दृष्टि समग्र तथा व्यावहारिक थी। यह दृष्टि त्याग की नहीं बल्कि क्रियाशील भागीदारी पर बल देती।
- गुरूनानक देव का मानना था कि जैसा आप बोते हैं वैसा ही काटेंगे उनके यह विचार सभी को सद्गुणों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर विश्व में अराजकता का माहौल समाप्त कर सकता है।
- सामाजिक मुद्दों पर, गुरूनानक देव ने जाति, रंग, पंथ, लिंग या नस्ल के बावजूद पूर्ण मानव जाति की समानता पर बल दिया। उनके अनुसार, जरूरतमंदों और भूखे लोगों की सेवा करना समाज का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। उनके यह विचार आज के समय में काफी महत्व रखते हैं। दरअसल आज विश्व में वैश्विक भुखमरी व असमानता बढ़ रही है।
- उनका मानना था कि ईमानदारी से श्रम करके तथा जरूरतमंदों में अपनी कमाई बांटकर एक व्यक्ति को अपना जीवन निर्वाह करना

चाहिए। उन्होंने 'दसवंध' की प्रथा का आरंभ किया और कहा कि अपनी कमाई का दसवां हिस्सा जरूरतमंदों में बांटा जाए, जो काफी हद तक वर्तमान विश्व में गरीबी के साथ शोषण को कम कर सकता है।

- पर्यावरण पर गुरूनानक के विचार आज के पर्यावरण समस्याओं के लिहाज से काफी कारगर हो सकते हैं उनके लिए पर्यावरण का मतलब जीवन था। उनका मानना था कि पृथ्वी को माता की तरह, पानी को पिता की तरह और वायु को गुरू की तरह समझना चाहिए। उनके यह विचार अगर वैश्विक स्तर पर अपनाया जाए तो पर्यावरण सम्बन्धित समस्या जैसे ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनाग्नि आदि समस्याओं को काफी हद तक हल किया जा सकता है।
- अर्थशास्त्र और वाणिज्य पर, गुरूनानक देव का उपदेश भी काफी प्रसांगिक हो जाता है उन्होंने निवेश को प्रोत्साहित किया साथ ही, नैतिकता और सत्य व्यवहार पर जोर दिया। गुरूनानक ने अपने अनुयायियों की मूल्य प्रणाली (Value System) के सार में 'समानता', 'अच्छी कार्यशीलता, 'ईमानदारी' और 'कड़ी मेहनत' पर जोर दिया। भारत के धार्मिक इतिहास में यह पहली बार था कि "कड़ी मेहनत" को मूल्य प्रणाली में केंद्रीय स्थान मिला, जिसका पूरे मानव समुदाय के आर्थिक कल्याण पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा।

निष्कर्ष

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि गुरूनानक देव का जीवन, शिक्षाएं और लेखन मानव सभ्यता की सामूहिक विरासत का हिस्सा है। उनकी एकता, समानता, विनम्रता और मानव जाति की सेवा के सिद्धांत का दुनियाभर में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा अभी भी अनुसरण किया जा रहा है। दरअसल इसकी वजह दुनिया में, जो एक संकीर्णता, कट्टरता के साथ तेजी से विखंडित होना है, ऐसे में नानक और अन्य गुरूओं द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना होगा, ताकि अंधेरे को दूर किया जा सके, जो समुदायों और राष्ट्रों के लिए खतरा बन सकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-4

- भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान।

■

स्नात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

1. पेगासस स्पाइवेयर : व्हाट्सएप के माध्यम से जासूसी

प्र. पेगासस स्पाइवेयर क्या है? यह किस प्रकार लोगों के 'निजता के अधिकार' का हनन करता है?

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में व्हाट्सएप ने कहा है कि इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ समूह (NSO Group) द्वारा बनाये गये स्पाइवेयर पेगासस (Pegasus) ने विश्व के लगभग 20 देशों में 1400 व्हाट्सएप प्रयोगकर्ताओं की गोपनीयता और व्यक्तिगत सूचनाओं की जासूसी की है।

पेगासस स्पाइवेयर क्या है

- पेगासस स्पाइवेयर एक प्रकार का मालवेयर (Malware) है जो कम्प्यूटर, मोबाइल, टैबलेट आदि से गुप्त और निजी जानकारी चुराकर उन्हें दूसरे किसी डिवाइस में स्थानांतरित कर देता है। इसे इजरायल की कंपनी एनएसओ समूह ने विकसित किया है। इसमें टारगेट यूजर के पास एक लिंक भेजा जाता है, जैसे ही यूजर लिंक को क्लिक करता है, उसके फोन में यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की स्वीकृति के बिना स्वयं ही इंस्टॉल हो जाता है।

निजता की रक्षा का सवाल

- भारत में इजरायल की कंपनी द्वारा कम से कम 121 भारतीयों के मोबाइल फोन पर अवैध तरीके से निगरानी व सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की घटना ने देश के डेटा संरक्षण और निजता संबंधी कानूनों को लेकर लंबे समय से चली आ रही दिक्कतों को नए सिरे से सामने रख दिया है।
- फेसबुक के अनुषंगी इंस्टैंट मैसेंजर व्हाट्सएप ने इजरायली कंपनी एनएसओ पर अमेरिका की एक अदालत में मुकदमा किया है। उसका कहना है कि कंपनी ने गुप्त रूप से पेगासस नामक निगरानी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके संक्रमित मोबाइल फोनों में से लगभग हर प्रकार की जानकारी को दूसरी जगहों पर भेजा।
- इस सॉफ्टवेयर को व्हाट्सएप के माध्यम से केवल एक मिस्ड कॉल देकर किसी फोन पर इंस्टॉल किया जा सकता है। व्हाट्सएप का दावा है कि यह संक्रमण अप्रैल-मई 2019 में हुआ और तब से अब तक उसने इस जोखिम को समाप्त कर दिया है।

इजराइल का उदासीन रवैया

- कई मानवाधिकार समूहों का कहना है कि कुछ देशों की सरकारें साइबर हथियारों की मदद से अपने राजनीतिक विरोधियों की जासूसी करवाते हैं और अपने खिलाफ होने वाले असंतोष को कुचलने की कोशिश करते हैं। इन आरोपों के बावजूद इजराइल ने साइबर हथियारों के निर्यात संबंधी नियमों में छूट दी है। अगस्त माह में ही इजराइली रक्षा मंत्रालय ने अपने नियमों में बदलाव किया। इस छूट के बाद साइबर इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों को कुछ खास उत्पादों की बिक्री के लिए मार्केटिंग लाइसेंस प्रदान किया गया।

भारत में डाटा सुरक्षा कानून का अभाव

- भारत में ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा डाटा स्वामित्व पूर्णतः उपभोक्ता को प्रदान किया गया है तथा इंटरनेट डोमेन में प्रत्येक एंटिटी जो डाटा को डील कर रहे हैं, उन्हें भी उत्तरदायी बनाने का प्रयास हुआ है। इस तरह ट्राई ने उपभोक्ता को स्वामी तथा जो इकाईयाँ इस तरह के डाटा को संग्रहित या प्रोसेसिंग करती हैं, उन्हें केवल संरक्षक कहा है। ट्राई के इन सिफारिशों को मूर्त रूप देने तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा परिभाषित 'निजता के अधिकार' की पूर्ति के लिए अब जल्द से जल्द डाटा प्रोटेक्शन लॉ को बनाए जाने की जरूरत है। ज्ञात हो, यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में डाटा प्राइवेसी का कठोर कानून पारित किया है।

सरकारी प्रयास

- भारत में साइबर सुरक्षा की विभिन्न समस्याओं को चिह्नित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा जारी द्वितीय ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत को 23वें स्थान पर रखा गया है। यह इंडेक्स राष्ट्रों की साइबर सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का मापन करता है।

आगे की राह

- कम्प्यूटर और मोबाइल में एंटी स्पाइवेयर सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के साथ ही समय-समय पर इसे अपडेट भी करते रहना चाहिए। इसके अलावा इंटरनेट पर कोई भी जानकारी सर्च करते समय केवल ऑथेंटिक वेबसाइट पर ही सर्च करना चाहिए। ■

2. अयोध्या फैसला : विवाद का अंत

प्र. अयोध्या में जमीन के मालिकाना हक को स्पष्ट कर दिया गया है, फिर भी राज-काज के लिहाज से इसकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है। चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में अरसे से चले आ रहे जमीन के मालिकाना हक के विवाद पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस फैसले में विवादित जमीन का हक रामजन्मभूमि न्यास को दिया है।

परिचय

- इतिहासकारों के अनुसार हिंदू, अयोध्या की जमीन के जिस टुकड़े को राम की जन्मभूमि मानते हैं, उस पर मीर बाकी ने सन 1528-29 में मस्जिद का निर्माण किया था। मीर बाकी मुगल बादशाह बाबर का एक प्रमुख कमांडर था और मूल रूप से ताशकंद (उज्बेकिस्तान का एक शहर) का निवासी था।
- गौरतलब है कि 19वीं सदी की शुरूआत में मस्जिद की जगह को लेकर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा। विवादित ढाँचा उसी स्थान पर माना गया, जिसे हिंदू राम जन्मभूमि मानते थे।

मुकदमे का सफर

- अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवादित ढाँचे पर मुकदमे को लेकर साल 1949 से अब तक कई बार अदालत में बहस हो चुकी है। इन सारी बहसों के केंद्र में यह प्रश्न था कि विवादित स्थान पर मंदिर है या मस्जिद।
- इस मुद्दे की वजह से देश में सांप्रदायिक तनाव का माहौल रहा था। विदित हो कि वर्ष 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित भूमि को तीन पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर बाँट दिया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एएसआई (ASI) की खुदाई में निकले सुबूतों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद का निर्माण खाली जमीन पर नहीं हुआ था। विदित हो कि ASI को सर्वेक्षण के दौरान विवादित ढाँचे के नीचे मंदिर के विशाल अवशेष बरामद हुए थे।
- एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में विवादित ढाँचे के नीचे मिली विशाल संरचना को 12वीं सदी का मंदिर बताया है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

- रामलला की जमीन की देखभाल की जिम्मेदारी केंद्र के पास रहेगी। साथ ही तीन महीने में केंद्र सरकार एक ट्रस्ट या बोर्ड बनाएगा, जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वह मंदिर बनाए। इस ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को भी प्रतिनिधित्व दिया जाय।
- सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दी जाए।
- शिया वक्फ बोर्ड का दावा विवादित ढाँचे पर था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है, साथ ही उसने निर्मोही अखाड़े का जन्मभूमि के प्रबंधन दावा को भी खारिज कर दिया है।

विश्लेषण

- शीर्ष अदालत के इस फैसले में 'धर्मनिरपेक्षता' शब्द का जिक्र नहीं हुआ जिसके जरिये उन संवैधानिक मूल्यों पर जोर दिया जा सकता था, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता और कानून की नजर में सभी नागरिकों के बराबर होने की बात कही गई है।

आगे की राह

- अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर दिया गया है और अब इसे संस्थानिक समर्थन मिल गया है। इस मुद्दे के गैर-राजनीतिकरण के लिहाज से यह सफलता है। एक हद तक अब राजनीति अयोध्या से परे हो गई है। इसे भी सफलता की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा न्यायालय को मस्जिद के विध्वंस और उसके बाद हुए दंगों के लिए दायर आपराधिक मामलों का तेजी से निपटारा करना चाहिए। ■

3. आरसीईपी से भारत की दूरी : कारण एवं प्रभाव

प्र. आरसीईपी से भारत की दूरी बनाने के कारणों का वर्णन करें, साथ ही संभावित प्रभावों की चर्चा करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी का शिखर सम्मेलन बैंकॉक में आयोजित किया गया। यह व्यापारिक स्तर की उच्च स्तरीय बैठक थी, इस सम्मेलन में 16 देशों के शीर्ष नेता शामिल हुए। इस सम्मेलन में भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) में शामिल नहीं होगा।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी क्या है

- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) एक मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें आसियान के 10 देश (ब्रुनेई, कंम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाइलैण्ड और वियतनाम) हैं। साथ ही इसके 6 प्रमुख एफटीए (Free Trade Agreement) सहयोगी देश चीन, जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड हैं, जिनके बीच एक मुक्त व्यापार समझौता होना था। किंतु भारत मुक्त व्यापार समझौते से अलग हो गया है।

आरसीईपी से भारत की दूरी के कारण

- **कृषि क्षेत्र की सुभेद्यताः** देश के मुख्य शेयरधारक किसान, व्यापार संघ तथा सिविल सोसाइटी इस समझौते के तहत आयात उदारीकरण से चिंतित थे। अर्थव्यवस्था के खुलेपन के बावजूद भारत के व्यापारी वर्ग को काफी घाटा उठाना पड़ रहा है।
- **आयात सुरक्षाः** भारत और आरसीईपी के बीच एक मुख्य मुद्दा आयातित वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। आरसीईपी के दिशानिर्देश एवं विषयवस्तु की बात करें तो इसके तहत व्यापार पर टैरिफ एवं गैर-टैरिफ बाधा को उत्तरोत्तर समाप्त करना है। ऐसे में देखा जाए तो भारत के निम्न गुणवत्तायुक्त वस्तु उत्पादन, वस्तुओं की लागत एवं विपणन मूल्य तथा भारतीय कृषक/व्यापारी वर्ग इत्यादि के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस समूह में शामिल नहीं होने का फैसला किया है
- **डेयरी क्षेत्र से संबंधित मुद्दाः** डेयरी उत्पाद के व्यापारियों को यह आशंका है कि न्यूजीलैण्ड जो कि दुग्ध उत्पाद का वैश्विक स्तर पर दूसरा बड़ा निर्यातक देश है तथा इस समूह का तीसरा बड़ा भागीदार है और कुल निर्यात में चौथा बड़ा देश है।
- **टैरिफ मुद्दाः** एक बात जो बेहद महत्वपूर्ण है, वह यह कि भारत चाहे आरसीईपी से बाहर रहे या अन्दर, उसे कृषि और विनिर्माण क्षेत्र की

रक्षा करनी होगी। भारत का आसियान से 80% तक तथा चीन से 42.5% तक टैरिफ घटाने की बात हुई है, परन्तु अपने व्यापार घाटे को देखते हुए भारत ने आरसीईपी देशों में निर्मित उत्पादों पर टैरिफ दर को 11%-14% तक बढ़ाया है।

- **ओरीजिन ऑफ गुड्स मुद्दा:** भारत चाहता है कि ओरिजन ऑफ गुड्स के मुद्दे पर कड़े कानून बने क्योंकि चीन किसी अन्य देश के माध्यम से अपने सामान को भारत में बेच सकता है। भारत का तर्क है कि चीन, बांग्लादेश से शुल्क मुक्त व्यापार के माध्यम से अपना कपड़ा भारत में निर्यात कर रहा है।
- **मुक्त व्यापार से नुकसान:** सामान्यत: मुक्त व्यापार के तहत किसी वस्तु का उत्पादन वही देश करता है जहाँ वह सबसे सस्ती दर पर बनाई जा सकती है अथवा जो देश उस वस्तु के उत्पादन में महारत हासिल कर चुके होते हैं उन्हें उस वस्तु का लाभ मिलता है। मसलन, चीन में सीएफएल बल्ब और भारत में एंटीबायोटिक दवाएं।
- **उद्योग क्षेत्र की समस्या:** मुक्त व्यापार से प्रतिस्पर्द्धा बढ़ती है और उद्यमियों की कार्यकुशलता एवं क्षमताएँ बेहतर होती हैं। ऐसे में सरकार के सामने अब यही चुनौती है कि आरसीईपी से अलग रहकर अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत बनाए।
- **अन्य मुद्दे:** भारत टैरिफ के लिये 2019 को आधार वर्ष बनाना चाहता है लेकिन इस समूह के सभी सदस्य इसके लिये सहमत नहीं हुए। दूसरा, भारत का यह भी तर्क है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन्स को इस डील से दूर रखा जाए, क्योंकि भारत इसे द्विपक्षीय मुद्दा मानता है। बाकी अन्य देश यह चाहते हैं कि RCEP समूह के देश मोस्ट फेवर्ड नेशन्स के साथ व्यापार, RCEP समझौते के तहत ही करना चाहते हैं ताकि उन्हें भारत जैसा फायदा हो।

भारत के इस फैसले का महत्त्व

- भारत ने स्पष्टत: कहा है कि देश की ''एक्ट ईस्ट पॉलिसी' हमारी हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) नजरिये का अहम हिस्सा है और आसियान इसके केंद्र में है। हालांकि भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन आसियान देशों की भू-राजनीतिक और सामरिक स्थिति इस बात पर बल देती है कि इन देशों के साथ मजबूत रिश्ता रखा जाना चाहिए।

आगे की राह

- भारत को विनिर्माण एवं कृषि क्षेत्र में अपने घरेलू उद्यमों को प्रतिस्पर्द्धी बनाने में मदद करनी चाहिए जिससे भारत के डयेरी उद्योग, विनिर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और व्यापारिक वातावरण को एक ठोस आधार मिल सके और अन्य देशों के उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सके। ■

4. भारत-जर्मनी के बीच सहयोग के क्षेत्र

प्र. भारत-जर्मनी संबंधों के प्रमुख आयामों को बताते हुए जर्मनी के लिए भारत के महत्त्व को रेखांकित कीजिए।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भारत की यात्रा की, साथ ही भारत के प्रधानमंत्री के साथ 5वें भारत-जर्मन अंतर्सरकारी परामर्श (Inter-Governmental Consultation) की सह- अध्यक्षता भी की।

महत्त्वपूर्ण समझौते

- कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग।
- अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट शहरों के नेटवर्क में सहयोग।
- व्यावसायिक रोगों तथा दिव्यांग बीमित व्यक्तियों/कामगारों के पुनर्वास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन।
- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत-जर्मनी भागीदारी की अवधि के विस्तार के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग।

भारत-जर्मनी संबंधों के प्रमुख आयाम

- **आर्थिक संबंध:** भारत और जर्मनी के बीच आर्थिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। जर्मनी भारत का एक प्रमुख आर्थिक भागीदार देश है, जहाँ से भारत में विभिन्न वस्तुओं जैसे- गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेटल गुड्स, सिंथेटिक सामग्री का व्यापार होता है
- **कृषि:** भारत-जर्मनी के बीच कृषि में मशीनीकरण और फसल कटाई प्रबंधन जैसे मुद्दे पर सहायता संबंधी समझौते पर विचार चल रहा है, इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 तक भारत में कृषकों की आय दोगुना करने में जर्मनी ने भारत की हर-तरह से सहायता करने की बात कही है।
- **आतंकवाद:** आतंकवाद के लिहाज से जर्मनी काफी महत्व रखता है। दरअसल भारत और जर्मनी आतंकवाद एवं उग्रवाद से निपटने के लिये द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने में एक-दूसरे का समर्थन कर रहे हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी के लिहाज से जर्मनी भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। विदित हो कि हाल ही में भारत में जर्मनी के नए राजदूत वाल्टर जे लिंडनर ने कहा, कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलनी चाहिए।
- **रक्षा:** जर्मनी ने खुले मन से भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में स्वीकार किया है। शुरू में वह भारत के परमाणु कार्यक्रम को लेकर काफी शंकालु था, मगर अब उसने न केवल न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (एनएसजी), मिसाइल टेक्नॉलजी कंट्रोल रीजीम (एमटीसीआर), ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आदि आपूर्तिकर्ता समूहों के साथ भारत के संपर्कों का स्वागत किया है।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:** भारत और जर्मनी के बिच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) एक प्रमुख क्षेत्र है जहाँ दोनों देशों के हित एक-दूसरे के पूरक हैं। ऐसे में जर्मनी जैसे प्रौद्योगिकी और आर्थिक संपन्न देशों की क्षमता भारत की प्राथमिकताओं के लिहाज से उपयोगी साबित हो सकती है।
- **सांस्कृतिक सम्बन्ध:** दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध काफी प्रगाढ़ रहे हैं। भारत और जर्मनी के बीच शैक्षणिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की एक लंबी परंपरा रही है जिसकी पुष्टि हाल ही में भारत और जर्मनी के चुनिंदा संग्रहालयों (museums) के बीच सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर से भी होती है।

- **पर्यावरणः** पर्यावरण के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में तब और मजबूती आई जब दोनों देशों के पर्यावरण मंत्रालयों ने जनवरी 2015 में दूसरा इंडो-जर्मन एन्वायरनमेंट फोरम का आयोजन किया था।

भारत के जर्मनी में हित

- राजनीतिक वार्ता में अंतराल के बावजूद दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंध मजबूत रहे हैं। यूरोपीय यूनियन में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोपीय यूनियन में जर्मनी और फ्रांस भारत के लिए सबसे अहम देश हैं। भारत चाहता है कि जर्मनी उसके आधारभूत ढाँचे के निर्माण में निवेश करें।

आगे की राह

- जर्मनी के लिए एशिया या शायद पूरी दुनिया में सबसे अधिक महत्व इस समय अमरीका के बाद चीन का है। भारत को किसी न किसी तरह जर्मनी को यह समझाना होगा कि चीन से उसकी दोस्ती व्यापार संबंधी शर्तों पर टिकी है जबकि भारत जर्मनी से व्यापार के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संबंध रखने में भी कामयाब रहा है। ■

5. कारोबारी सहजता सूचकांक 2020 : एक अवलोकन

प्र. वर्तमान वर्ष में कारोबारी सहजता सूचकांक में भारत के रैंकिंग में सुधार तो हुआ है किन्तु इसके समक्ष अभी भी कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं। विश्लेषण करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में विश्व बैंक ने कारोबारी सहजता सूचकांक रिपोर्ट 2020 जारी किया है। वर्ल्ड बैंक का यह सर्वे 190 देशों में कारोबार करने की परिस्थितियों के आकलन के आधार पर जारी हुआ।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

- वर्ल्ड बैंक ने भारत के मेक इन इंडिया अभियान की सराहना की है जो विदेशी निवेश को लुभाने, निजी क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने और देश की प्रतिस्पर्द्धा क्षमता में वृद्धि के लिए चलाया जा रहा है।
- रिपोर्ट के अनुसार, न्यूजीलैंड ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा जबकि सोमालिया को 190 वें स्थान पर रखा गया।

कारोबारी सुगमता मानकों के आधार पर भारत का विश्लेषण

- व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया, निर्माण अनुमति, विद्युत उपलब्धता, सम्पत्ति पंजीकरण, क्रेडिट उपलब्धता, सीमा पार व्यापार, बैंकरप्सी और दिवालियापन, वाणिज्यिक विवाद, कर प्रणाली, श्रमिक कानून, निवेशकों की सुरक्षा आदि।

भारत के समक्ष समस्या

- इस रिपोर्ट को देखें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, परन्तु अभी भी कई समस्याएं हैं जो भारत को और बेहतर रैंकिंग पाने से रोकती हैं। सरकार की प्रक्रियागत मामलों को सुधार करने के लिये आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, इंटरनेट, डाटा एकत्रीकरण एवं उनका विश्लेषण, ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकी आदि की कमियों को दूर करना बाकी है।

कारोबार सहजता सूचकांक की सीमाएँ

- कारोबारी सहजता सूचकांक में अभी भी कई सारे कारकों को शामिल नहीं किया जाता, जो राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, उदाहरण के लिये व्यापक आर्थिक स्थिरता, वित्तीय प्रणाली का विकास एवं बाजार का आकार, भ्रष्टाचार, श्रम बल की गुणवत्ता आदि हैं। इस रिपोर्ट में सीमा-पार व्यापार के आंकड़ों में आयात-निर्यात की तार्किक प्रक्रिया की आवश्यकता, समय और लागत पर विचार किया जाता है, लेकिन व्यापार पर टैरिफ लागत एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिवहन लागत का मापन नहीं किया जाता।

आगे की राह

- यद्यपि यह देखते हुए कि भारत विगत वर्षों से लगातार सुधार कर रहा है, इससे यह तो स्पष्ट है कि देश में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है, इन सुधारों को राजनीतिक स्थिरता, कानून व्यवस्था, बुनियादी ढाँचे को मजबूत करके प्राप्त किया जा सकता है। ■

6. भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र : पुनर्उद्धार की आवश्यकता

प्र. रियल एस्टेट सेक्टर में सरकार द्वारा वैकल्पिक निवेश फंड के तहत राशि प्रदान की गयी है। क्या इस प्रकार के कदम से रियल एस्टेट मंदी से उबर पाएगा? चर्चा करें।

उत्तरः

चर्चा का कारण

- हाल ही में सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने देशभर में अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) के तौर पर 10 हजार करोड़ रुपये देने का फैसला किया है।

राहत पैकेज से लाभ

- इस फंड के द्वारा एक अकाउंट में पैसे डालकर अपूर्ण प्रोजेक्ट को लाभ दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि शुरूआत में यह अकाउंट एसबीआई के पास होगा। साथ ही रेरा (RERA) में जो भी अधूरे प्रोजेक्ट हैं उनको सहयोग दिया जाएगा और उन्हें आखिरी क्षण तक मदद दी जाएगी। यानी अगर 30 प्रतिशत काम अधूरा है तो उन्हें तब तक मदद दी जाएगी जब तक प्रोजेक्ट पूरा न हो जाय ताकि उपभोक्ता को जल्द से जल्द मकान दे दिया जाय। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि एनसीएलटी के तहत आने वाले प्रोजेक्ट भी इसका फायदा उठा सकेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर कंपनी लिक्विडेशन की तरफ जाती है तो उसे इसका फायदा नहीं मिल पाएगा।

वर्तमान स्थिति

- गौरतलब है कि जुलाई में बजट पेश किए जाने के बाद से शेयर बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और बाजार की धारणा भी नकारात्मक बनी हुई है। इसके चलते सरकार को कर से जुड़े फैसलों को वापस लेना पड़ा था और कॉर्पोरेट कर घटाकर 22 फीसदी किए

जाने जैसा बड़ा एलान किया गया, जिससे सरकारी खजाने पर लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपये का असर पड़ा।

चुनौतियाँ

- सर्वप्रमुख चिंता इस बात की है कि कहीं ऐसा न हो कि इसका फायदा उठाकर रियल एस्टेट कंपनियाँ अपने को दिवालिया घोषित करती रहें और आम लोगों का एलआईसी का पैसा उनके लिए डूबता रहे। दूसरी तरफ एसबीआई पहले से ही पिछले कुछ सालों में 220 डिफॉल्टर्स का 76,600 करोड़ रुपये चुकाकर राहत की सांस ढूंढ रहा है।

रियल एस्टेट की बेहतरी के उपाय

- **अर्थव्यवस्था में जान फूंकें:** विशेषज्ञों का कहना है कि मांग में कमी का प्राथमिक कारण कुल मिलाकर खपत में गिरावट है। मंदी के संकेत कई व्यापक आर्थिक मानकों में दिखाई दे रहे हैं- 2019-20 की पहली तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर 5 प्रतिशत के साथ छह साल के निचले स्तर पर पहुंच गई।
- **कर में कमी:** कई लोगों का तर्क है कि सरकार को करों को कम करना चाहिए मसलन, रेडी-टू-मूव अपार्टमेंट पर कर लगाना अनुचित है।
- **शीघ्र मंजूरी:** इस उद्योग की परियोजनाओं के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस (एकल खिड़की मंजूरी) सिस्टम की मांग लंबे समय से लंबित है। मंजूरी में देरी से लागत बढ़ जाती है, जो अंततः खरीददारों पर बोझ हो जाती है।
- **कारोबारी सहुलियत बढ़ाएं:** कई लोगों की राय है कि सरकार को रियल एस्टेट क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी और लागत में सुधार करने की आवश्यकता है।
- **लागत कम करें:** लागत को कम करने की व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन योजना से रियल एस्टेट को फायदा होगा। विशेषज्ञ सीमेंट जैसे प्रमुख सामग्री पर करों को कम करने हेतु कदम उठाने का सुझाव भी देते हैं जिस पर वर्तमान में 28 प्रतिशत का जीएसटी लगाया जाता है।
- **खरीददारों की मदद:** जेपी एसोसिएट्स, आम्रपाली, अंसल एपीआई, रहेजा डेवलपर्स और एचडीआईएल सहित रियल एस्टेट की कई कंपनियाँ वर्तमान में एनसीएलटी के तहत ऋणदाताओं के साथ रिजॉल्यूशन की कार्रवाई में फंसी हैं।

आगे की राह

- देश में रियल एस्टेट बाजार के 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। इसके बाद यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रियल एस्टेट बाजार बन जाएगा।
- इस तरह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का अपने बुरे दौर से गुजरना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत ने इस क्षेत्र के बेहतरी के लिए जो कदम उठाये हैं, वह सराहनीय है। ■

7. गुरूनानक देव की 550वीं जयंती एवं उनके संदेश

प्र. वर्तमान समय में गुरूनानक देव की शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में सिख धर्म के संस्थापक और उनके प्रथम गुरूनानक देव जी का 550वां जन्मदिवस मनाया गया।

गुरूनानक देव जी के उपदेश

- उन्होंने आध्यात्मिकता के विचार को सामाजिक जिम्मेदारी और सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा में बदला साथ ही लोगों को भौतिक लाभ कमाने के लिए धर्म का उपयोग नहीं करने की सलाह दी।
- उन्होंने सिख धर्म के माध्यम से बुनियादी सिद्धांतों दयालुता, शांति और मानवीयता को प्रसारित किया।

नाम जपो

- उन्होंने सिखों को ईश्वर की कृपा प्राप्ति और स्मरण के लिए प्रतिदिन नितनेम बाणी का पाठ करने को कहा।

कीरत करो

- गुरूनानक देव जी ने सिख धर्म के अनुयायियों को गृहस्थ जीवन जीने और कीरत करने का उपदेश दिया। कीरत करने का अर्थ है कि ईश्वर के उपहार और आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए कठिन मेहनत करके ईमानदारी से कमाओ।

वंड चखो

- गुरूनानक देव जी के अनुसार, वंड चखो का अर्थ है कि अर्जित की गई वस्तुओं को दूसरों से साझा करो और साथ मिलकर उसका उपभोग करो।

आधुनिक विश्व में गुरूनानक देव की शिक्षाओं की प्रासंगिकता

- उनकी लेखनी भ्रमित समाज में एक प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभाती है।
- आज के समय में विश्वभर में शांति, भाईचारा, सद्भावना को फैलाने में उनकी शिक्षाओं तथा विचारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।

निष्कर्ष

- निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गुरूनानक देव का जीवन, शिक्षाएं और लेखन मानव सभ्यता की सामूहिक विरासत का हिस्सा है। उनकी एकता, समानता, विनम्रता और मानव जाति की सेवा के सिद्धांत का दुनियाभर में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा अभी भी अनुसरण किया जा रहा है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

संदर्भ

1.1 देश के सर्वांगीण विकास और 2022 तक न्यू इंडिया के उद्देश्य को हकीकत में बदलने के लिए भारत सरकार ने देश के 115 सबसे पिछड़े जिलों में 5 जनवरी 2018 को आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एस्पीरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम या एडीपी) शुरू किया था।

1.2 इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनके समग्र विकास में सहायता करना है।

आवश्यकता क्यों

2.1 सरकार अपने नागरिकों के जीवन-स्तर को सुधारने और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने अर्थात् ''सबका साथ सबका विकास'' के लिए प्रतिबद्ध है।

2.2 नागरिकों की क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह कार्यक्रम फलती-फूलती अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से भाग लेने पर ध्यान केंद्रित करता है।

2.3 उदारवादी नीतियों के कारण पिछड़े क्षेत्रों की बदहाली में इजाफा हुआ। ऊँची विकास दर के बावजूद मानव विकास सूचकांक के मामले में पिछड़ने की असली वजह असमान विकास है।

कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा

3.1 इस कार्यक्रम की व्यापक रूपरेखा निम्नानुसार है- (1) अभिसरण (केन्द्रीय और राज्य स्कीमों का), (2) सहयोग (केन्द्रीय, राज्य स्तरीय प्रभारी अधिकारियों और जिला कलेक्टरों के बीच) तथा (3) जिलों के बीच जन आंदोलन द्वारा प्रेरित प्रतिस्पर्द्धा।

3.2 राज्य इस कार्यक्रम के मुख्य संचालक हैं और इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले के सबल पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

3.3 साथ ही तत्काल सुधार के लिए अपेक्षाकृत सरलता से बेहतर परिणाम देने वाले क्षेत्रों को चिह्नित किया जा रहा है। इसके अलावा जिलों की प्रगति को भी मापा जाएगा और जिलों को रैंक दिया जाएगा।

3.4 स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास तथा बुनियादी अवसंरचना इस कार्यक्रम के विशिष्ट क्षेत्र हैं। साथ ही जिलों की प्रगति मापने के लिए 49 प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों का चयन किया गया है।

मुख्य कार्य योजना

4.1 राज्य मुख्य प्रेरकों की भूमिका निभाएंगे, साथ ही प्रत्येक जिले की क्षमता के अनुसार वे कार्य करेंगे।

4.2 विकास को जन आंदोलन बनाना, समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर युवाओं को शामिल करना।

4.3 सबल पक्षों की पहचान कर बेहतर परिणाम देने वाले क्षेत्रों को चिन्हित करना ताकि वे विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकें।

4.4 प्रतिस्पर्द्धा की भावना जगाने के लिए प्रगति का आकलन और जिलों की रैंकिंग।

4.5 जिले, राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने का प्रयास करेंगे।

4.6 केन्द्र सरकार के स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन का दायित्व नीति आयोग का रहेगा। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग मंत्रालयों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जिलों का चयन

5.1 पारदर्शी मापदंडों के आधार पर 115 जिलों का चयन किया गया है। इन जिलों द्वारा अपने नागरिकों की गरीबी, अपेक्षाकृत कमजोर स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा की स्थिति तथा अपर्याप्त आधारभूत संरचना की दृष्टि से झेली जाने वाली चुनौतियों को शामिल करते हुए एक मिश्रित सूचकांक तैयार किया गया है।

कार्यक्रम का प्रभाव

6.1 गौरतलब है कि कार्यक्रम के कार्यान्वयन के पश्चात् जिलों के स्वास्थ्य परिणामों में पहले और दूसरे स्वास्थ्य घरेलू सर्वेक्षण (जून-अगस्त 2018 और जनवरी-मार्च 2019) के बीच महत्त्वपूर्ण सुधार पाया गया।

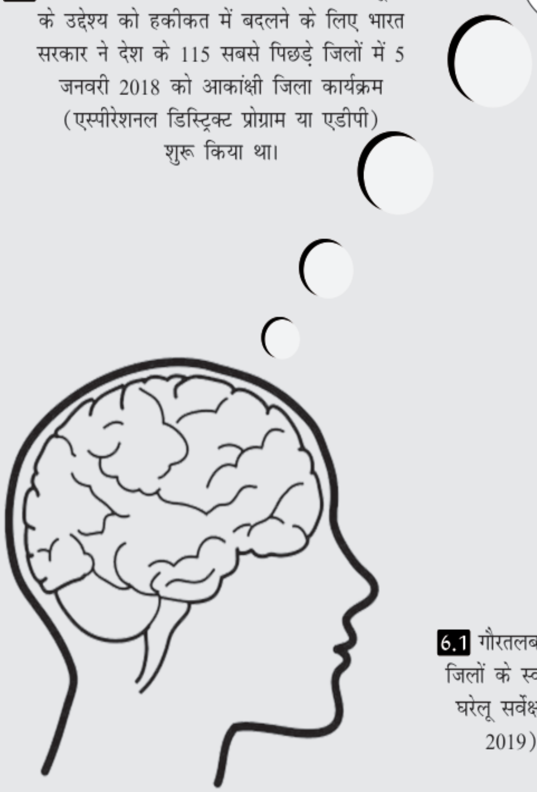

वॉएजर-2

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का वॉएजर-2 (Voyager 2) सूर्य की सीमा के पार पहुंचने वाला अर्थात सौरमंडल की परिधि के बाहर पहुँचने वाला दूसरा यान बन गया है। गौरतलब है कि नासा का ही वॉएजर-1 इससे पहले इस सीमा के पार पहुंचा था।

प्रमुख बिंदु

2.1 वॉएजर-2 एक अमेरिकी मानव रहित अंतर्ग्रहीय शोध यान है। वॉएजर-2 को 20 अगस्त 1977 को नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था।

2.2 वॉएजर-2 काफी कुछ अपने पहले वाले संस्करण यान वॉएजर-1 के समान ही है। वॉएजर-2 की चाल 57,890 किलोमीटर प्रतिघंटा हैं।

2.3 इसे धीमा रखने का कारण था इसका पथ अरूण (Vranus) और वरूण (Neptune) तक पहुंचने के लिये अनुकूल बनाना।

2.4 नासा द्वारा जारी जानकारी में कहा गया है कि वॉएजर-2 अभी धरती से 8 अरब किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है।

2.5 इससे आने वाले संकेत प्रकाश की गति से चलते हैं, इसलिए उन्हें यान से धरती तक पहुंचने में करीब 6.5 घंटे का समय लगता है।

2.6 इसके पथ में जब शनि ग्रह आया, तब उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण यह अरूण की ओर अग्रसर हुआ था

2.7 वैज्ञानिकों ने बताया कि वॉएजर-1 और 2 ने अलग-अलग समय और जगह से हेलियोस्फेयर को पार किया है, इसलिए दोनों से मिलने वाली जानकारियाँ अलग हैं।

2.8 वॉएजर-2 एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो सभी चार विशाल ग्रहों- बृहस्पति, शनि, अरूण और वरूण की यात्रा कर चुका है।

2.9 वॉएजर-2 नासा का सबसे लंबा चलने वाला मिशन है। इसकी यात्रा में एक विशेष ग्रहीय परिस्थिति का लाभ उठाया गया था जिसमें सभी ग्रह एक सरल रेखा मे आ जाते हैं। यह विशेष स्थिति प्रत्येक 176 वर्ष पश्चात ही आती है। इस कारण इसकी ऊर्जा में बड़ी बचत हुई और इसने ग्रहों के गुरुत्व का प्रयोग किया था।

आइएसएम क्या है

3.1 सूर्य से बाहर की तरफ बहने वाली हवाओं से सौरमंडल के चारों तरफ एक बुलबुले जैसा घेरा बना हुआ है। इस घेरे को हेलियोस्फेयर तथा इसकी सीमा से बाहर के अंतरिक्ष को इंटरस्टेलर मीडियम (आइएसएम) कहा जाता है।

हेलियोस्फेयर क्या है

4.1 सूर्य से निकलने वाली चुंबकीय रेंज एक ऐसे गैसीय वातावरण का संरचना करती है जो ग्रहों की कक्षाओं से बहुत दूर तक फैली हुई हो। यह चुंबकीय क्षेत्र ही हेलियोस्फेयर है। हेलियोस्फेयर एक लंबे वात शंकु के आकार का होता है।

4.2 वॉएजर-2 पर लगे उपकरणों से हेलियोस्फेयर को समझने की दिशा में अन्य कई अहम जानकारियाँ भी मिल रही हैं।

4.3 वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यान पर लगे भिन्न-भिन्न उपकरणों से प्राप्त डेटा का आकलन कर यह निर्धारित किया कि इस मिशन ने 5 नवंबर को हेलियोस्फेयर के अंतिम छोर को पार किया है।

4.4 यह हैलियोपाउज नामक एक ऐसा स्थान है जहाँ कमजोर, गर्म सौर हवा तारों के बीच के ठंडे तथा घने माध्यम से मिलती है। इसे सौरमंडल का छोर भी कहा जाता है।

कालापानी विवाद

चर्चा का कारण

1.1 31 अक्टूबर को भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद औपचारिक रूप से देश का एक नया नक्शा जारी किया। इस नक्शे में उत्तराखंड और नेपाल के बीच स्थित कालापानी और लिपुलेख इलाकों को भारत के अंदर दिखाया गया है, जिस पर नेपाल ने आपत्ति दर्ज करायी है।

कालापानी की अवस्थिति

2.1 कालापानी कैलास मानसरोवर को जाने वाले रास्ते में 3,600 मीटर की ऊँचाई पर पड़ता है। इसके एक ओर उत्तराखंड है तो दूसरी ओर नेपाल का सुदूर पश्चिम प्रदेश है।

2.2 विदित हो कि 1962 में हुए भारत-चीन युद्ध के समय से कालापानी पर भारत की भारत-तिब्बत सीमा पुलिस का नियंत्रण रहा है।

विवाद का उद्गम

3.1 1816 में नेपाल और ब्रिटेश ईस्ट इंडिया कम्पनी ने सुगौली संधि की थी जिसमें काली नदी को नेपाल की भारत से लगने वाली सीमा पर माना गया था। इस मानचित्र में रिजलाइन (ridgeline) का कोई उल्लेख नहीं है।

3.2 बाद में कई ऐसे मानचित्र बने जिनमें ब्रिटेन के सर्वेक्षणकर्ताओं ने काली नदी का उद्गम कभी यहाँ तो कभी वहाँ दिखाया। इस कारण काली नदी के उद्गम को लेकर अस्पष्टता बनी रही जिस कारण दोनों देशों में सीमा को लेकर विवाद होने लगा।

नेपाल का तर्क

4.1 नेपाल के विदेश मंत्रालय के अनुसार, कालापानी एक विवादित इलाका है। नेपाल का दावा है कि कालापानी और लिपुलेख को उसने तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी से एक समझौते के अंतर्गत हासिल किया था।

4.2 नेपाल के अधिकारियों के अनुसार, भारत ने 1962 में चीन से हुए युद्ध के बाद अपनी सभी सीमा चौकियों को नेपाल के उत्तरी बेल्ट से हटा लिया था, लेकिन कालापानी से नहीं।

4.3 वहीं, लिपुलेख को लेकर 2014 में विवाद शुरू हुआ, जब भारत और चीन ने नेपाल के दावे का विरोध करते हुए लिपुलेख के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार गलियारे का निर्माण करने पर सहमति जताई थी। इसके बाद से नेपाल इस विषय पर चिंतित है।

4.4 नेपाल ने ये मुद्दा चीन और भारत दोनों से उठाया था लेकिन इस पर कभी औपचारिक रूप से चर्चा नहीं हो सकी।

भारत का तर्क

5.1 भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के नक्शे में भारत के संप्रभु क्षेत्र का सटीक चित्रण है और पड़ोसी देश के साथ सीमा को संशोधित नहीं किया गया है।

5.2 सरकार का कहना है कि नेपाल के साथ सीमा परिसीमन अभ्यास मौजूदा तंत्र के तहत चल रहा है।

5.3 सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के अनुसार इस साल का मैप पिछले सालों से केवल एक जगह अलग है और वो है जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में, क्योंकि 31 अक्टूबर से ये दो केंद्र प्रशासित राज्य (Union Territory) बन गए हैं।

5.4 सरकार के अनुसार सीमा में एक मिलीमीटर का भी बदलाव नहीं किया गया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जो बदलाव हुआ है वही नया है। बाकी नक्शे में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

5.5 गौरतलब है कि जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे कि 2014 में तेलंगाना बना, या कोई नया जिला बनता है तो उसे मैप में दिखाना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कहना है कि 2018 या इससे पहले का नक्शा देखेंगे तो पायेंगे कि कालापानी भारत में नजर आएगा।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट -2019

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आईजेआर)-2019 जारी किया गया जिसे टाटा ट्रस्ट ने तैयार किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से न्याय प्रदान करने के चार स्तंभों- पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर उपलब्ध सरकारी संस्थाओं के आँकड़ों पर आधारित है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

2.1 यह टाटा न्यास की पहल है जिसे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, दक्ष, टीआइएसएस, कानूनी नीति के लिए प्रयास एवं विधि केंद्र के सहयोग से तैयार किया गया है।

2.2 लोगों को न्याय मुहैया कराने वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। इसके बाद केरल, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा का स्थान है।

2.3 गौरतलब है कि रिपोर्ट में देश के 18 बड़े राज्यों पर आकलन किया गया। इसमें दूसरे पर केरल, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे पर पंजाब और पांचवें पर हरियाणा है। जबकि, नीचे से देखा जाए तो 18वें स्थान पर यूपी है, उसके बाद 17वें पर बिहार, 16वें पर झारखंड, 15वें पर उत्तराखंड और 14वें पर राजस्थान है।

2.4 छोटे राज्यों (जहां की आबादी एक करोड़ से कम है) में गोवा शीर्ष पर है। इसके बाद सिक्किम और हिमाचल प्रदेश का स्थान है।

2.5 रिपोर्ट में कहा गया है कि तेलंगाना की निचली अदालतों में 44 फीसद महिला न्यायाधीश हैं जबकि बिहार में सबसे कम 11.5 फीसद हैं। इसी तरह पंजाब में 39 फीसद और छोटे राज्य मेघालय में 74 और गोवा में 66 फीसद महिला न्यायाधीश हैं।

2.6 रिपोर्ट के मुताबिक, देश में न्यायाधीशों के कुल 18,200 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 23 फीसद रिक्त हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि न्याय के इन स्तंभों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

पुलिस में महिलाएँ

3.1 पुलिस में केवल सात फीसद महिलाएँ कार्यरत हैं। जेलों में क्षमता के मुकाबले 114 फीसद कैदी हैं। इनमें से 68 फीसद विचाराधीन हैं जिनके मामलों की जाँच की जा रही है या सुनवाई चल रही है।

3.2 इसमें कहा गया है कोई भी राज्य अपने यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसुचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कोटे में योग्य महिला पुलिस अधिकारियों की भर्ती नहीं कर रहा है।

3.3 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2019 के अनुसार देश के छः राज्य ऐसे हैं जहाँ पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी 33 फीसदी करने में 100 से 300 साल लग जाएंगे।

3.4 इतना ही नहीं, जम्मू-कश्मीर में 10 गुना अधिक यानी वहाँ पुलिस बल में महिलाओं को 33 फीसदी भागीदारी सुनिश्चित करने में 35-35 साल लग जाएंगे।

बजट के मामले में

4.1 बजट के मामले में अधिकतर राज्य केंद्र की ओर से आवंटित बजट का इस्तेमाल नहीं कर पाते। पुलिस, कारावास और न्यायपालिका का खर्च बढ़ने के बावजूद उस गति से राज्य का खर्च नहीं बढ़ा है। इसमें कहा गया, कुछ स्तंभ कम बजट की वजह से प्रभावित हैं।

4.2 भारत में मुफ्त कानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति खर्च मात्र 75 पैसे प्रति वर्ष है जबकि 80 फीसद आबादी मुफ्त कानूनी सहायता पाने की अर्हता रखती है।

न्याय देने की क्षमता का आकलन

5.1 रिपोर्ट में राज्य की ओर से न्याय देने की क्षमता का आकलन करने के लिए कुछ स्तभों के संकेतकों का इस्तेमाल किया गया है। ये हैं- अवसंरचना, मानव संसाधन, विविधता (जेंडर, एससी, एसटी, ओबीसी), बजट, काम का दबाव और गत पाँच साल की प्रवृत्ति।

आगे की राह

6.1 न्यायपालिका और सरकार को इन प्रासंगिक नतीजों पर संज्ञान लेना होगा और राज्यों को भी पुलिस प्रबंधन, कारागार, फोरेंसिक, न्याय प्रदान करने की प्रणाली और कानूनी सहायता के अंतर को पाटने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। साथ ही रिक्तियों को भरने की आवश्यकता है तभी पीड़ित व्यक्ति को जल्द से जल्द न्याय मिलने की उम्मीद है।

गुजरात आतंकरोधी कानून

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में आतंकवाद और संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए बनाए गए बहुचर्चित गुजरात आतंकवाद नियंत्रण एवं संगठित अपराध अधिनियम (गुजटोक या Gujarat Anti Terror Law) को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है।

1.2 इस कानून को 16 साल बाद मंजूरी मिली है। यह कानून आतंकवाद के साथ शराब की तस्करी, फिरौती, जालसाजी जैसे संगठित अपराधों पर शिकंजा कसेगा। इस कानून की खास बात है कि टेलीफोन पर की गई बातचीत के रिकॉर्ड को वैधानिक साक्ष्य माना जाएगा।

पृष्ठभूमि

2.1 पहले इस अधिनियम का नाम गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण कानून था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते राज्य के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस कानून का मसौदा तैयार किया था। राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए यह विधेयक 2004 से लंबित था।

2.2 2015 में राज्य सरकार ने गुजरात आतंकवाद नियंत्रण एवं संगठित अपराध अधिनियम नाम से नया विधेयक विधानसभा से पारित कराया। हालांकि, पुलिस को टेलीफोन पर बातचीत टेप करने और उसे कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर पेश करने का विवादास्पद प्रावधान नए बिल में भी कायम रखा गया।

राज्य में विशेष अदालतों का गठन होगा

3.1 अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से गुजरात जैसे सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा और अपराध की जाँच के लिए पुलिस को अधिक अधिकार और समय मिल सकेगा।

3.2 राज्य सरकार विशेष अदालतों का गठन करेगी, अन्यथा डिविजन सेशन कोर्ट में मामला चल सकेगा। सरकार अतिरिक्त सरकारी वकील व लोक अभियोजकों की नियुक्ति कर सकेगी।

अपराधों पर लगेगी लगाम

4.1 इस कानून से आतंकवाद के साथ सुपारी देकर हत्या कराने, मादक पदार्थों की तस्करी, फिरौती वसूलने, प्रतिबंधित माल की हेराफेरी, अपहरण, जालसाजी वाली योजनाओं व मल्टी लेवल मार्केटिंग पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

4.2 इस कानून के तहत पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान सुबूत के रूप में मान्य होगा। साथ ही पुलिस को आरोपपत्र पेश करने के लिए छः माह का समय मिलेगा। अन्य अपराध में चार्जशीट 90 दिन में पेश करनी होती है।

प्रावधान

5.1 आतंकी कृत्यों और संगठित अपराधों के खिलाफ कड़ी सजा के साथ-साथ संगठित अपराध के मामलों में अघोषित संपत्ति जब्त करने और सजा का प्रावधान भी है।

5.2 इसके तहत संपत्तियों के हस्तांतरण को भी रद्द किया जा सकता है।

5.3 इन कानून के तहत गवाहों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी साथ ही आरोपियों की संपत्ति को सीज करने का पुलिस के पास अधिकार होगा।

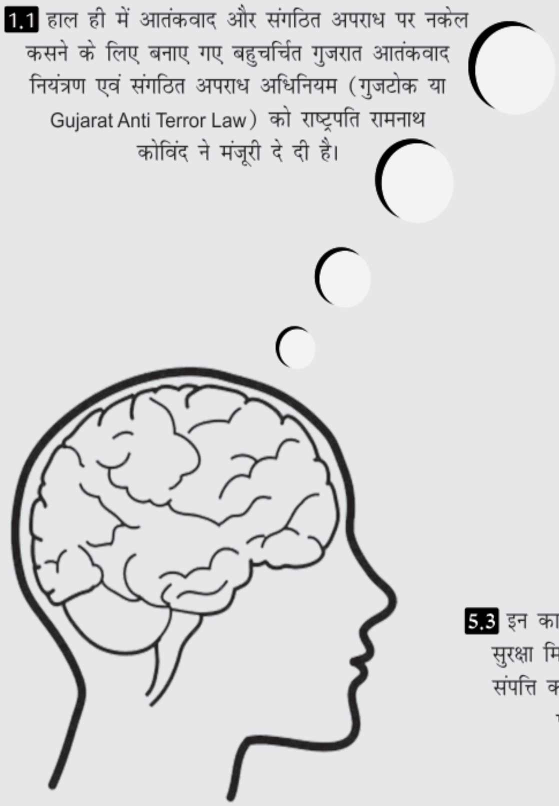

ब्रू शरणार्थी

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में गृह मंत्रालय ने त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में रह रहे ब्रू शरणार्थियों के लिए राशन आपूर्ति फिर से शुरू करने को लेकर सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि अगर ब्रू शरणार्थी वापस मिजोरम जाते हैं तो प्रत्येक परिवार को 25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

मामला क्या है

2.1 ब्रू समुदाय के साथ लगातार हुई पुनर्स्थापन की कोशिशों के विफल होने के बाद केंद्र सरकार ने शरणार्थी शिविर में होने वाली खाद्य आपूर्ति को 1 अक्तूबर 2019 से समाप्त कर दिया।

2.2 साथ ही केंद्र सरकार ने ब्रू समुदाय के समक्ष एक अंतिम प्रस्ताव रखा कि जो परिवार 30 नवंबर 2019 से पहले वापस मिजोरम (मूल स्थान) लौटने को तैयार हो जाएगा उसे 25,000 रुपए की सहयोग राशि दी जाएगी। इसके बावजूद भी इस समुदाय के लोग वापस जाने को तैयार नहीं हुए।

कौन हैं ब्रू शरणार्थी

3.1 ब्रू पूर्वोत्तर में बसने वाला एक जनजातीय समूह है। वैसे तो इनकी छिटपुट आबादी पूरे पूर्वोत्तर में है, लेकिन मिजोरम के ज्यादातर ब्रू मामित और कोलासिब जिले में रहते हैं।

3.2 ब्रू समुदाय के अंदर तकरीबन एक दर्जन उपजातियां आती हैं। मिजोरम में ब्रू अनुसूचित जनजाति का एक समूह माना जाता है और त्रिपुरा में एक अलग जाति। त्रिपुरा में इन्हें रियांग नाम से पुकारते हैं। इनकी भाषा भी ब्रू है।

3.3 ब्रू और बहुसंख्यक मिजो समुदाय के बीच 1996 में हुआ सांप्रदायिक दंगा इनके पलायन का कारण बना। इस तनाव ने ब्रू नेशनल लिबरेशन फ्रंट (बीएनएलएफ) और राजनीतिक संगठन ब्रू नेशनल यूनियन (बीएनयू) को जन्म दिया, जिसने राज्य के चकमा समुदाय की तरह एक स्वायत्त जिले की मांग की।

3.4 इस तनाव की नींव 1995 में तब पड़ी जब यंग मिजो एसोसिएशन और मिजो स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने राज्य की चुनावी भागीदारी में ब्रू समुदाय के लोगों की मौजूदगी का विरोध किया। इन संगठनों का कहना था कि ब्रू समुदाय के लोग राज्य के नहीं हैं।

3.5 साल 1997 में बीएनएलएफ ने एक मिजो अधिकारी की हत्या कर दी जिसके बाद दोनों समुदाय में दंगा भड़क गया और अल्पसंख्यक होने के नाते ब्रू समुदाय को अपना घर-बार छोड़कर त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में आश्रय लेना पड़ा।

सरकारी प्रयास

4.1 2010 में 1600 परिवारों को वापस मिजोरम भेजा गया लेकिन मिजो गुटों के विरोध के बाद ये सिलसिला रुक गया। 3 जुलाई, 2018 को इस दिशा में एक बड़े समझौते का ऐलान केंद्र ने किया।

4.2 केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत सामग्री के तहत एक वयस्क ब्रू व्यक्ति को रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल सभी वस्तुओं के अलावा प्रतिदिन 5 रुपए व 600 ग्राम चावल तथा किसी अल्पवयस्क को 2.5 रुपए व 300 ग्राम चावल दिया जाता है।

शरणार्थी बने रहने की वजह

5.1 समझौते में वापस लौटने वाले शरणार्थियों में हर परिवार को 4 लाख रुपये की एफडी, एक घर और दो साल के लिए मुफ्त राशन देने की बात कही गयी थी। साथ ही 5000 रुपये का मासिक खर्च का वायदा भी किया गया।

5.2 इसके अलावा त्रिपुरा से मिजोरम जाने के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट, पढ़ाई के लिए एकलव्य स्कूल, मूल निवासी और जाति प्रमाणपत्र मिलने थे। ब्रू लोगों को मिजोरम में वोट डालने का हक भी मिलना था।

5.3 इसके बावजूद सिर्फ 5,000 लोग ही वापस मिजोरम जाने के लिये तैयार हुए तथा शेष 35,000 लोगों ने यह कहते हुए लौटने से मना कर दिया कि समझौते के प्रावधान उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। साथ ही उन लोगों ने यह माँग भी रखी कि उन्हें एक साथ समूहों (Clusters) में बसाया जाए।

असम राइफल्स एवं आइटीबीपी के विलय का प्रस्ताव

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में गृह मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि असम राइफल्स और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (Indo-Tibetan Border Police- ITBP) का विलय कर देना चाहिए।

1.2 गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने एक प्रारूप तैयार किया है जिसमें इसके परिचालन नियंत्रण को गृह मंत्रालय को सौंपकर आईटीबीपी के साथ विलय का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह, सुरक्षा, वित्त और विदेश मंत्री की उपस्थिति में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति इसपर अंतिम निर्णय लेगी।

प्रमुख बिंदु

2.1 185 वर्ष पुरानी असम राइफल्स दीर्घ अवधि से दोहरे नियंत्रण से पीड़ित रही है- यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण और रक्षा मंत्रालय के परिचालन नियंत्रण के अधीन है।

असम राइफल्स का इतिहास

3.1 असम राइफल्स का गठन वर्ष 1835 में कछार लेवी नामक एक एकल सैन्यबल के रूप में पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था।

3.2 यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। इसमें 46 बटालियन हैं। इस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत-म्यांमार सीमा की सुरक्षा का दोहरा उत्तरदायित्व है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने में असम राइफल्स की भूमिका सराहनीय रही है।

3.3 असम राइफल्स और सेना में साझी परिचालन प्रकृति और संस्कृति है और यह एक अच्छा युद्धक बल है। यह बल चीन के साथ 1962 के सीमा युद्ध में लड़ाई कर चुका है। साथ ही श्रीलंका में आईपीकेएफ के संचालन का हिस्सा भी रह चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक मिशनों समेत हर जगह इसने उत्तम प्रदर्शन किया है।

3.4 इस बल को प्यार से 'पूर्वोत्तर का प्रहरी' और 'पर्वतीय लोगों का मित्र (Friends of north east people)' कहा जाता है। वर्तमान में असम राइफल्स का प्रशासकीय नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास है जबकि इसका संचालन (वेतन, भत्ता) नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास है।

सेना का पक्ष

4.1 सेना ने गृह मंत्रालय के इस प्रस्ताव पर असहमति जतायी है जिसके तहत असम राइफल्स के संचालन नियंत्रण की जिम्मेदारी मंत्रालय अपने पास लेना चाहता है।

4.2 सेना का कहना है कि इस कदम से चीन के साथ लगने वाली देश की संवेदनशील सीमा की निगरानी का काम गंभीर रूप से प्रभावित होगा, वह भी तब जब चीन भारत के साथ लगने वाली सीमा पर बुनियादी सैन्य ढांचे को मजबूत कर रहा है।

4.3 इस प्रस्ताव से चिंतित सेना ने रक्षा मंत्रालय के साथ इस मुद्दे को पिछले कुछ दिनों में गंभीरता से उठाया है और उससे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करते हुए कहा कि असम राइफल्स का संचालन नियंत्रण गृह मंत्रालय को सौंपे जाने से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये गंभीर निहितार्थ होंगे।

4.4 यदि असम राइफल्स गृह मंत्रालय के अधीन चला जाएगा तो इसमें सैन्य अधिकारी नियुक्त नहीं किए जाएँगे। इससे बल की युद्धक क्षमता में कमी आएगी और सेना के साथ सफल ऑपरेशन करने के लिए जो समन्वय आवश्यक है, वह भी नहीं रह जाएगा।

4.5 असम राइफल्स में वही अनुशासन, लोकाचार, संस्कृति, प्रशिक्षण, बलिदान की भावना और युद्ध के प्रति तत्परता है जो सेना में विद्यमान है। यदि असम राइफल्स गृह-मंत्रालय के अधीन चला जाता है और आईपीएस अधिकारी बड़े पदों पर नियुक्त हो जाएँगे तो यह सब नहीं रहेगा।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

5.1 भारत-तिब्बत सीमा पुलिस को वर्ष 1962 में स्थापित किया गया था। यह आपातकाल के समय नागरिक सेवा सहायता प्रदान करता है। आइटीबीपी को लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के मध्य तैनात किया जाता है। आइटीबीपी प्राकृतिक आपदाओं के समय देशभर में बचाव और राहत अभियान भी चलाता है।

5.2 इस सेना ने 1965 में भारत पाक संघर्ष में हिस्सा लिया। दुश्मनों से लडकर इसने उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर भगा दिया, पाकिस्तानी घुसपैठियों और सैनिक बलों को समाप्त करने के लिए तलाशी अभियान को अंजाम दिया और प्रमुख प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान की।

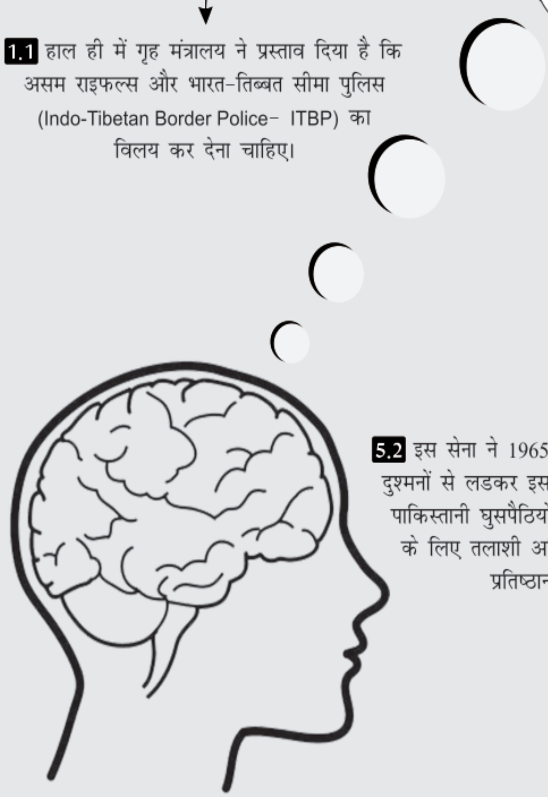

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. आकांक्षी जिला कार्यक्रम

प्र. आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह कार्यक्रम 5 जनवरी 2017 को शुरू किया गया था।
2. इस कार्यक्रम के अंतर्गत 100 जिलों की पहचान की गई थी।
3. इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनके समग्र विकास में सहायता करना है।
4. केन्द्र सरकार के स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन का दायित्व नीति आयोग का रहेगा।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 2 (d) केवल 3 और 4

उत्तरः (c)

व्याख्याः देश के सर्वांगीण विकास और 2022 तक न्यू इंडिया के उद्देश्य को हकीकत में बदलने के लिए भारत सरकार ने देश के 115 सबसे पिछड़े जिलों में 5 जनवरी 2018 को आकांक्षी जिला कार्यक्रम (एस्पीरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम या एडीपी) शुरू किया था। केन्द्र सरकार के स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन का दायित्व नीति आयोग का रहेगा। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग मंत्रालयों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पारदर्शी मापदंडों के आधार पर 115 जिलों का चयन किया गया है। इन जिलों द्वारा अपने नागरिकों की गरीबी, अपेक्षाकृत कमजोर स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा की स्थिति तथा अपर्याप्त आधारभूत संरचना की दृष्टि से झेली जाने वाली चुनौतियों को शामिल करते हुए एक मिश्रित सूचकांक तैयार किया गया है। इस प्रकार 1 व 2 गलत हैं जबकि अन्य कथन सही हैं। ■

2. वॉएजर-2

प्र. वॉएजर-2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह मानव रहित अंतर्ग्रहीय शोध यान है।
2. यह एक मात्र अंतरिक्ष यान है जो सभी विशाल ग्रहों-बृहस्पति, शनि, अरूण और वरूण की यात्रा कर चुका है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (b)

व्याख्याः हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का वॉएजर-2 (Voyager 2) सूर्य की सीमा के पार पहुँचने वाला अर्थात सौरमंडल की परिधि के बाहर पहुँचने वाला दूसरा यान बन गया है। गौरतलब है कि नासा का ही वॉएजर-1 इससे पहले इस सीमा के पार पहुँचा था। वॉएजर-2 एक अमेरिकी मानव रहित अंतर्ग्रहीय शोध यान है। वॉएजर-2 को 20 अगस्त 1977 को नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। ■

3. कालापानी विवाद

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कालापानी कैलास मानसरोवर को जाने वाले रास्ते में 3,600 मीटर की ऊँचाई पर पड़ता है।
2. इसके एक ओर हिमाचल प्रदेश है तो दूसरी और चीन का पश्चिम क्षेत्र है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः कालापानी कैलास मानसरोवर को जाने वाले रास्ते में 3,600 मीटर की ऊँचाई पर पड़ता है। इसके एक ओर उत्तराखंड है तो दूसरी ओर नेपाल का सुदूर पश्चिम प्रदेश है। विदित हो कि 1962 में हुए भारत-चीन युद्ध के समय से कालापानी पर भारत की भारत-तिब्बत सीमा पुलिस का नियंत्रण रहा है। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। ■

4. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट -2019

प्र. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. लोगों को न्याय मुहैया कराने वाले राज्यों की सूची में गुजरात शीर्ष पर है।
2. छोटे राज्यों (जहाँ की आबादी एक करोड़ से कम है) में सिक्किम शीर्ष पर है।
3. पुलिस में केवल सात फीसद महिलाएँ कार्यरत हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2

(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (c)

व्याख्याः लोगों को न्याय मुहैया कराने वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। इसके बाद केरल, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा का स्थान है। गौरतलब है कि रिपोर्ट में देश के 18 बड़े राज्यों पर आकलन किया गया। इसमें दूसरे पर केरल, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथे पर पंजाब और पांचवें पर हरियाणा है। जबकि, नीचे से देखा जाए तो 18वें स्थान पर यूपी है, उसके बाद 17वें पर बिहार, 16वें पर झारखंड, 15वें पर उत्तराखंड और 14वें पर राजस्थान है। छोटे राज्यों (जहां की आबादी एक करोड़ से कम है) में गोवा शीर्ष पर है। इसके बाद सिक्किम और हिमाचल प्रदेश का स्थान है। इस प्रकार कथन 3 सही है जबकि अन्य कथन गलत हैं। ■

5. गुजरात आतंकरोधी कानून

प्र. गुजरात आतंकरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस कानून से सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा और अपराध की जाँच के लिए पुसिल को अधिक अधिकार और समय मिल सकेगा।
2. इस कानून के तहत पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान सुबूत के रूप में मान्य नहीं होगा।
3. इस कानून के तहत पुलिस को आरोपपत्र पेश करने के लिए 90 दिन का समय मिलेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरः (b)

व्याख्याः हाल ही में आतंकवाद और संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए बनाए गए बहुचर्चित गुजरात आतंकवाद नियंत्रण एवं संगठित अपराध अधिनियम (गुजटोक या Gujarat Anti Terror Law) को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत पुलिस अधिकारी के समक्ष दिया गया बयान सुबूत के रूप में मान्य होगा। साथ ही पुलिस को आरोपपत्र पेश करने के लिए छः माह का समय मिलेगा। अन्य अपराध में चार्जशीट 90 दिन में पेश करनी होती है। अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से गुजरात जैसे सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा और अपराध की जाँच के लिए पुलिस को अधिक अधिकार और समय मिल सकेगा। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि अन्य कथन गलत हैं। ■

6. ब्रू शरणार्थी

प्र. ब्रू शरणार्थी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ब्रू दक्षिण भारत में बसने वाला एक जनजातीय समूह है।
2. ब्रू जनजाति भारत के सभी राज्यों में पायी जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (d)

व्याख्याः ब्रू पूर्वोत्तर में बसने वाला एक जनजातीय समूह है। वैसे तो इनकी छिटपुट आबादी पूरे पूर्वोत्तर में है, लेकिन मिजोरम के ज्यादातर ब्रू मामित और कोलासिब जिले में रहते हैं। ब्रू समुदाय के अंदर तकरीबन एक दर्जन उपजातियां आती हैं। मिजोरम में ब्रू अनुसूचित जनजाति का एक समूह माना जाता है और त्रिपुरा में एक अलग जाति। त्रिपुरा में इन्हें रियांग नाम से पुकारते हैं। इनकी भाषा भी ब्रू है। इस प्रकार दोनों कथन गलत हैं। ■

7. असम राइफल्स एवं आइटीबीपी के विलय का प्रस्ताव

प्र. असम राइफल्स एवं आइटीबीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. असम राइफल्स का गठन 1962 में हुआ था।
2. आइटीबीपी देश का सबसे पुराना पुलिस बल है।
3. असम राइफल्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण और रक्षा मंत्रालय के परिचालन नियंत्रण के अधीन है।
4. आइटीबीपी को पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र नाम से पुकारा जाता है।

उपुर्यक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 4
(c) 1, 2, 3 और 4 (d) केवल 3

उत्तरः (d)

व्याख्याः असम राइफल्स का गठन वर्ष 1835 में कछार लेवी नामक एक एकल सैन्यबल के रूप में पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है। इसमें 46 बटालियन हैं। इस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत-म्यांमार सीमा की सुरक्षा का दोहरा उत्तरदायित्व है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोंगों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने में असम राइफल्स की भूमिका सराहनीय रही है। इस बल को प्यार से 'पूर्वोत्तर का प्रहरी' और 'पर्वतीय लोगों का मित्र (Friends of north east people)' कहा जाता है। वर्तमान में असम राइफल्स का प्रशासकीय नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास है जबकि इसका संचालन (वेतन, भत्ता) नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास है। इस प्रकार कथन 3 सही है जबकि अन्य कथन गलत हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. हाल ही में नबनीता देव सेन का निधन हुआ, वे किस भाषा की कवयित्री थीं?

- बंगाली

2. हाल ही में शेख खलीफा बिन जायेद अल नाह्यान को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है?

- संयुक्त अरब अमीरात

3. हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर 'समुद्र शक्ति 19' अभ्यास का आयोजन किया?

- इंडोनेशिया

4. हाल ही में किस देश ने अल्जाइमर रोग के लिए विश्व की पहली दवा 'GV-971' को मंजूरी दी?

- चीन

5. हाल ही में सुर्खियों में रहा हारम्नाइज्ड सिस्टम कोड किस क्षेत्र से सम्बंधित है?

- खादी

6. हाल ही में सुर्खियों में रहा 'दनाकिल डिप्रेशन' किस देश से सम्बंधित है?

- इथियोपिया

7. हाल ही में किस मंत्रालय ने वेस्टलैंड एटलस 2019 का पांचवां संस्करण जारी किया?

- ग्रामीण विकास मंत्रालय

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. भारत में चिकित्सा सेवाओं में सुधार तो हुआ है किंतु मौजूदा बुनियादी एवं विनियामक ढाँचे में चुनौतियाँ विद्यमान हैं। चर्चा करें।

2. इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग एक अहम मोड़ पर है, ऐसे में बगदादी की मौत से मिली कामयाबी को कम करके कतई नहीं आंका जा सकता। चर्चा करें।

3. ब्रेक्जिट का संक्षिप्त वर्णन करते हुए बताएँ कि ब्रेक्जिट से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है?

4. भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन केवल 26.3 प्रतिशत है, जिसे अगले 15 वर्षों में बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य है। इस संदर्भ में बताएँ कि सरकार को कौन-कौन सी योजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है?

5. 'पड़ोसी पहले' की नीति से आप क्या समझते हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि भारत को अमेरिका और रूस के बजाय पड़ोसियों से संबंध सुधारने की नीति पर कार्य करना चाहिए? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें।

6. स्किल इंडिया मिशन का संक्षिप्त वर्णन करते हुए इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों की चर्चा करें।

7. ग्रामीण भारत के औद्योगीकरण के लिए छोटे शहरों को केन्द्र में रखकर कृषि आधारित शहरीकरण का रोडमैप तैयार करना जरूरी है, तभी उन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा। विश्लेषण करें।

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. चक्रवाती तूफान बुलबुल

हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान बुलबुल ने पश्चिम बंगाल व ओडिशा के समुद्री तटीय क्षेत्र को प्रभावित किया। तूफान में लगभग 5 लाख परिवार प्रभावित हुए हैं, 1.78 लाख लोगों को राज्य के नौ जगहों पर बने राहत शिविरों में भेजा गया।

मौसम विभाग के अनुसार, चक्रवाती तूफान बुलबुल लगभग 230 किमी. की दूरी पर दक्षिण-पश्चिम में सागर द्वीप, 370 किमी दक्षिण-पूर्व में खेपुपारा (बांग्लादेश) और 130 किमी पूर्व-दक्षिण पूर्व के पारादीप में केंद्रित है।

ओडिशा के बालासोर, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा और भद्रक जिले व पश्चिम बंगाल के 24 परगना का नामखाना और बख्खाली जिला सर्वाधिक प्रभावित हुआ है।

चक्रवात क्या है

गर्म क्षेत्रों के समुद्र में सूर्य की भयंकर गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायुदाब का क्षेत्र बना देती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर आती है और ऊपर की नमी से संतृप्त होकर संघनन के द्वारा बादलों का निर्माण करती हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए नम हवाएँ तेजी के साथ नीचे जाकर ऊपर आती हैं। फलस्वरूप ये हवाएँ बहुत ही तेजी के साथ उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमकर घने बादलों और बिजली कड़कने के साथ-साथ मूसलधार बारिश करती हैं। कभी-कभी तो तेज घूमती इन हवाओं के क्षेत्र का व्यास हजारों किमी में होता है। गर्म हवाओं की तेज आँधी को चक्रवात कहते हैं। दक्षिणी गोलार्द्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जानते हैं और ये घड़ी की सुई के चलने की दिशा में चलते हैं जबकि उत्तरी गोलार्द्ध में इन गर्म हवाओं को हरीकेन या टाइफून कहा जाता है। ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमते हैं।

भारत के तटवर्ती इलाके विशेषकर ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक महाराष्ट्र और गोवा चक्रवती तुफान से ज्यादा प्रभावित होते हैं। ■

2. मातृ-मृत्यु दर रिपोर्ट

हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा मातृत्व मृत्यु दर के संबंध में वर्ष 2015-17 के आँकड़े जारी किये गये।

मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) क्या है: एक लाख जीवित जन्म पर होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या मातृ मृत्यु दर कहलाती है। इसके तहत गर्भावस्था में प्रसव के दौरान, या प्रसव के पश्चात 42 दिन के भीतर गर्भावस्था के कारणों से होने वाली 15 से 49 वर्ष की महिला की मृत्यु को शामिल किया जाता है।

सरकार द्वारा सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल शुरू की गई हैं। इनमें से कुछ पहलें- जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए), पोषण अभियान आदि सम्मिलित हैं।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु

रिपोर्ट के अनुसार मातृ मृत्यु दर 2014-2016 के बीच 130 से घटकर वर्ष 2015-2017 में 122 रह गई है।

एमएमआर में सबसे बड़ी गिरावट असम में दर्ज की गई थी, जहाँ यह 188 से घटकर 175 हो गई है।

भारत में मातृत्व मृत्यु दर की प्रकृति को क्षेत्रीय आधार पर समझने के लिये सरकार ने देश को तीन समूहों में विभाजित किया है। पहला समूह - (Empowered Action Group)- बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा असम, दूसरा समूह में दक्षिणी राज्य- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु तथा तीसरा समूह - शेष राज्य व केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

केरल ने मातृ मृत्यु दर में गिरावट में पहला स्थान हासिल किया है। इसने एमएमआर में 46 से 42 तक की गिरावट दर्ज की है।

इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर था, जहाँ एमएमआर में 61 से 55 तक की गिरावट आई है। रिपोर्ट में तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा, जहाँ एमएमआर में 66 से 63 तक गिरावट दर्ज की गई है।

उत्तराखंड राज्य ने देश के 19 बड़े राज्यों की सूची में 08वां स्थान हासिल किया है जबकि पूर्व में उत्तराखंड 15वें स्थान पर था।

MMR में सर्वाधिक कमी EAG राज्यों में आई है जो कि वर्ष 2014-16 में 188 था तथा वर्ष 2015-17 में घटकर 175 हो गया। दक्षिणी राज्यों में यह पिछली गणना की (77) की तुलना में 5 की कमी के साथ 72 प्रति 1 लाख हो गया है। अन्य राज्यों के समूह में यह 93 से घटकर 90 हो गया है।

आँकड़ों के अनुसार राजस्थान के MMR में सर्वाधिक 13 अंकों की कमी की है। उसके बाद ओडिशा तथा कर्नाटक क्रमश: 12 तथा 11 अंकों की कमी की है। आंध्रप्रदेश, बिहार तथा पंजाब के आँकड़ों में कोई कमी नहीं आई है। ■

3. भारत–ब्राजील दोहरा कराधान समझौता

हाल ही में दोहरे कराधान को समाप्त करने तथा वित्तीय चोरी रोकने के लिये भारत और ब्राजील के बीच दोहरे कराधान अपवंचन समझौते के संशोधन को मंजूरी दी है।

भारत और ब्राजील के बीच वर्तमान डीटीएसी पर 26 अप्रैल, 1988 को हस्ताक्षर हुए थे और सूचना आदान-प्रदान के संदर्भ में 15 अक्टूबर, 2013 को एक प्रोटोकॉल के जरिये इसे संशोधित किया गया था। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद प्रोटोकॉल को प्रभाव में लाने के लिये आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी की जाएंगी। इस समझौते के कार्यान्वयन की मंत्रालय द्वारा निगरानी की जाएगी तथा बाद में यह मंत्रालय इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

क्या है दोहरा कराधान

दोहरे कराधान से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें एक ही कंपनी या व्यक्ति (करदाता) की एकल आय एक से अधिक देशों में कर-योग्य हो जाती है। ऐसी स्थिति विभिन्न देशों में कराधान के भिन्न नियमों के कारण उत्पन्न होती है।

दोहरा कराधान अपवंचन समझौता (Double Taxation Avoidance Agreement)

दोहरे कराधान से मुक्ति के लिये दो देशों की सरकारें 'दोहरा कराधान अपवंचन समझौता' निष्पादित करती हैं जिसका उद्देश्य दोहरे कराधान की समस्या से परस्पर राहत प्रदान करना है।

भारत में आयकर अधिनियम की धारा 90 द्विपक्षीय कर राहत से संबंधित है।

इस धारा के अंदर दोहरे कराधान को समाप्त करने से संबंधित समझौते (डीटीएसी) के प्रावधानों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपडेट करने से भारत और ब्राजील फेडरेटिव रिपब्लिक के बीच दोहरा कराधान समाप्त होगा।

डीटीएसी के जरिये संविदा तैयार करने वाले राज्यों के बीच कर-अधिकार के स्पष्ट बंटवारे से दोनों देशों के निवेशकों और व्यापारों को कर निश्चितता की सुविधा प्राप्त होगी।

इस प्रोटोकॉल के माध्यम से ब्याज, रॉयल्टी और तकनीकी सेवा शुल्क पर स्रोत देश के कर दरों में कमी के जरिये निवेश में वृद्धि होगी।

संशोधित किया जाने वाला प्रोटोकॉल जी-20 ओईसीडी के बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग (बीईपीएस) परियोजना के न्यूनतम मानकों और अन्य अनुशंसाओं को लागू करेगा। जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपने लाभ को अन्य देश को स्थानान्तरित करके संबंधित देश को कर देने से बच जाती है तो इसे बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग कहते हैं।

इस समझौते में संशोधन से भारत तथा ब्राजील के बीच दोहरा कराधान समाप्त होगा। ■

4. इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन की रिपोर्ट

हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारत में इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की संख्या से संबंधित 'इंडिया इंटरनेट 2019' के नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष या उससे अधिक आयु के कुल सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की संख्या 485 मिलियन है। इंटरनेट के कुल उपयोगकर्त्ताओं में 385 मिलियन 12 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं जबकि 66 मिलियन उपयोगकर्त्ता 5 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। राज्य स्तर पर राजधानी दिल्ली सर्वाधिक 69% उपयोगकर्त्ताओं के साथ प्रथम स्थान पर है, वहीं केरल 54% उपयोगकर्त्ताओं के साथ दूसरे स्थान पर है।

केरल सरकार ने 1524 करोड़ रुपए की लागत से केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना लॉन्च की है। इसके तहत राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 20 लाख परिवारों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, और हिमाचल प्रदेश 49% उपयोगकर्त्ताओं के साथ तीसरे स्थान पर है। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित आँकड़े उसके विभाजन के पहले के हैं। सबसे कम इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं की संख्या क्रमशः ओडिशा, झारखंड और बिहार में दर्ज की गई। लैंगिक आधार पर कुल उपयोगकर्त्ताओं में 67% पुरुष उपयोगकर्त्ता हैं। केरल, तमिलनाडु और दिल्ली में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक महिला उपयोगकर्त्ता हैं।

इंटरनेट उपयोग करने की अवधि के आधार पर जहाँ लगभग 1/3 शहरी उपयोगकर्त्ता प्रति घंटा इंटरनेट उपयोग करते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये अवधि 15 से 20 मिनट है। ■

5. इंडएयर

हाल ही में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने वायु गुणवत्ता पर शोध संकलन के लिये देश की पहली संवादात्मक ऑनलाइन रिपोजिटरी 'इंडएयर' की स्थापना की है। NEERI के अनुसार, 'इंडएयर' की स्थापना का उद्देश्य वायु गुणवत्ता अनुसंधान की जानकारी को सभी के लिये उपलब्ध कराना है। 'इंडएयर' ने देश में पूर्व में हुए वायु प्रदूषण से जुड़े अनुसंधानों तथा कानूनी प्रक्रियाओं के इतिहास को सामान्य जन तक पहुँचाने के लिये लगभग 1,215 शोध-पत्र, 170 रिपोर्ट व 100 से अधिक केस स्टडी, 700 दस्तावेजों को संग्रहीत किया है।

'इंडएयर' वर्ष 1905 तक के सभी प्रमुख कानूनों को संग्रहीत करता है। 'इंडएयर' भारत में वायु प्रदूषण के क्षेत्र में अविष्कारमूलक अनुसंधान एवं विश्लेषण तथा इसके नुकसान एवं प्रभावों के बारे में सबको जानकारी उपलब्ध कराएगा तथा इसकी जानकारी शोधकर्ता, मीडिया व शिक्षाविदों को आसानी से मिल सकेगी। EERI वर्ष 1958 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित और वित्तपोषित संस्थान है। इसका उद्देश्य पर्यावरण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान करना है। NEERI वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council of Scientific – Industrial Research– CSIR) की एक घटक प्रयोगशाला है। इसकी पाँच क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ क्रमशः चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद और मुंबई में स्थित है। ■

6. विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल गुजरात में

गुजरात सरकार ने भावनगर बंदरगाह पर एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) टर्मिनल सुविधा के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह दुनिया का पहला CNG पोर्ट टर्मिनल होगा। इसके लिए मंजूरी गुजरात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड ने दी है।

गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (GMB) ने जनवरी 2019 में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात समिट में भावनगर में इस पोर्ट टर्मिनल को स्थापित करने के लिए यूके-आधारित दूरदर्शिता समूह के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे। भावनगर में मौजूदा बंदरगाह गुजरात द्वारा प्रशासित है। मैरीटाइम बोर्ड (GMB)।

टर्मिनल का निर्माण ब्रिटेन का फोरसाइट ग्रुप और मुंबई स्थित पद्मनाभ मफतलाल समूह द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसमें संयुक्त रूप से दोनों कंपनियाँ 1,900 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी, जिसमें से 1,300 करोड़ रुपये पहले चरण में और दूसरा चरण में Rs.600 करोड़ का निवेश 'स्विस चैलेंज पद्धति' के माध्यम से किया जाएगा। मौजूदा भावनगर बंदरगाह की तीन एमएमटीपीए कार्गो को संभालने की क्षमता है, इसे बढ़ाकर नौ एम.एम.टी.पी.ए. किया जाएगा।

भावनगर बंदरगाह पर प्रस्तावित सीएनजी टर्मिनल में प्रति वर्ष 1.6 मिलियन मीट्रिक टन को संभालने की कार्गो क्षमता होगी और यह रो-रो टर्मिनल, तरल कार्गो टर्मिनल और कंटेनर टर्मिनल जैसी सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा।

मौजूदा अन्य बंदरगाह के सीएनजी टर्मिनलों में विकसित करने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे में प्रमुख संशोधनों की आवश्यकता होगी। ■

7. ईरान में नए तेल भंडार की खोज

ईरान ने खुजेस्तान प्रांत में 53 अरब बैरल कच्चे तेल के साथ एक नया तेल क्षेत्र खोजा है, जो ईरान के खुजेस्तान के महत्वपूर्ण तेल उद्योग का घर है। हालांकि घोषणा में यह नहीं बताया गया है कि जलाशय से कितना तेल का उत्पादन किया जा सकता है। ईरान पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) का संस्थापक सदस्य भी है। खोजा गया नया तेल क्षेत्र 2,400 वर्ग किलोमीटर (925 वर्ग मील) है, जिसमें जमा राशि 80 मीटर (260 फीट) गहरी है।

क्षेत्र की खोज से देश के सिद्ध 150 बिलियन बैरल भंडार को एक तिहाई तक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह 65 बिलियन बैरल के साथ ईरान का दूसरा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र भी बन सकता है। वर्तमान में ईरान के पास 155.6 बिलियन बैरल के कच्चे तेल के प्रमाणित भंडार हैं और इस नए तेल की खोज से उसके कुल भंडार में लगभग 34% की वृद्धि होगी।

वर्तमान में, अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार (ईआईए) ईरान को दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल भंडार और प्राकृतिक गैस में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है। इस नए तेल भंडार से ईरान तीसरे स्थान पर पहुँच जाएगा।

अभी दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का भंडार वेनेजुएला के पास है। इसके पास 303.2 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है, जो दुनिया के कुल तेल भंडार का 17.9 फीसदी है। इसके बाद सबसे ज्यादा कच्चे तेल के भंडार के मामले में दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है। सऊदी अरब के पास 266.2 बिलियन कच्चे तेल का भंडार है, जो दुनिया के कुल भंडार का 15.7 फीसदी है। तीसरे नंबर पर कनाडा है और इसके पास 168.9 बिलियन बैरल तेल का भंडार है।

गौरतलब है कि वैश्विक शक्तियों के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर किसी समझौते पर पहुँचने में विफल रहने के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ईरान का ऊर्जा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ■

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

केन्द्रीय एवं राज्य सांख्यिकीय संगठनों का 27वाँ सम्मेलन

- राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष प्रो. बिमल के. रॉय ने 11 नवंबर, 2019 को कोलकाता में केन्द्रीय एवं राज्य सांख्यिकीय संगठनों (सीओसीएसएसओ) के 27वें सम्मेलन का उद्घाटन किया।
- सीओसीएसएसओ सांख्यिकीय हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एकजुट करने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है।
- तकनीकी क्षेत्र में हो रही प्रगति के साथ-साथ विभिन्न बदलावों को भी ध्यान में रखते हुए प्रोफेशनल सांख्यिकीविदों की तेजी से बदलती भूमिका पर भी इस सम्मेलन में प्रकाश डाला गया। दरअसल इन बदलावों की बदौलत अंतत: समाज में खुशहाली आती है।
- इस वर्ष के सम्मेलन की थीम का चयन ऐसे समय में पूरी तरह सोच-समझ कर किया गया है जब सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए एक सुदृढ़ निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए अनेक कदम उठा रहा है। एसडीजी की प्राप्ति देश की प्रतिबद्धता है, ताकि कोई भी इस मामले में पीछे न रह जाए। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी संकेतकों के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा विकसित राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क की तर्ज पर राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्तर पर भी एसडीजी के लिए राज्य संकेतक फ्रेमवर्कों को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- 27वां सीओसीएसएसओ एक ऐसा सम्मेलन है, जिसका आयोजन हर वर्ष भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- सीओसीएसएसओ केन्द्र एवं राज्य सांख्यिकीय एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय फोरम है, जिसका उद्देश्य नियोजकों एवं नीति-निर्माताओं को विश्वसनीय एवं समय पर आवश्यक आँकड़े उपलब्ध कराने के लिए समन्वित रूप से प्रयास करना है।

2. एमपीसी विशाखपत्तनम में संपन्न

- मिलन अभ्यास के लिए मिड प्लानिंग कॉन्फ्रेंस (एमपीसी) 8 नवम्बर, 2019 को विशाखापत्तनम के मुख्यालय ईएनसी विशाखापत्तनम में संपन्न हो गया। इस तीन दिवसीय सम्मेलन में 17 मित्र विदेशी नौसेनाओं के 29 प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया।
- उद्घाटन संबोधन के दौरान कमोडोर संजीव ईसार, कमोडोर मिलन ने मार्च 2020 में विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाले मिलन 2020 के व्यापक कार्यक्रम का विवरण प्रस्तुत किया।
- सम्मेलन के दौरान प्रतिभागी देशों के शिष्टमंडलों के साथ मिलन 2020 के बंदरगाह एवं समुद्र चरण के दौरान योजनाबद्ध अभ्यास की संभावना पर विस्तार से चर्चा की गई।
- मिलन एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास की श्रृंखला है, जो 1995 में आरंभ हुई।
- यह पिछले वर्ष तक अंडमान एवं निकोबार कमान (एएनसी) में आयोजित किया जाता था, जिसे पहली बार अभ्यास की बढ़ती संभावना एवं जटिलता के साथ ईएनसी पर आयोजित किया जा रहा है।
- मिलन 2020 का उद्देश्य मित्र विदेशी नौसेना के बीच व्यावसायिक संपर्कों को बढ़ाना एवं सामुद्रिक क्षेत्र में एक-दूसरे की शक्तियों तथा सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों से सीख हासिल करना है।
- यह कार्यक्रम आपसी हितों के क्षेत्रों में एक-दूसरे से परस्पर संपर्क बनाए रखने के लिए मित्र विदेशी नौसेनाओं के ऑपरेशनल कमांडरों के लिए भी एक उल्लेखनीय अवसर उपलब्ध कराएगा।

3. 9वाँ ब्रिक्स व्यापार मंत्री सम्मेलन

- केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 11 नवम्बर, 2019 को ब्रासीलिया, ब्राजील में 9वें ब्रिक्स व्यापार मंत्री सम्मेलन में भाग लिया।
- सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के आपसी व्यापार को बढ़ाने के अवसर तथा निवेश सहयोग पर विचार-विमर्श किया गया।
- ई-कॉमर्स में सहयोग, निवेश सुविधा, एमएसएमई, बौद्धिक सम्पदा अधिकार आदि विषयों पर भी चर्चा की गयी।
- विश्व का वर्तमान आर्थिक व व्यापार परिदृश्य, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की चुनौतियां, ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और निवेश सहयोग बढ़ाने के उपाय पर भी विचार-विमर्श किया गया।
- ब्राजील के राष्ट्रपति की अध्यक्षता में मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के व्यापार और निवेश संवर्द्धन एजेंसियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- इससे ब्रिक्स देशों के व्यापार और निवेश एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग बढ़ेगा और व्यापार और निवेश में वृद्धि होगी।

4. उन्नत 3-डी कॉम्बैट मोबाइल गेम

- वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल एचएस अरोड़ा ने एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में उन्नत 3-डी कॉम्बैट मोबाइल गेम 'इंडियन एयर फोर्स: ए कट एबव' के दूसरे चरण (मल्टी प्लेयर वर्जन) का शुभारंभ किया।
- देश के युवाओं को भारतीय वायु सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से भारतीय वायु सेना द्वारा इसकी शुरूआत की गई थी।
- मोबाइल गेम का पहला वर्जन 31 मई, 2019 को शुरू किया गया था और तब से इसे 2.2 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं द्वारा डाउनलोड किया गया है।
- एकल खिलाड़ी वर्जन के लिए व्यक्तियों को एप्लिकेशन के इन-बिल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ खेलना होता है। दूसरी ओर नवीनतम मल्टीप्लेयर वर्जन खिलाड़ियों को दुनियाभर में कहीं भी प्रतिद्वंद्वी के साथ जोड़कर रखेगा।
- मोबाइल एप्लिकेशन में 'टीम बैटल' और 'डेथ मैच' नाम के दो मोड हैं। उपयोगकर्ता के पास भारतीय वायुसेना की सूची में विमान की विविध रेंज से चुनने का विकल्प है, जिसमें मिग 21, तेजस और मिग 29 शामिल हैं। ये पिछले वर्जन में उपलब्ध नहीं थे।
- 'टीम बैटल' में उपयोगकर्ता एक टीम बनाता है और आभासी क्षेत्र में विरोधी पर कब्जा कर लेता है और इस प्रकार हवाई लड़ाई का एक वास्तविक एहसास कायम होता है। 'डेथ मैच' में, उपयोगकर्ता एक युद्ध क्षेत्र में शामिल होगा, जहाँ उपयोगकर्ता आठ विरोधियों में शामिल होता है और मिशन के अंत में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति विजेता होता है।
- इस वर्जन में 'संवर्द्धित वास्तविकता' की एक विशेषता भी शामिल है, जिसमें उपयोगकर्ता विमान के चारों ओर अंदर से और बाहर से देखने में सक्षम है।
- इसके अलावा, उपयोगकर्ता गेम के अंत में फेसबुक, ट्विटर आदि पर अपनी उपलब्धियों को अपलोड करने में सक्षम होगा।
- इंडियन एयर फोर्स : ए कट एबव एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफार्मों पर उपलब्ध होगा, इसे उनके संबंधित प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

5. शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों की बैठक

- केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल द्वारा आयोजित आपात स्थितियों के निवारण एवं निराकरण से संबंधित शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों के विभाग प्रमुखों की 10 वीं बैठक में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नागरिकों तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ओर से सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन की दिशा में सामंजस्य बिठाने के लिए एससीओ सर्वोच्च मंच है और मंत्री स्तर की इस महत्वपूर्ण बैठक में एससीओ (SCO) देशों के बीच बेहतर सहयोग तथा सामंजस्य स्थापित होगा।
- भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित एससीओ (SCO) के 19वें सम्मेलन में साझा क्षेत्र में संपर्क को और बेहतर करने की जरूरत पर बल दिया था और आपसी सहयोग को मजबूत बनाने की दिशा में संयुक्त अभ्यास के मंत्र को एक महत्वपूर्ण कदम बताया था।
- गौरतलब है कि अगस्त 2017 में देश के वर्तमान रक्षा मंत्री ने सरकारी विभागों के प्रमुखों की बैठक में भाग लिया था तथा इस बैठक में प्रस्ताव दिया था कि भारत सर्च और बचाव विषय पर एक संयुक्त अभ्यास आयोजित कर सकता है जिसे आज पूर्णता मिली है।
- इस प्रकार के अभ्यास से सभी एससीओ (SCO) देशों की आपदा प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी व प्रभावी कार्यान्वयन करने में भी सफलता प्राप्त होगी।

- एससीओ (SCO) संगठन पूरी दुनिया के 20 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र तथा 40 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए आपदा प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।
- आज भूकंप, बाढ़ तथा जलवायु परिवर्तन आदि पर काम करने की जरूरत है जिसे इस संगठन के माध्यम से संभव किया जा सकेगा और भविष्य में आपदा प्रबंधन की विभिन्न चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सकेगा।
- भारत ने विश्वास जताया कि शहरी भूकंप सर्च संयुक्त अभ्यास हमारी सामूहिक तैयारी में सुधार करने में बहुत उपयोगी होगा, भूकंप के बाद की कार्रवाई में समन्वय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करने के अतिरिक्त सभी प्रतिभागी टीम के सदस्यों के बीच जानकारी और मित्रता होने में भी इस अभ्यास से मदद मिलेगी।
- सरकार का कहना था कि जब सदस्यों को आपदा की स्थिति से निपटने के लिए मिलकर कार्रवाई करनी होगी, उस समय साझा अभ्यास का अनुभव बहुत काम आएगा।
- सरकार का कहना था कि भारत आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना संबंधित संगठन की अगुवाई कर रहा है जो बहुमुखी होगा।
- डिजास्टर रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर में विशेष ध्यान देना होगा।

6. स्वयं सहायता समूहों और कारीगर क्लस्टरों को 'जेम' से जोड़ा जाएगा

- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेएस (जेम) खुद से एसएचजी (स्वयं सहायता समूहों) और कारीगर क्लस्टरों को जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों के एम्पोरियम और विकास आयोग, हस्तशिल्प के साथ मिलकर काम कर रहा है। उत्पादों को वैसी स्थिति में एम्पोलरियम उत्पादों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जब भारत के कारीगरों द्वारा तैयार की जाने वाली अनूठी वस्तुओं को 'जेम' पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- इसके तहत तकनीकी समाधानों को ध्यान में रखने की दिशा में काम जारी है, ताकि कार्यशील पूंजी और वस्तुओं के सही स्थान के बारे में जानकारियां क्रेताओं एवं विक्रेताओं को प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकें।
- 3000 से भी अधिक स्टार्ट-अप्स को पहले ही जेम पर पंजीकृत किया जा चुका है और उन्हें अब तक 522 करोड़ रुपये की राशि के ऑर्डर मिले हैं। 58,101 से भी अधिक एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) को इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किया जा चुका है और जेम पर हुई कुल सौदा राशि का 50 प्रतिशत एमएसएमई से ही प्राप्त हो रहा है।
- जेम के सीईओ ने उन कुछ पहलुओं को रेखांकित किया, जिन पर काम जारी है :
  - सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ लचीले बोली दस्तावेज की डिजाइनिंग एवं कार्यान्वयन
  - श्रेणियों/सेवाओं का त्वरित एवं अधिक सटीक सृजन
  - कार्य संबंधी अनुबंधों और परियोजना खरीददारी को जोड़ना
  - उत्पादों एवं सेवाओं की सूची को पारदर्शी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एवं मशीन लर्निंग (एमएल) का उपयोग करना
  - खरीददारों एवं विक्रेताओं को सुखद अनुभव कराने के लिए यूआई/यूएक्सि संबंधी सुधार करना
  - खरीददारों के लिए प्रेषण पूर्व निरीक्षण सेवाएं
  - खरीददारों से गुणवत्ता के बारे में आवश्यक जानकारियां (फीडबैक) प्राप्त करना और सार्वजनिक खरीद में गुणवत्ताएँ सुनिश्चित करना
  - संबंधित एआई/एमएल/डीप लर्निंग संचालित वर्चुअल असिस्टेंट, ताकि खरीददारों एवं विक्रेताओं को बेहतर अनुभव कराया जा सके
  - गारंटी प्राप्त समयावधि में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित रूपरेखा (फ्रेमवर्क) की ओर अग्रसर होना
  - बड़े पैमाने पर खरीददारी हेतु सरकारी ठेकेदारों और निजी निकायों के लिए जेम का मार्ग प्रशस्त करना
  - जेम एक अत्यंत कारगर ऑनलाइन विक्रेता एवं क्रेता रेटिंग व्यवस्थाओं पर काम कर रहा है, जिनके तहत विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी संबंधी ऋण प्राप्त हो सकेंगे। इसके तहत पूंजी की लागत को विक्रेताओं के कार्य प्रदर्शन और रेटिंग से जोड़ दिया जाएगा। इससे क्रेताओं को अपनी खरीददारी वाले अहम क्षेत्रों में उच्च रेटिंग वाले विक्रेताओं से खरीददारी करने में भी मदद मिलेगी।
  - परिणाम आधारित आत्म-निर्वाह मॉडल पर खरीददार संगठनों में जेम संगठनात्माक एवं रूपांतरणकारी टीम (जीओटीटी) का गठन किया जाएगा, ताकि संगठन में खरीददारी प्रक्रिया में सामंजस्य सुनिश्चित करने के साथ-साथ मार्केटप्लेस के खरीद प्लेटफॉर्म की पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जा सके।

- जेम दरअसल एक पूर्ण ऑनलाइन मार्केटप्लेस है, जहां सभी वास्तविक विक्रेता स्वयं का पंजीकरण कराते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर सौदे करते हैं। सभी तरह के सत्यापन ऑनलाइन एकीकरण के जरिए होते हैं। जेम समावेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ सरकार के साथ 'कारोबार में सुगमता' को भी प्रोत्साहित करता है। यह एक पूर्ण पारदर्शी ऑनलाइन मार्केटप्लेस है, जो न केवल सार्वजनिक खरीद में तेजी लाता है, बल्कि इसके साथ ही इस पूरी प्रक्रिया में व्यापक बचत (औसतन 15-25 प्रतिशत) भी सुनिश्चित करता है।
- जेम नीतिगत प्रयोजन को अपने सही मुकाम पर पहुँचाना सुनिश्चित करता है, जिससे एसएमई लाभान्वित हो सकते हैं। इनमें एमएसएसएमई वरीयता नीति, मेक इन इंडिया और स्टार्ट-अप्स शामिल हैं, जिन्हें नियम आधारित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है।

7. भारत और स्विट्जरलैंड के बीच जलवायु परिवर्तन में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और स्विट्जरलैंड के बीच जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। इस समझौता ज्ञापन पर स्विट्जरलैंड में 13 सितंबर, 2019 को हस्ताक्षर हुए थे।

मुख्य प्रभाव:

- पर्यावरण में गिरावट का समाज के बेहतर तबकों के मुकाबले सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित तबकों पर कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण में गिरावट को दूर करने के किसी प्रयास से समाज के सभी तबकों के लिए बेहतर पर्यावरणीय संसाधनों की उपलब्धता के रूप में पर्यावरण की समानता को बढ़ावा मिलेगा।

लाभ:

- इस समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए समानता, पारस्परिकता और आपसी लाभ के आधार पर दोनों देशों में पर्यावरण सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में नजदीकी और दीर्घकालीन सहयोग को स्थापित करने और बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
- यह दोनों देशों के बीच जानकारी और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान के द्वारा सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ाएगा। इसके अलावा इससे बेहतर पर्यावरण सुरक्षा, बेहतर संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के बेहतर प्रबंधन तथा वन्यजीवन सुरक्षा/संरक्षण स्थापित करने के लिए उपयुक्त नवीनतम प्रौद्योगिकियों और बेहतर प्रक्रियाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है।

मुख्य विशेषताएँ

- जलवायु परिवर्तन और स्थायी जल प्रबंधन के बारे में क्षमता निर्माण
- सतत वन प्रबंधन
- पहाड़ी क्षेत्रों का सतत विकास
- पर्यावरणीय रूप से सतत और लचीला शहरी विकास
- वायु, भूमि और जल प्रदूषण के मुद्दों से निपटना
- स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान देना
- जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन

❍❍❍

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. भारत में न्याय

पुलिस बल प्रशिक्षण

विगत पाँच वर्षों में पुलिस में औसतन 6.4% लोगों को ही सेवा के दौरान प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसका अर्थ है कि लगभग 90% पुलिस बल आम जनता से बिना किसी प्रशिक्षण के व्यवहार करती है।

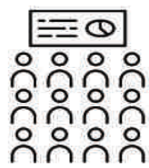

महिला

भारत में 2.4 मिलियन पुलिस बल में महिलाओं की संख्या मात्र 7 फीसद है, गौरतलब है कि उनमें भी केवल 6 प्रतिशत महिलाएँ अधिकारी स्तर की हैं। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों में महिलाओं की संख्या 28 प्रतिशत है जो उच्च न्यायालय में गिरकर 12 प्रतिशत तक हो गई है।

विचाराधीन कैदी

भारत की जेलों में 67.7 फीसदी वो कैदी हैं, जो विचाराधीन (Undertrial) हैं। गौरतलब है कि एक दशक पहले भी जेलों में 66 फीसदी विचाराधीन कैदी थे, अर्थात् पूरे दस वर्ष बाद भी विचाराधीन कैदियों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ गई है।

जेल सुधार अधिकारी

भारत की 1,412 जेलों में कैदियों के लिये मात्र 621 जेल सुधार अधिकारी हैं।

पुलिस बल में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व

कुल पदों में से आरक्षित पदों पर बड़ी रिक्तियाँ होने के बावजूद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुलिस बल में काफी कम है।

लंबित मामले

अधीनस्थ न्यायालयों में 28 मिलियन केस लंबित हैं और 24 प्रतिशत मामले पिछले 5 वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं।

बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, ओडिशा, मेघालय के साथ-साथ अंडमान निकोबार में प्रत्येक चार में से एक केस पिछले पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित है।

2.3 मिलियन केस पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं।

नोट : उपर्युक्त सातों चित्रों के विस्तृत अध्ययन के लिए इस अंक के ब्रेन बूस्टर (इंडिया जस्टिस रिपोर्ट-2019) का अध्ययन करें।

2. विश्व में भारत की स्थिति

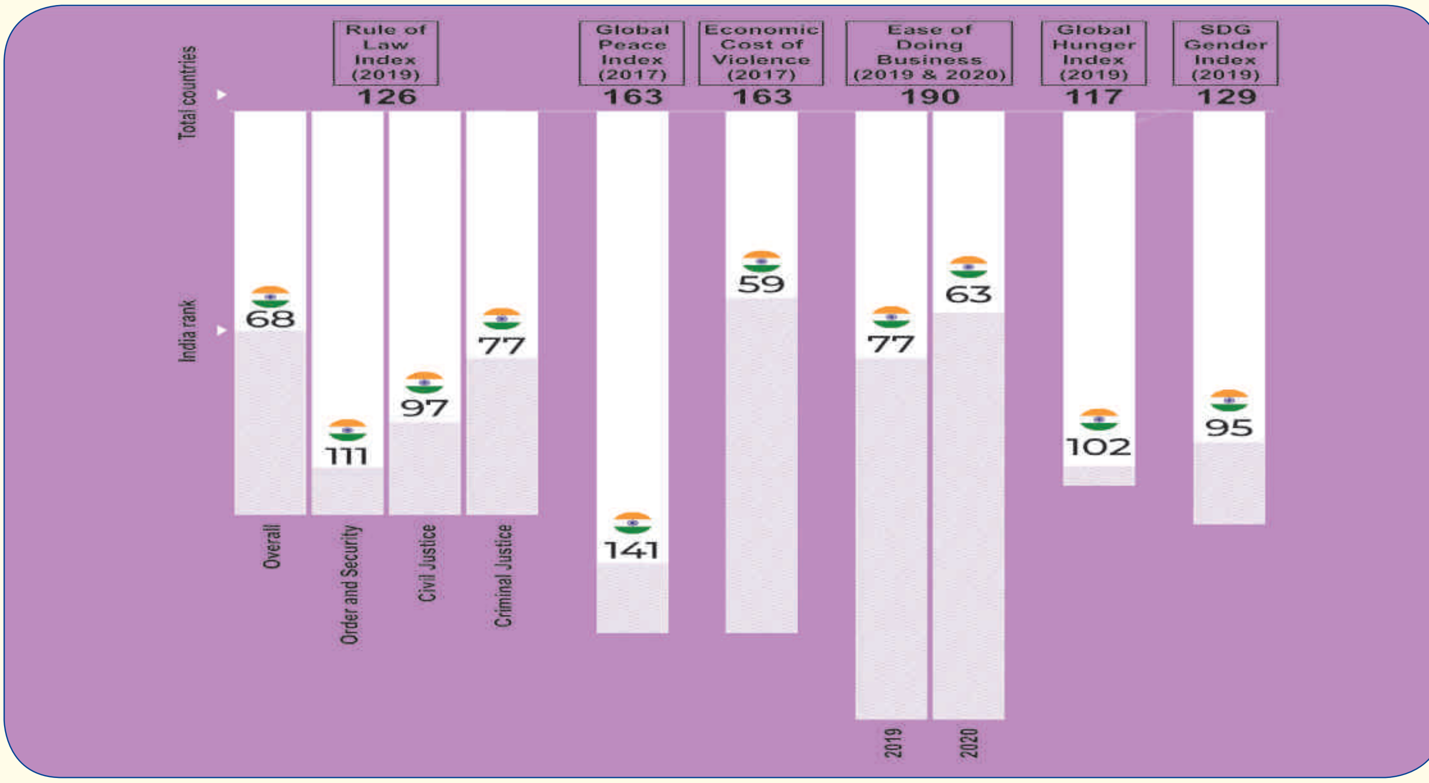

3. न्याय के संबंध में बड़े, मध्यम एवं छोटे राज्यों की समग्र रैंकिंग

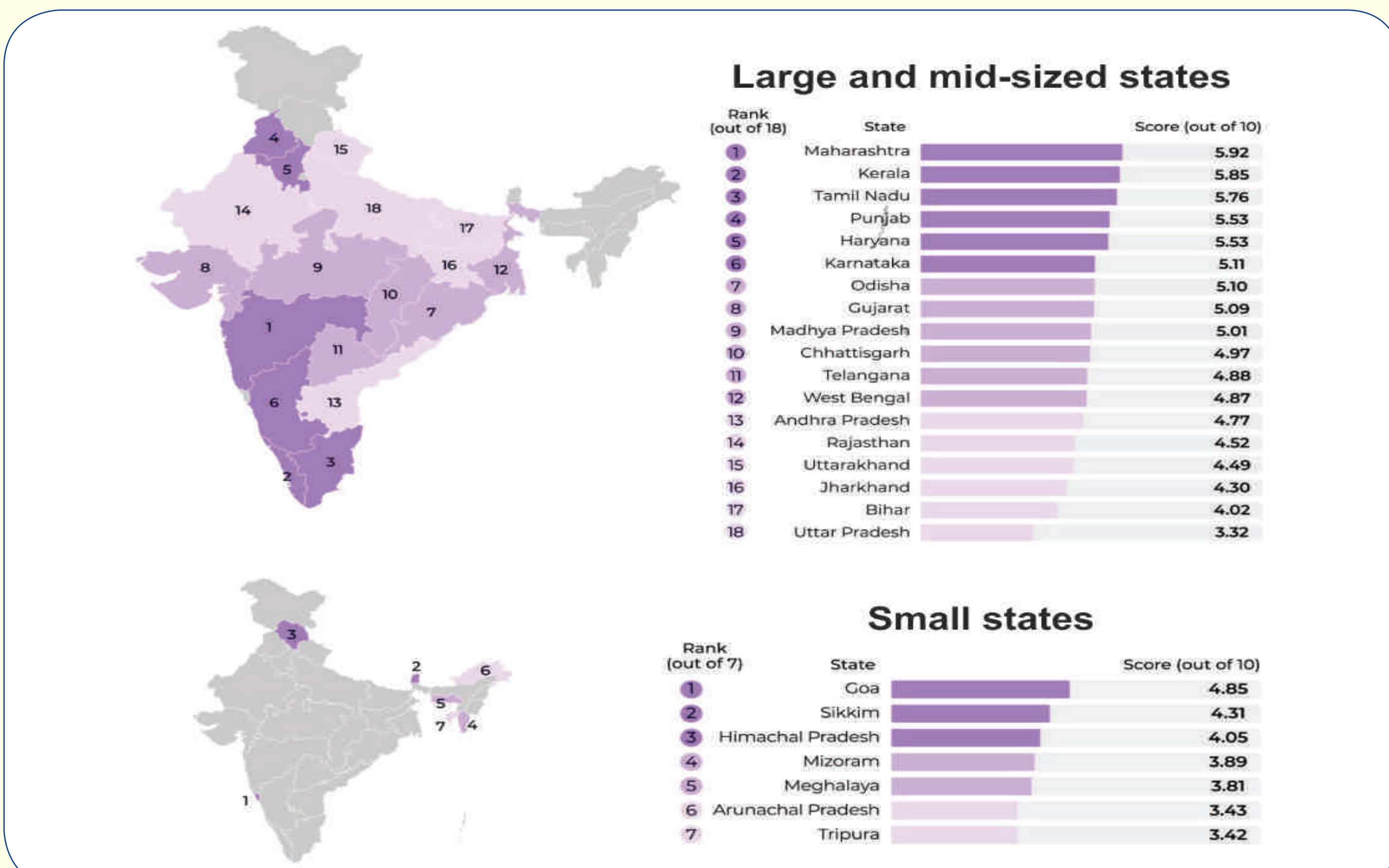

4. पुलिस बल के संबंध में बड़े, मध्यम एवं छोटे राज्यों की रैंकिंग

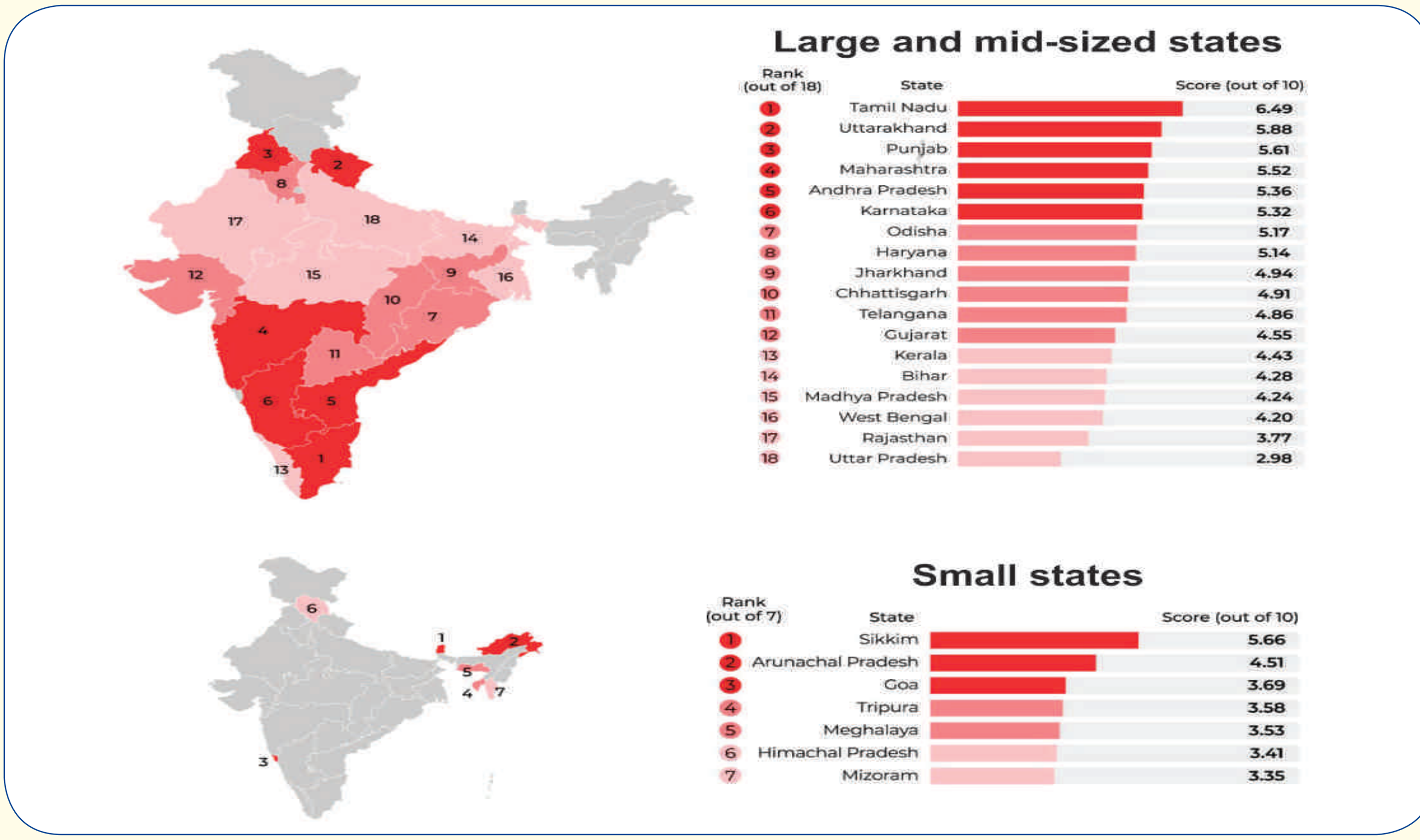

5. जेलों के संबंध में बड़े, मध्यम एवं छोटे राज्यों की रैंकिंग

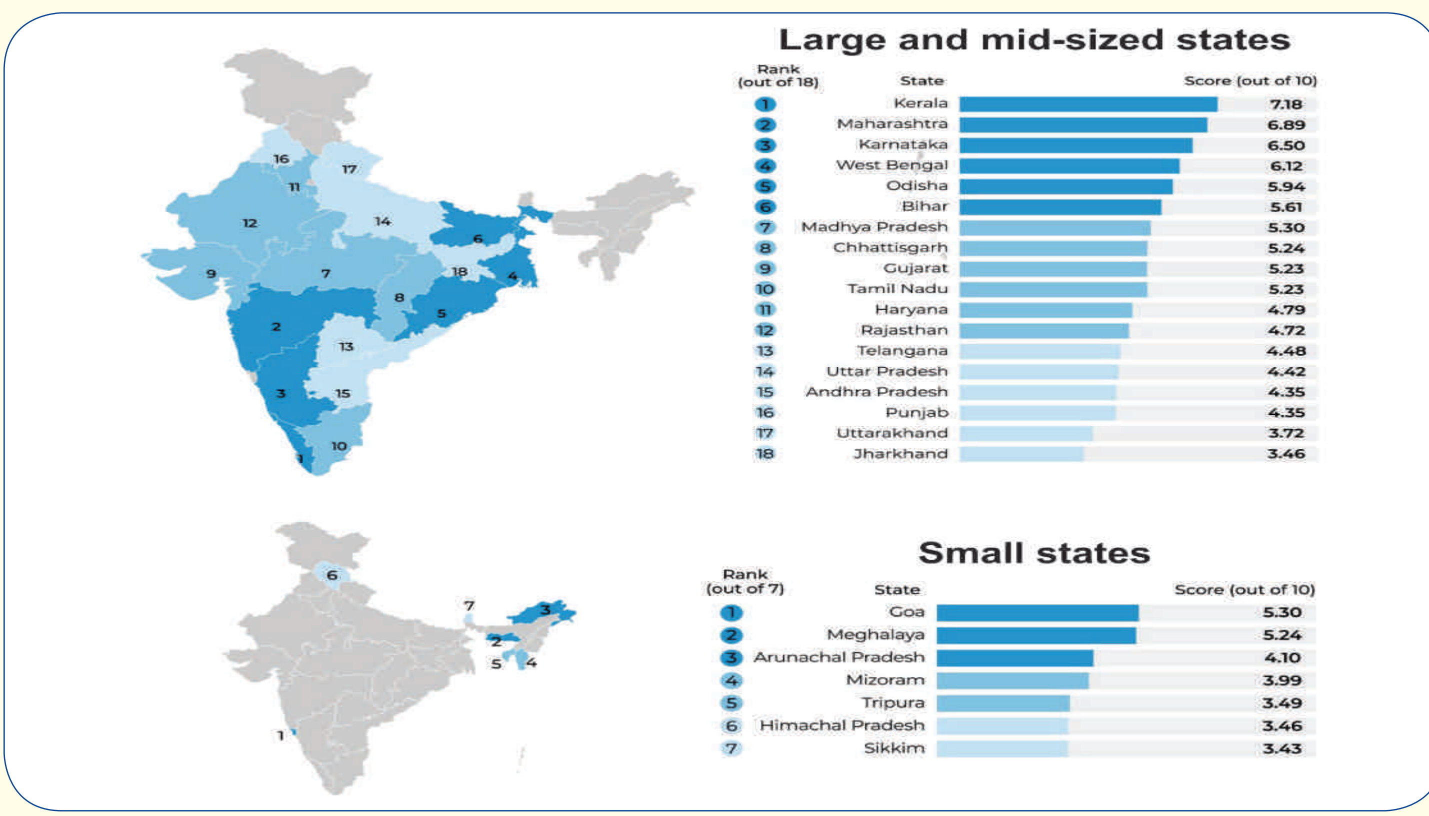

6. न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में बड़े, मध्यम एवं छोटे राज्यों की रैंकिंग

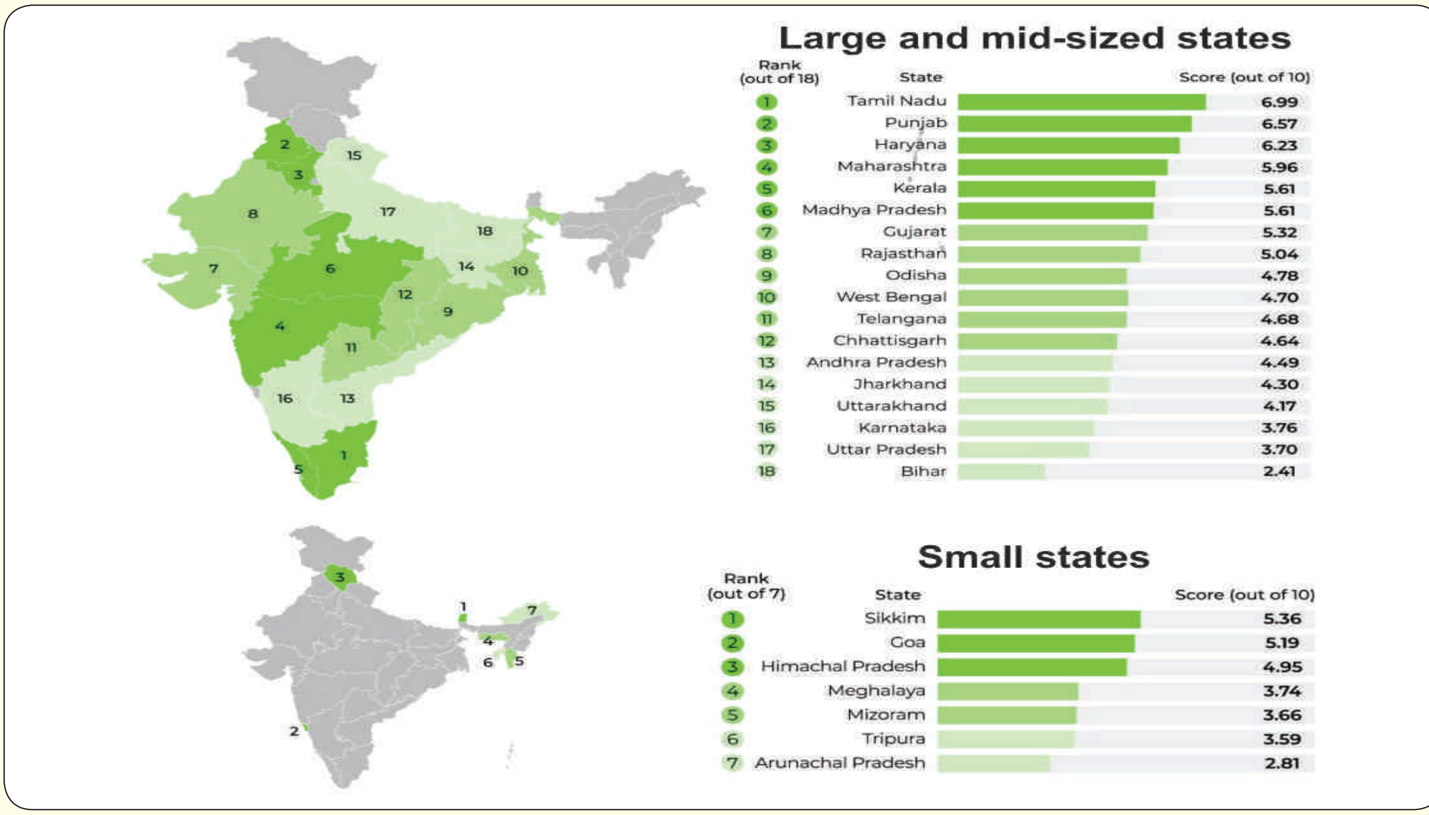

7. विधिक सेवाओं के आधार पर बड़े, मध्यम एवं छोटे राज्यों की रैंकिंग

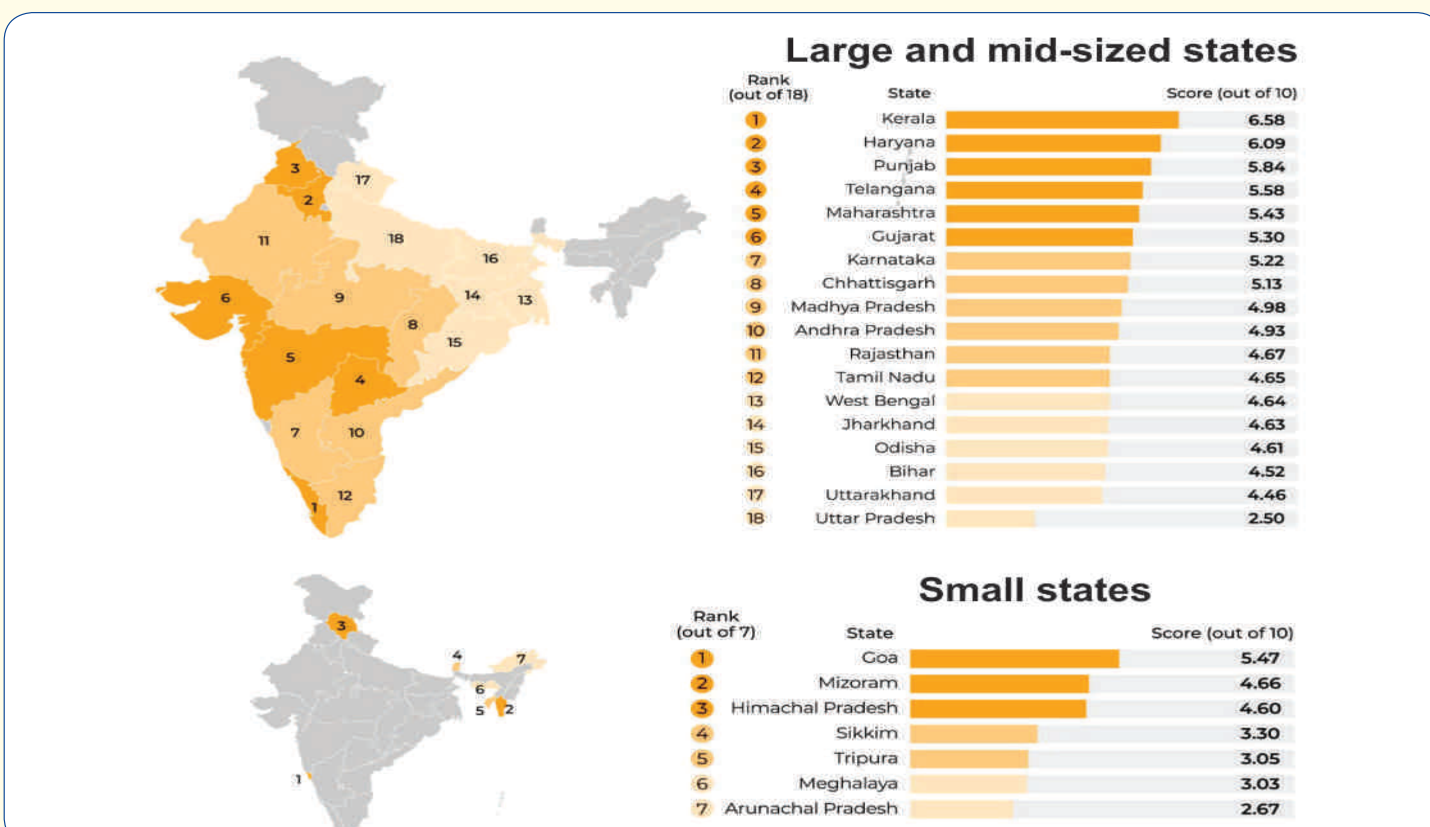

ध्येय IAS
most trusted since 2003
सिविल सेवा परीक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड
करेंट अफेयर्स के लिए ध्येय आईएएस आपके समक्ष प्रस्तुत करता है
GLOBAL मुद्दे
IN FOCUS
राष्ट्रीय मुद्दे
DNS
DAILY NEWS SCAN
WIDE ANGLE
With Experts
आर्थिक मुद्दे
INDIA THIS WEEK
Coming Soon
परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी करेंट अफेयर्स से जुड़ी तमाम
महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ध्येय आईएएस यूट्यूब चैनल को
YouTube dhyeyaias
dhyeyaias.com
/dhyeya1
STUDENT PORTAL

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA–9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

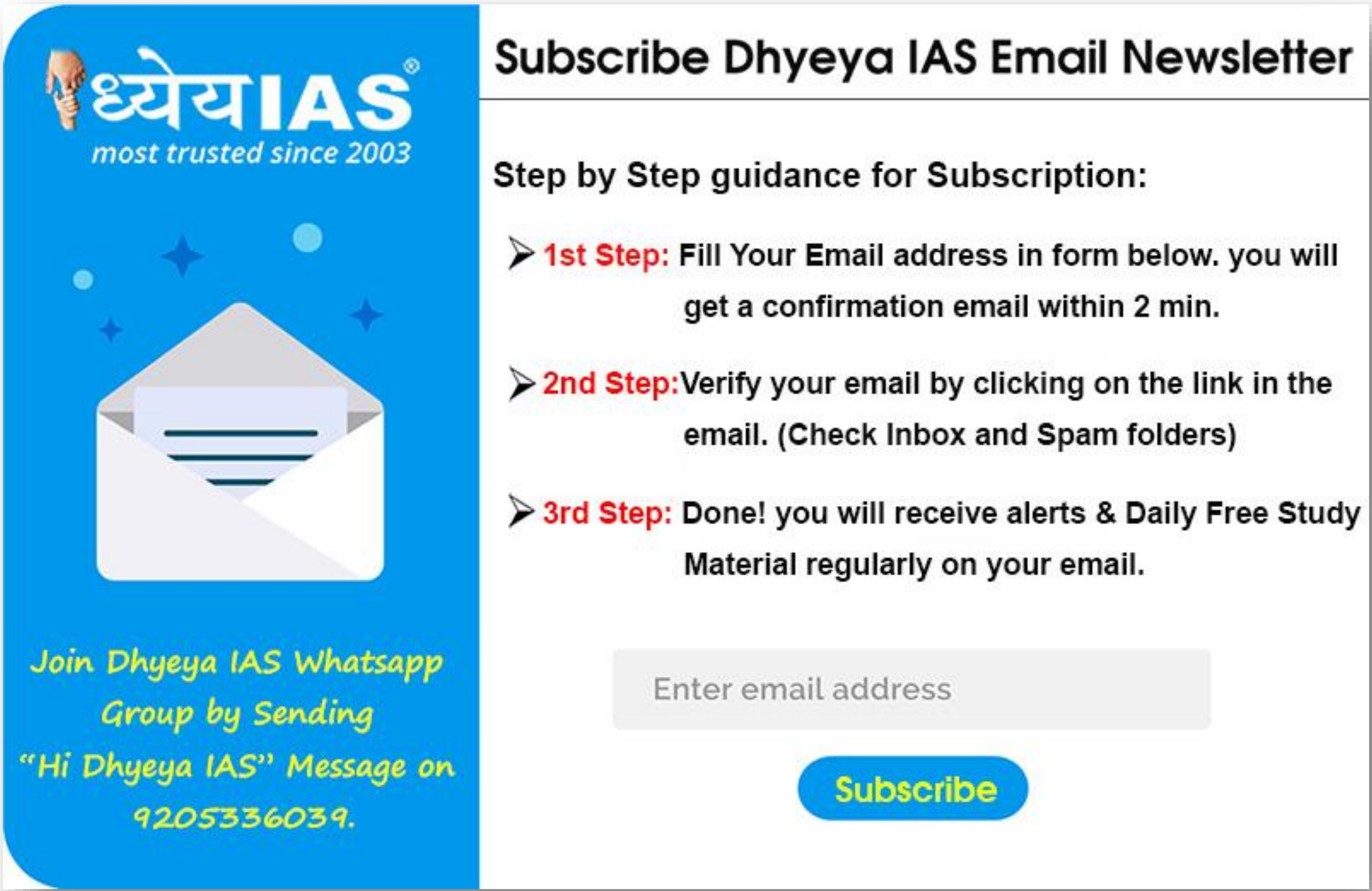

ध्येय IAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400